भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

http://cagindia.org/states/bihar/2001

विषय-सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय-I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन		
भूमिका	1.1	1
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.2	1-8
अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.3	8-11
सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान मंडल में प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.4	11
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	12-14
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किये जाने की अनुशंसा	1.6	14
निरीक्षण प्रतिवेदनों, कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के प्रत्युत्तर	1.7	14-15
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार-विमर्श की स्थिति	1.8	15
619-बी कम्पनियाँ	1.9	15
अध्याय-II		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समिक्षायें		
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के कार्याकलाप पर समीक्षा	2 क	16-33
बिहार राज्य खनीज विकास निगम लिमिटेड के कार्य-कलाप पर समीक्षा	2 ख	34-46

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय-III		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बंधित विविध रोचक प्रसंग		
सांविधिक निगमें	3	
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	3.1	
अदूरदर्शितापूर्ण एवं बिलम्ब से कार्रवाई के कारण 301 मि.यू. ऊर्जा के उत्पादन की हानि	3.1.1	47-48
अनियोजित कार्य-निष्पादन	3.1.2	48-49
अनुवीक्षण के अभाव के कारण हानि	3.1.3	49-50
निष्क्रिय व्यय	3.1.4	50
वाहनों का अनाधिकृत आवंटन	3.1.5	50-51
निष्फल व्यय	3.1.6	51-52
बीमा अनुबंध के अनुपालन नहीं होने के कारण हानि	3.1.7	52-53
उपभोक्ता के प्रति अनुचित पक्षपात	3.1.8	53
व्यर्थ पड़े विद्युत लाईनों को न हटाने के कारण हानि	3.1.9	54
विद्युत लाईन के निर्माण में विलम्ब से अतिरिक्त व्यय	3.1.10	54-55
राजस्व का कम संग्रह	3.1.11	55-56
समय पर विद्युत लाइन की मरम्मती नहीं होने के कारण सामग्रियों की हानि	3.1.12	56
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम		
किराया के पुनरीक्षण में विलम्ब	3.1.13	56-57

परिशिष्ट		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.	31 मार्च 2001 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन पूंजी, आय-व्ययक से बहिर्गमन, आय-व्ययक से दिये गये ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2, 1.2.1, 1.2.2 एवं 1.3	61-67
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमें जिनके लेखाओं का अंतिमकरण हो गया था, उनका अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.2.3,1.2.4 1.2.5, 1.3.3, 1.3.4, एवं 1.5	68-74
3.	मार्च 2001 के अंत तक प्राप्य सहाय्य तथा बकाये ग्रारंटियों एवं वर्ष के अन्दर प्राप्त साहाय्य, प्राप्त गारंटियाँ, बकाये की माफी, ऋण जिसपर मोहलत दी गयी एवं वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया ऋण को दर्शाने वाली विवरणी ।	1.2.2 व 1.3.2	75-76
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.4	77-79
5.	सांविधिक निगमों के कार्य चालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.4 एवं 1.5.2.1	80-81
6.	सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.4.3	82-84
7.	विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.)को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	85
8.	विभागावार प्रारूप कंडिकाओं/समिक्षाओं के लम्बित उत्तरों को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	86
9.	अद्यतन अंतिमकरण किये हुए लेखों के अनुसार 619(बी) कम्पनियों के प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्य चालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.9	87-88
10.	वर्ष 2001-01 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन, संभाव्य उत्पादन प्रति किलोवाट के संस्थापित क्षमता का वास्तविक उत्पादन एवं प्लान्ट लोड फैक्टर की विवरणी	2क.6	89
11.	वर्ष 2001-01 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शक्ति प्रतिष्ठान में जबरन बंदी एवं आन्तरिक कारकों से बंदी का विवरणी	2क.6.6	90
12.	1997-2000 के दौरान उत्पादन लागत की विवरणी	2क.6.7	91
13.	1996-97 से 2001-01 के दौरान ताप दक्षता एवं ईंधन की खपत दर्शाने वाली विवरणी	2क.7	92
14.	वित्तीय स्थिति	2ख.6	93
15.	कार्य चालन परिणाम	2ख.6	94
16.	आय-व्ययक नियंत्रण	2ख.7.1	95
17.	लागत प्रवृत्ति	2ख.7.2	96

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती है :

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम ।

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय-समय पर संशोधित धारा 19-क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है । विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा किया जाता है ।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं । राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरुप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित सूचि में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखा परीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनके लेखाओं का लेखा परीक्षा करने का अधिकार है । बिहार राज्य भंडारण निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखा परीक्षा के अतिरिक्त उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है । इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजा जाता है ।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित है, जो वर्ष 2000-01 के दौरान लेखाओं की लेखा परीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, 2000-01 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं ।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

31 मार्च 2001 को राज्य में 54 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में 50 सरकारी कम्पनियाँ एवं 4 सांविधिक निगमें थी, जो विगत वर्ष में भी थे । 50 सरकारी कम्पनियों में से 19 सरकारी कम्नपनियाँ कार्यशील थीं और 31 कम्पनियाँ अकार्यशील थी । इसके अतिरिक्त 8 कम्पनियाँ कम्पनी अधिनियम 1956 के 619-बी के क्षेत्र के अधीन 31 मार्च 2001 तक है ।

31 मार्च 2000 से 31 मार्च 2001 तक कुल निवेश 7430.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 7823.78 करोड़ रुपये हुए । उक्त अवधि में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश 639.03 करोड़ रुपये से घटकर 614.59 करोड़ रुपये हो गये ।

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजि, ऋण और अनुदान के रुप में बजट सहायता के लिए वर्ष 1999-2000 में संवितरित 895.06 करोड़ रुपये से घट कर वर्ष 2000-01 में 596. 33 करोड़ रुपये हो गई । राज्य सरकार ने भी एक कार्यकारी कम्पनी को 2 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में प्रदान की थी। वर्ष 2000.01 के दौरान राज्य सरकार से प्रदत गारंटी ऋण कुल 594. 59 करोड़ रुपये थी । 31 मार्च 2001 को प्रत्याभूति-ऋण के कुल बकाये की राशि 568.59 करोड़ रुपये थी ।

कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2000-01 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था । 30 सितम्बर 2001 तक 19 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ और 4 सांविधिक निगमों की लेखा विगत 1 वर्ष से 20 वर्षों के अवधि के लंम्बित थे । 30 सितम्बर 2001 तक सभी 31 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के लेखे विगत 1 वर्ष से 24 वर्षों की अवधि में लम्बित थे ।

अध्यत अंतिम लेखाओं के अनुसार 7 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (6 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) ने 5.54 करोड़ रुपये का कुल आय आर्जित किया । 15 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (12 सरकारी कम्पनियाँ एवं 3 सांविधिक निगमें) में अध्यतन अंतिम लेखाओं के अनुसार 1234.23 करोड़ रुपये की हानि हुई । कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से 7 कम्पनियों की कुल संचित हानि 326.41 करोड़ रुपये थी, जो उनके प्रदत्त कुल पूँजी 128.19 करोड़ रुपये को पार कर गयी थी ।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में बिक्री हेतु उपलब्ध उर्जा की वितरण एवं संचरण हानि की प्रतिशतता का परास वर्ष 1997-98 में 25.41 वर्ष 1998-99 में 28.30 और 1999-2000 में 27.90 था । बिहार राज्य वित्तीय निगम में वर्ष 1998-99 अतिदेय (मूल एवं ब्याज) की अदायगी राशि 1288.04 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 1626.73 करोड़ रुपये हो गयी । बिहार राज्य भंडारण निगम में संचयन क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता वर्ष 1998-99 में 94 से घटकर वर्ष 2000-01 में 84 हो गयी ।

अद्यतन और अंतिम लेखाओं मे 18 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में 819.16 करोड़ रुपये पूँजीनिवेश

की गई, जबकि कुल वापसी (-) 16.59 करोड़ रुपये हुई । इसी तरह कार्यशील सांविधिक निगमों में पूँजी निवेश एवं उसकी वापसी क्रमशः 1694.26 करोड़ रुपये (-) 360.06 करोड़ रुपये रही ।

23 से 37 वर्षों के पूरे होने के बावजूद 2 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं एक अकार्यशील कम्पनी का अलग-अलग कुल बिक्री विगत पांच वर्षों में 5 करोड़ रुपये से कम रहा । इन कम्पनियों के कार्य निष्पादन में सुधार अथवा उनके बंदी का विचार किया जा सकता है ।

(कंडिका 1.1,1.2.1,1.3.1,1.2.2,1.2.3,1.3.3,1.2.4,1.2.4.3,1.2.5 एवं 1.6)

2. सरकारी कम्पनियों की समीक्षा

2.क तेनुघाट विद्युत निगम लि. के कार्य-कलाप की समीक्षा।

नवम्बर 1987 में पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप मं निगमीकृत हुई थी। जिसने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से (मार्च 1990) तेनुघाट ताप शक्ति प्रतिष्ठान (टी टी पी एस) को 168.44 करोड़ रुपये में लिया जिसका भुगतान सरकार के द्वारा स्थानान्तरण डीड का अन्तिमकरण/निष्पादन नहीं किये जाने के कारण नहीं किया जा सका। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य शीघ्र और समय पर तेनुघाट ताप शक्ति प्रतिष्ठान के कार्य को पूरा कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत की आपूर्त्ति करना था ।

कम्पनी अपने उद्देश्य को स्टेज -I में पूरा करने में असफल रही जबकि स्टेज-II को आज तक शुरू नहीं किया जा सका । निम्न सयंत्र, भार गुणक, अनुषंगी खफत एवं उच्च ट्रान्सफॉर्मेशन हानि के उच्च प्रतिशतता के कारण उत्पादन निष्पादन असंतोषजनक था ।
(कंडिका 2क.1)

कम्पनी के पास प्रर्याप्त निधि रहने के बावजूद ऋण की अदायगी में निरन्तर चूककर्त्ता रहने के कारण पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन द्वारा 43.07 करोड़ रुपये का दण्ड-ब्याज उगाही किया गया जिसे कम्पनी के द्वारा स्वीकार किया गया ।
(कंडिका 2क.4 (ख) iii)

इकाई-I एवं II में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 42 और 43 महीनों के विलम्ब के बाद आरंभ हुआ । जिसके परिणाम स्वरूप 1501.05 करोड़ रुपये के 8934.81 मि.यू. की सम्भावित हानि हुई ।
(कंडिका 2क.6)

80 प्रतिशत प्लान्ट की उपलब्धता के निर्धारित प्रतिमानक को प्राप्त नहीं किये जाने के कारण में 800.00 करोड़ रुपये मूल्य के 4761.96 मि. यू. की उत्पादन हानि हुई ।
(कंडिका 2क.6.1)

वर्ष 1996-97 से 2000-01 के दौरान 68.5 प्रतिशत पी.एल.एफ की प्राप्ति नहीं होने के कारण 845.18 करोड़ रुपये मूल्य के 5030.82 मि.यू. उत्पादन की कमी हुई ।
(कंडिका 2क6.2)

वर्ष 1996-97 से 2000-01 के दौरान 9 प्रतिशत प्रतिमानक के बिरुद्ध उर्जा संयंत्र की सहायक खपत का परास 12.15 से 13.68 प्रतिशत था । जिसके फलस्वरूप 38.03 करोड़ रुपये मूल्य के 226.36 मि. यू. विद्युत की अत्यधिक अनुषंगी खपत हुई ।

(कंडिका 2क.6.4)

पूंजीगत अनुरक्षण में विलम्ब और आंतरिक कारकों को रोकने में प्रबंधन की विफलता से संयंत्र 24675 घंटों तक बंदी में रहा जिसके कारण 596.28 करोड़ रुपये मूल्य के 3549.34 मि. यू. के सम्भावित ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई ।

(कंडिका 2क.6.6)

परियोजित लागत 5.27 पैसे प्रति कि.वा.घं. के विपरीत उत्पादन लागत का परास 1997-98 में 157 पैसे प्रति कि. वा. घं. से 1999-2000 में 220 पैसे प्र.कि.वा.घं. के बीच था ।

(कंडिका 2क.6.7)

वर्ष 1996-97 से 2000-01 के दौरान निर्धारित प्रतिमानक से 74.68 करोड़ रुपये के कोयले और 66.90 करोड़ रुपये मूल्य के लाईट डीजल तेल की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2क.7.2 एवं 2क.7.3)

निम्न स्तर के कोयला को स्वीकार किया गया जबकि उच्च स्तर के कोयला का मूल्य चुकाया गया । फलस्वरूप 9.99 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया ।

(कंडिका 2क.8.1(i))

भेल के द्वारा कुछ निम्न स्तर के कार्य किये गये एवं कुछ को अधूरा तथा कुछ को बिल्कुल छोड़ दिया गया । फलस्वरूप 559.46 करोड़ रुपये मूल्य के 3330.06 मि.यू. के संभावित उर्जा उत्पादन की भारी हानि हुई ।

(कंडिका 2क.10)

2ख. बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि. के कार्य कलाप की समीक्षा ।

मुख्य खनिजों के खनन के अतिरिक्त राज्य में खनिज संभावनाओं के विकाश हेतु जून 1972 में कम्पनी प्रस्थापित की गई । मुख्य रूप से चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, कायनाइट, पत्थरों के बड़े एवं छोटे टुकड़ों और ग्रेनाइट टाइल्स के उत्खन्न, प्रक्रमन एवं बिक्री तथा बालू के व्यापार के काम में कम्पनी लगी रही । ग्रेफाइट, चूना पत्थर, और पत्थर के उत्पादन में वन विमुक्ति के अनुमति में विलम्ब, असुरक्षित एवं अनियोजित खनन के कारण इष्टतम फल पाने में कम्पनी असफल रही । अदक्ष विपणन गतिविधि, ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डिक प्रावधानों के लागू न करने एवं बाजार मूल्य से कम दर पर बिक्री मूल्य निर्धारित करने के कारण खनिजों के बिक्री से इष्ट राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी ।

(कंडिका 2ख.1)

वन विमुक्ति के अनुमति हेतु कार्रवाई करने में 16 वर्षों के बिलम्ब के कारण कम्पनी ने 4.72 करोड़ रुपये की हानि उठाई ।

(कंडिका 2ख.8.1)

चूना पत्थर के उत्खनन में दण्डिक अनुबंध के लागू न करने (0.10 करोड़ रुपये), एकरारनामा में दण्डिक अनुबंधन न रखने के कारण (3.14 करोड़ रुपये) एवं उच्च दर पर भुगतान (0.28 करोड़ रुपये) करने के कारण कम्पनी को 3.52 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(कंडिका 2ख.10.1.1, 2ख.10.1.2 एवं 2ख.10.1.3)

कायनाइट के उत्खनन मात्रा में कमी पर सीमान्त राशि उगाही करने में विफलता के कारण 1996-97 से 2000-01 के दौरान 1.17 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(कंडिका 2ख.11.1)

वर्ष 1995-96 से 2000-01 के दौरान अनुमोदित मूल्य से कम पर कोयला के बिक्री के कारण कम्पनी को 2 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(कंडिका 2ख.14.1)

बिक्रय सम्भाव्यता को ध्यान दिये वगैर उच्च दर पर बालू घाटों (बालू खदान) के हस्तगत करने से वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान कम्पनी को कुल 1.79 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(कंडिका 2ख.16)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विभिन्न रोचक प्रसंग

मरम्मती के कार्य और जम्पर के क्रय में देरी के फलस्वरूप 30.16 करोड़ रुपये मूल्य के उर्जा उत्पादन की हानि ।

(कंडिका 3.1.1(i)एवं (ii))

लाइन बनाने में अत्यधिक विलम्ब के कारण तथा उसके रास्ते की पुनः पंक्तिबद्धता के फलस्वरूप 0.13 करोड़ रुपये के निरर्थक व्यय के अलावे 0.69 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।

(कंडिका 3.1.10)

अध्याय-I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

1.1 भूमिका

31 मार्च 2000 को 50 सरकारी कम्पनियाँ (18 कार्यशील कम्पनियाँ एवं 32 अकार्यशील कम्पनियाँ) एवं चार सांविधिक निगमें (सभी कार्यशील) के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को 50 सरकारी कम्पनियाँ (19 कार्यशील कम्पनियाँ एवं 31 अकार्यशील कम्पनियाँ)* तथा चार सांविधिक निगमें (सभी कार्यशील) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे । कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित) लेखापरीक्षा की जाती है । इन लेखाओं की पूरक लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के उपबन्धों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा भी की जाती है । सांविधिक निगमों की लेखा-परीक्षा की व्यवस्था अधोदर्शित है :

क्र.सं.	सांविधिक निगम के नाम	सी.ए.जी. को लेखा परीक्षण का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.इ.बी.)	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत	एकमात्र सी.ए.जी. के द्वारा लेखा परीक्षा
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी.एस.आर.टी.सी.)	पथ परिवहन निगम अधिनियम,1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत	एकमात्र सी.ए.जी. के द्वारा लेखापरीक्षा
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी.एस.एफ.सी.)	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (6) के अन्तर्गत	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
4.	बिहार राज्य भंडार निगम	राज्य भंडार अधिनियम, 1962 के धारा 31(8) की अन्तर्गत	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा एवं सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

1.2 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

1.2.1 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2000 तक 22 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (18 सरकारी कम्पनियाँ एवं चार सांविधिक निगमें) में कुल निवेश 7430.17 करोड़ रूपये (इक्विटी 456.40 करोड़ रूपय; दीर्घ कालीन ऋण : 6973.44 करोड़ रूपए तथा अंश आवेदन धन 0.33 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 31 मार्च 2001 तक 23 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (19 सरकारी कम्पनियाँ, एवं चार सांविधिक निगमें) में कुल निवेश 7823.78 करोड़ रूपए (इक्विटी: 468.40 करोड़ रूपये, दीर्घकालीन ऋण# : 7355.05 करोड़ रूपए; तथा अंश आवेदन 0.33 करोड़ रुपये) । कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है ।

---

* अकार्यशील कम्पनियाँ वे हैं जो परिसमापन/बन्द/विलय के क्रम में हैं ।

\# कंडिका 1.2.1, 1.2.1.1 में वर्णित दीर्घकालीन ऋण में उपार्जित एवं बकाया ब्याज सम्मिलित नहीं है ।

1.2.1.1 कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च 2000 को 18 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश 1211.82 करोड़ रूपए (इक्विटी : 275.66 करोड़ रूपए; दीर्घ कालीन ऋण : 935.83 करोड़ रूपए; अंश आवेदन धन : 0.33 करोड़ रूपए) के विरूद्ध 31 मार्च 2001 तक 19 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश 1223.16 करोड़ रूपए (इक्विटी : 287.65 करोड़ रूपए; दीर्घ कालीन ऋण : 935.83 करोड़ रूपए; अंश आवेदन धन : 0.33 करोड़ रूपए) के विरुद्ध ।

कार्यशील सरकारी कम्पनियों में अंशपूंजी तथा ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है ।

सरकारी कम्पनियों में प्रक्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2001 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश का 23.54 प्रतिशत इक्विटी तथा 76.46 प्रतिशत ऋण की तुलना में 31 मार्च 2000 को क्रमशः 22.77 प्रतिशत एवं 77.23 प्रतिशत था ।

31 मार्च 2001 एवं 31 मार्च 2000 के अन्त में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (इक्विटी तथा दीर्घ कालीन ऋण) तथा उनकी प्रतिशतता निम्नांकित पाई चार्टों में दर्शाए गए हैं :

31 मार्च 2001 तक निवेश

(करोड़ रूपयों में)

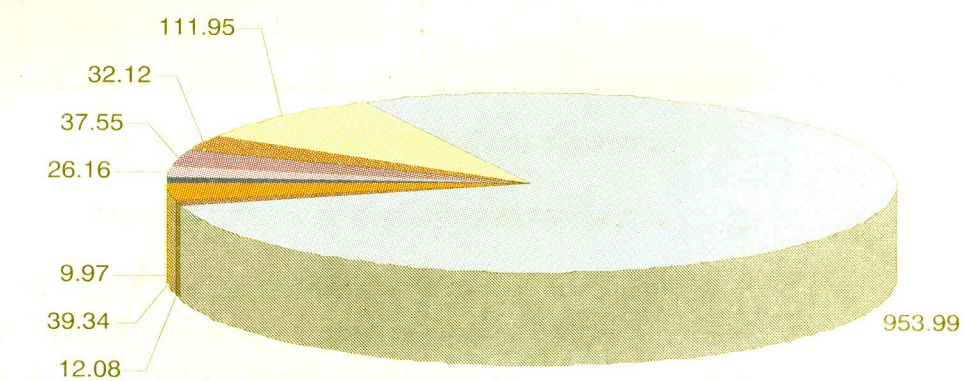

(प्रकोष्ठ में आंकड़े निवेशं के प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

- कृषि एवं समवर्गी (3.07%)
- वित्त पोषण (9.15%)
- निर्माण (0.99%)
- खनन् (0.81%)
- औद्योगिक विकास एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (2.63%)
- ऊर्जा (77.99%)
- आर्थिक कमजोर वर्ग (3.22%)
- अन्य (2.14%)

31 मार्च 2000 तक निवेश

(करोड़ रूपयों में)

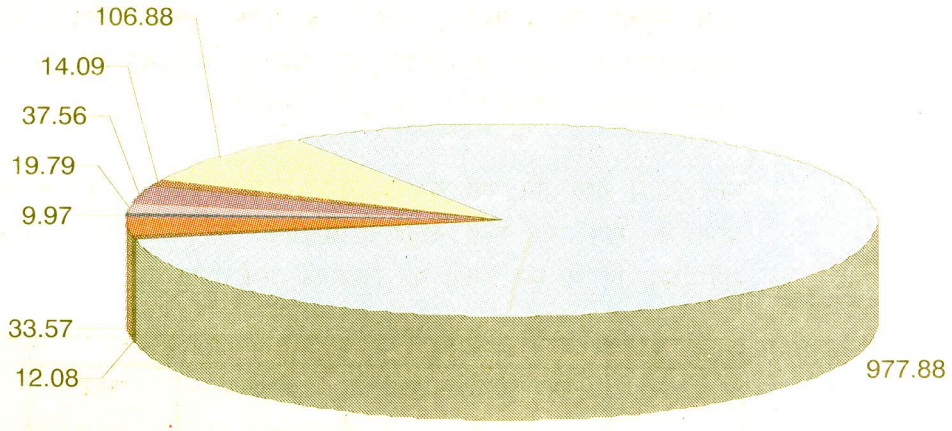

(प्रकोष्ठ में आंकड़े निवेश के प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

कृषि एवं समवर्गी (3.10%)	औद्योगिक विकास एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (1.16%)
वित्त पोषण (8.82%)	ऊर्जा (80.70%)
निर्माण (1%)	आर्थिक कमजोर वर्ग (2.77%)
खनन् (0.82%)	अन्य (1.63%)

1.2.1.2 कार्यशील सांविधिक निगमें

मार्च 2001 एवं मार्च 2000 के अन्त तक चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नलिखित थे :

(करोड़ रुपये में)

निगम के नाम	1999-2000		2000-2001	
	पूंजी	ऋण	पूंजी	ऋण
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.)	-	5714.32*	-	6119.41*
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी.एस.आर.टी.सी.)*	101.27*	68.53*	101.27*	68.53*
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी.एस.एफ.सी.)	78.10	254.76	78.10*	231.93*
बिहार राज्य भंडार निगम (बी.एस.डब्लू.सी.)*	1.37*	शून्य	1.37*	शून्य
योग	**180.74**	**6037.61**	**180.74**	**6419.87**

*औपबन्धिक आंकड़े

कार्यशील सांविधिक निगमों में इक्विटी तथा ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है ।

31 मार्च 2001 को कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश का 2.74 प्रतिशत इक्विटी तथा 97.26 प्रतिशत ऋण की तुलना में 31 मार्च 2000 को क्रमशः 2.91 प्रतिशत तथा 97.09 प्रतिशत था ।

1.2.2 आय-व्ययक से वहिर्गामी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण

राज्य सरकार से कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को आय से वहिर्गामी, अनुदान/सहाय्य, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 1 एवं 3 में दी गयी है ।

मार्च 2001 तक तीन वर्षों की अवधि में राज्य सरकार से आय-व्ययक का वहिर्गामी (इक्विटी एवं ऋण के रूप में) तथा अनुदानों/सहायिकों जो कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को मिली की विवरणी अधोदर्शित है :

(करोड़ रुपये में)

	1998-99				1999-2000				2000-2001			
	कम्पनियां		निगमें		कम्पनियां		निगमें		कम्पनियां		निगमें	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
आय-व्ययक से वहिर्गामी इक्विटी	2	3.49	–	–	1	5.00	–	–	1	2.00	–	–
आय-व्ययक से दिया गया ऋण	3	10.49	–	–	1	5.00	2	802.71	1	3.50	2	590.68
अनुदान/सहाय्य के मद में	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) परियोजना/ कार्यक्रम/ योजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य सहाय्य	3	3.76	2	69.25	1	3.42	3	78.93	–	–	1	0.15
(iii) कुल सहाय्य	3	3.76	2	69.25	1	3.42	3	78.93	–	–	1	0.15
कुल वहिर्गामी	8*	17.74	2*	69.25	2*	13.42	3*	881.64	2*	5.50	3*	590.83

वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार राज्य अल्पसंख्यक निगम के द्वारा प्राप्त कुल ऋण 3.26 करोड़ रूपए की प्रत्याभूति बिहार सरकार ने दी थी । वर्ष के अन्त तक आठ कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (55.38 करोड़ रूपये) तथा तीन कार्यशील सांविधिक निगमें (513.21 करोड़ रूपये) के विरूद्ध कुल 568.59 करोड़ रूपयों की प्रत्याभूतियाँ बकाए थे जबकि पूर्व वर्ष के अन्त तक 16 सरकारी कम्पनियों (68.45 करोड़ रूपये) तथा तीन सांविधिक निगमों (753.05 करोड़ रूपये) के विरूद्ध 821.50 करोड़ रूपयों की प्रत्याभूतियाँ बकाए थे । वर्ष के दौरान बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम 2.02 करोड़ रूपये प्रत्याभूतित ऋण के अदायगी न करने की दोषी थी । वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार ने किसी भी कम्पनी या सांविधिक निगम को प्रत्याभूतित की गयी ऋण को न माफ किया और न ऋण की ब्याज को छोड़ा तथा न ऋण को बट्टे खाते में डाला । सरकार ने वर्ष के दौरान इसके ऋण को इक्विटी में रूपांतरित किया । वर्ष 2000-2001 तक चार** सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के विरूद्ध क्रमशः 1.21 करोड़ रूपये तथा 0.29 करोड़ रूपये गारंटी कमीशन के रूप में बकाया था ।

---

* यह कम्पनियों एवं निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होंने सम्बन्धित वर्ष में सरकार के आय-व्ययक से अंशपूंजी, ऋण अनुदान एवं सहाय्य के रूप में सहायता प्राप्त किया है ।

** क्रम संख्या अ-5,12, स, 4, 6 एवं ब-2

1.2.3 कार्यशील सा.क्षे.उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमकरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 के धाराओं 166, 210, 230, 619 एवं 619-बी के साथ-साथ नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत कम्पनी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर के ही लेखा परीक्षा हेतु उपस्थापित किया जाना है । इन्हें वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 9 माह के अन्दर विधान मंडल के पटल पर भी रखा जाना है । इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाना, लेखा परिक्षित होना, तथा विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, सभी सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप होता है ।

किन्तु, जैसा परिशिष्ट 2 से देखा जा सकता है, 19 कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ एवं चार सांविधिक निगमों में से किसी ने भी निर्धारित अवधि के अन्दर वर्ष 2000-2001 के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था । अक्टूबर 2000 से सितम्बर 2001 की अवधि में, छः कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने पिछले वर्षों के 7 लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था । इसी प्रकार, एक अवधि में दो सांविधिक निगमों ने पिछले वर्षों के दो लेखाओं का अन्तिम रूप दिया था ।

30 सितम्बर 2001 को 19 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं चार सांविधिक निगमों के बकाए लेखाओं के परास एक वर्ष से 20 वर्षों की अवधि रही जिसकी विस्तृत विवरणी अधोलिखित है :

क्रमांक	वर्ष जिसके लेखे बकाए हैं	वर्षों की संख्या जिसके लेखे बकाए में है	कार्यशील कम्पनियों/ निगमों की संख्या		परिशिष्ट 2 का संदर्भित क्रमांक	
			सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें
1	2	3	4	5	6	7
1	1981-82 से 2000-2001	20	1	-	अ-12	-
2.	1982-83 से 2000-2001	19	1	-	अ-3	-
3.	1985-86 से 2000-2001	16	1	-	अ-8	-
4.	1986-1987 से 2000-2001	15	2	-	अ-7,10	-
5.	1989-90 से 2000-2001	12	2	-	अ-4, 13	-
6.	1991-92 से 2000-2001	10	1	-	अ-9	-
7.	1992-93 से 2000-2001	9	3	-	अ-17,18,19	-
8.	1993-94 से 2000-2001	8	3	-	अ-1,2,11	-
9	1994-95 से 2000-2001	7	2	-	अ-14,15	-

क्रमांक	वर्ष जिसके लेखे बकाए हैं	वर्षों की संख्या जिसके लेखे बकाए में है	कार्यशील कम्पनियों/ निगमों की संख्या		परिशिष्ट 2 का संदर्भित क्रमांक	
			सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें
1	2	3	4	5	6	7
10	1996-97 से 2000-2001	5	-	1	-	ब-2
11	1997-98 से 2000-2001	4	1	-	अ-16	-
12	1998-99 से 2000-2001	3	2	1	अ-5,6	ब-4
13	2000-2001	1	-	2	-	ब-1,3
	कुल		19	4		

प्रशासनिक विभागों को आश्वस्त एवं सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अवधि में लेखाओं का अन्तिमकरण हो और सा. से. उपक्रमों द्वारा उनको अंगीकृत किया गया । यद्यपि लेखाओं के निराकरण में बकाये सम्बन्धित जानकारी सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों तथा सरकारी पदाधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में लेखा परीक्षा द्वारा दी गयी थी, पर सरकार द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये । फलस्वरूप सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका ।

1.2.4 कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्य चालन परिणाम

कार्यशील लोक उपक्रमों (सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें) के उपलब्ध नवीनतम लेखाओं पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं । इनके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यशील निगम का संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम उन तीन नवीनतम वर्षों के लिए जिन वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है क्रमशः परिशिष्ट-4 एवं 5 में वर्णित है ।

18* सरकारी कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगमें के अन्तिम रूप दिए नवीनतम लेखाओं के अनुसार 12 कम्पनियाँ तथा तीन निगमों को क्रमशः 117.52 करोड़ रूपयों एवं 1116.71 करोड़ रूपयों की कुल हानि हुई, छः कम्पनियाँ एवं एक निगम ने क्रमशः 4.07 करोड़ रूपयों तथा 1.47 करोड़ रूपयों का लाभ अर्जित किया ।

1.2.4.1 कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

1.2.4.1.1 लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील कम्पनियाँ तथा लाभांश

नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार सितम्बर 2000 तक पिछले वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाली 18 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से छः कम्पनियों ने 4.07 करोड़ रूपये लाभ अर्जित किया । लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ में से किसी ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया । राज्य सरकार ने न तो न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति बनाई है और न कम्पनियों को कोई मार्ग दर्शन जारी किया है । केवल पांच कम्पनियों ने लगातार दो या दो से अधिक वर्षों से लाभ अर्जित किया है ।

---

* एक कम्पनी यथा बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम जिसका निगमीकरण 17.6.1993 को हुआ, ने अभी तक कोई लेखा नहीं तैयार की है ।

1.2.4.1.2 घाटा देने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

नीवनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाली 12 घाटा में चलने वाली सरकारी कम्पनियों में से सात कम्पनियों को 326.41 करोड़ रूपयों की कुल संचित हानि हुई थी, जो कुल प्रदत्त पूँजी 128.19 करोड़ रुपयों को पार कर गयी थी । बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष के अन्दर 2.03 करोड़ रूपयों का लाभ अर्जित किया, परन्तु इसकी 3.18 करोड़ रूपयों की संचित हानि 2.29 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी को पार कर गयी ।

1.2.4.2 कार्यशील सांविधिक निगमें

लाभ अर्जित करने वाली सांविधिक निगमें एवं लाभांश

सितम्बर 2001 तक अपने लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाली चार सांविधिक निगमों में से केवल बिहार राज्य भंडार निगम ने नवीनतम लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया था परन्तु कोई लाभांश घोषित नहीं किया ।

घाटा देने वाली सांविधिक निगमें

मार्च 2000 के अन्त में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) की 5955.07 करोड़ रूपयों के ऋण के विरूद्ध 4646.30 करोड़ रूपये की संचित हानि थी ।

दो सांविधिक निगमें यथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की संचित हानियाँ क्रमशः 325.45 करोड़ रूपये तथा 541.03 करोड़ रूपये थी तथा इन हानियों ने उनकी प्रदत्त पूंजी क्रमशः 101.27 करोड़ रूपये तथा 78.10 करोड़ रूपये का अपक्षरण किया ।

1.2.4.3 कार्यशील सांविधिक निगमों का प्रचालन निष्पादन

कार्यशील सांविधिक निगमों का प्रचालन निष्पादन परिशिष्ट-6 में वर्णित है ।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

बिक्री हेतु उपलब्ध ऊर्जा की संचरण एवं वितरण क्षति वर्ष 1997-98 के 25.41 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 28.30 प्रतिशत तथा 1999-2000 में थोड़ा घटकर 27.90 प्रतिशत हो गया था । 1999-2000 तक के तीन वर्षों की कालावधि में प्लान्ट लोड फैक्टर (पीएलफ) 30 प्रतिशत से कम रहा ।

बिहार राज्य वित्तीय निगम

अतिदेय (मूल एवं ब्याज) की अदायगी की राशि 1998-99 में 1288.04 करोड़ रूपये से बढ़कर 2000-2001 में 1626.73 करोड़ रूपया हो गया ।

बिहार राज्य भंडार निगम

भण्डारण क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता 1998-99 में 94 से घट कर 2000-2001 में 84 हो गयी ।

1.2.5 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं (30 सितम्बर 2001 तक) के अनुसार 18 कार्यशील कम्पनियों में नियोजित पूंजी* की गणना 819.16 करोड़ रूपये की गयी थी तथा उस पर कुल प्रतिफल पिछले वर्ष (30 सितम्बर 2000 तक अंतिम रुप दिये गये लेखाओं के अनुसार) (-) 6.91 करोड़ रुपये कुल प्रतिफल की तुलना में (-) 16.59 करोड़ रूपये का** था । इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों के संबंध में अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं (30 सितम्बर 2001 तक) के अनुसार नियोजित पूंजी एवं उस पर कुल प्रतिफल क्रमश: 1694.26 करोड़ रूपये तथा (-) 360.06 करोड़ रूपये गणना की गयी थी जबकि पिछले वर्ष (30 सितम्बर 2000 तक अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार) कुल प्रतिफल (-) 1992.46 करोड़ रूपया था । कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित नियोजित पूंजी तथा उस पर कुल प्रतिलाभ परिशिष्ट-2 में वर्णित है ।

1.3 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1.3.1 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2001 तक 31 अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों (31 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों) में कुल निवेश 614.59 करोड़ रुपये (इक्विटी 143.10 करोड़ रुपये, दीर्घ कालीन ऋण 471.09 करोड़ रुपये, अंश आवेदन धन: 0.40 करोड़ रुपये) जबकि 31 मार्च 2000 को 32 अकार्यशील सा. क्षे उपक्रमों (32 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों) में कुल निवेश 639.03 करोड़ रुपये (इक्विटी : 153.09 करोड़ रुपये; दीर्घ कालीन ऋण: 485.54 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन धन: 0.40 करोड़ रुपये) था । अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों का वर्गीकरण अधोलिखित था :

(करोड़ रुपयों में)

		निवेश					
				कम्पनियाँ		सांविधिक निगमें	
क्रम संख्या	अकार्यशील सा.क्षे.उपक्रमों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	सांविधिक निगमों की संख्या	इक्विटी#	दीर्घकालीन ऋण	इक्विटी#	दीर्घकालीन ऋण
(i)	परिसमापन की स्थिति	2	-	16.73	26.14	-	-
(ii)	बंद की स्थिति में	1	-	नगण्य	0.03	-	-
(iii)	विलय की स्थिति में	-	-	-	-	-	-
(iv)	अन्य	28	-	126.77	444.92	-	-
	कुल	31	-	143.50	471.09	-	-

उपरोक्त अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में से तीन सरकारी कम्पनियाँ 6 से 17 वर्षों से परिसमापन की स्थिति या कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 560 के अन्तर्गत बन्द की स्थिति में थीं तथा इन

---

* नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूंजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूंजी के योग का द्योतक है अपवाद स्वरूप वित्तीय निगम जहां नियोजित प्रदत्त पूंजी, फ्री रिजर्व एवं उधार (पुर्नवित सहित) के आदि एवं अंत के योग के मध्य का द्योतक है ।

** नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की गणना निवल लाभ/हानि एवं लाभ-हानि लेखा में उद्धृत उधार ली गयी निधि पर ब्याज को योगकर/घटाकर की जाती है ।

\# इक्विटी के अन्तर्गत कम्पनियों के लिए इक्विटी में अंश आवेदन धन 0.40 करोड़ रूपये सन्निहित है ।

कम्पनियों में 42.90 करोड़ रूपयों की पुष्ट निवेश अंतनिहित थे । इसके अतिरिक्त, 12 कम्पनियों ने परिसमापन की अनुमति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवेदन किया है । इनकी शीघ्र परिसमापन या पुनर्जीवन हेतु सार्थक कार्रवाई की आवश्यकता है ।

31 मार्च 2001 एवं 31 मार्च 2000 के अन्त में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (इक्विटी तथा दीर्घकालीन ऋण) तथा उनकी प्रतिशतता निम्नांकित पाई चार्टों में दर्शाई गई है :

31 मार्च 2001 तक निवेश

(राशि करोड़ रूपयों में)

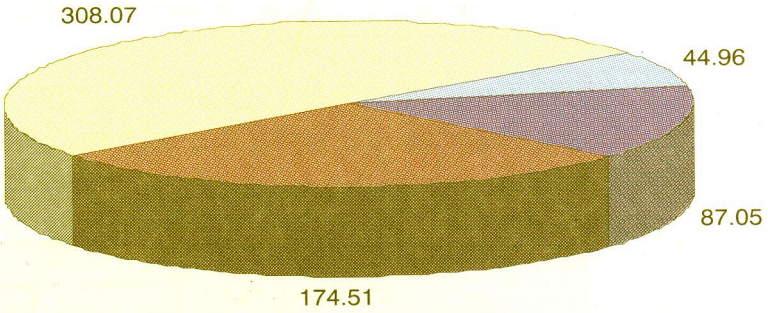

(प्रकोष्ठ में आंकड़े निवेश के प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

- कृषि एवं समवर्गी (14.17%)
- चीनी (50.13%)
- अभि. इलेक्ट्रॉ. एवं विविध उद्योगों में (28.39%)
- अन्य (7.31%)

31 मार्च 2000 तक निवेश

(राशि करोड़ रूपयों में)

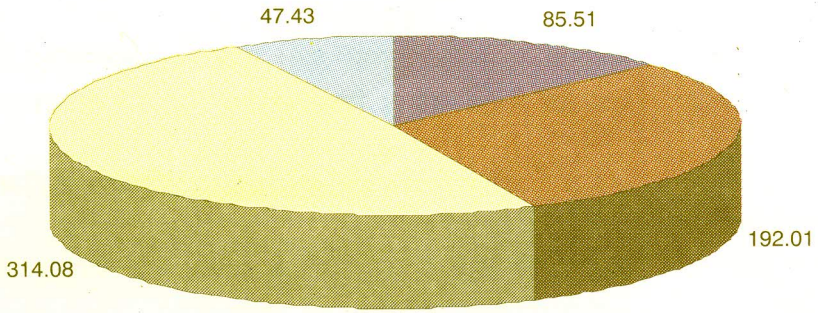

(प्रकोष्ठ में आंकड़े निवेश के प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

- कृषि एवं समवर्गी (13.38%)
- चीनी (49.15%)
- अभि. इलेक्ट्रॉ. एवं विविध उद्योगों में (30.05%)
- अन्य (7.42%)

1.3.2 आय-व्ययक से बहिर्गामी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूतियाँ, देय की परित्याग तथा ऋणों का अंशपूंजी में स्थानान्तरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य सरकार ने इक्विटी, ऋण, सहाय्य एवं अनुदान के रूप में आय-व्ययक से सहायता नहीं दी थी । परन्तु, राज्य सरकार के द्वारा आठ अकार्यशील कम्पनियों को प्रत्याभूत ऋण 2000-2001 तक बकाए पड़े रहे जिनमें से सात कम्पनियाँ 14.19 करोड़ रूपयों की वापसी में दोषी रहे । 31 मार्च 2001 को बकाए प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी परशिष्ट-3 में दिए गए हैं ।

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के कुल स्थापना व्यय

2000-2001 तक तीन वर्षों की अवधि में अलग-अलग प्रबन्धकों द्वारा दिए गए अकार्यशील लोक उपक्रमों के कुल स्थापना व्यय का वर्षवार ब्यौरा तथा उनके वित्तपोषण के श्रोत नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सा. क्षे. उपक्रमों की संख्या	कुल स्थापना व्यय	के द्वारा वित्त प्रदत्त				
			निवेश/ परिसम्पत्तियों का निष्पादन	निजी पार्टियों से ऋण	सरकार के द्वारा		अन्य
					ऋण	अनुदान	
अकार्यशील	कम्पनियाँ						
1998-99	22*	46.36	0.06	-	-	-	0.36
1999-2000	22*	46.59	-	-	-	-	0.38
2000-2001	22*	49.74	-	-	-	-	0.20

नमूना जांच के क्रम में यह पाया गया की उपरोक्त कम्पनियों के अलग अलग प्रबन्धकों ने 31 मार्च 2001 तक कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी की राशि । 49.54 करोड़ रूपये के भुगतान भी नहीं किये थे ।

1.3.3 अकार्यशील सा. क्षे. उ. के लेखाओं का अन्तिमकरण

परिशिष्ट-2 से 30 सितम्बर 2001 तक 31 अकार्यशील कम्पनियों के बकाए की अवधि की परास एक वर्ष से 24 वर्ष थे जिसे परिशिष्ट -2 में देखा जा सकता है ।

1.3.4 अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में वर्णित हैं ।

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर प्रदत्त पूंजी, नेटवर्थ, नगद हानि /नगद लाभ तथा संचित हानि/संचित लाभ का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

* बाकि नौ सरकारी कम्पनियों ने अपेक्षित सूचना नहीं दी

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कम्पनियों की संख्या	वर्ष	प्रदत्त पूंजी	नेटवर्थ	नगद हानि (-)/ नगद लाभ	संचित हानि (-)/ संचित लाभ(+)	परिशिष्ट 2-स का संदर्भ
1.	1	1978-79	5.00	(-)6.20	2.78	(-)11.20	1
2.	1	1982-83	5.60	4.74	0.04	(-)0.86	3
3.	4	1983-84	8.50	5.86	(-)1.61	(-)2.64	11,17,25,29
4.	1	1984-85	1.44	1.42	(-)0.01	(-)0.02	31
5.	8	1985-86	17.09	(-)56.99	(-)9.10	(-)74.08	10,12,13,14, 19,26,28,30
6.	4	1986-87	22.69	(-)15.73	(-)7.74	(-)38.42	4,6,8,16
7.	3	1987-88	13.38	(-)0.54	(-)1.21	(-)13.92	7,21,24
8.	2	1988-89	2.04	0.98	(-)0.42	(-)1.06	15,22
9.	2	1990-91	8.54	1.95	(-)0.73	(-)10.49	2,5
10.	1	1994-95	2.17	(-)5.99	(-)1.43	(-)8.16	20

टिप्पणी-नेटवर्थ, नगद हानि/लाभ तथा संचित हानि/लाभ अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं पर आधारित है ।

1.4 *सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की विधान मंडल में प्रस्तुतिकरण की स्थिति*

सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों (पृ०ले०प्र०) का सरकार द्वारा विधान-सभा में प्रस्तुतीकरण की स्थिति को निम्न तालिका दर्शाती है ।

क्रमांक	सांविधिक निगम के नाम	विधान मंडल में पृ०ले०प्र० की प्रस्तुतिकरण की तिथि	विधान मंडल में पृ०ले०प्र० के न-प्रस्तुतीकरण के वर्ष		
			पृ०ले०प्र० के वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधान सभा में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1996-97	1997-98	27.6.2001	कारण असूचित
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 1995-96	1990-91 13.5.97 1991-92 9.6.97 1992-93 2.9.98 1993-94 2.9.98 1994-95 4.12.98 1995-96 18.4.2000	निगमों के द्वारा प्रतिवेदनों की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी ।
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	1988-89	1989-90 से 2000-2001	1995-96 13.5.97 1996-97 28.4.99 1997-98 27.7.99 1998-99 8.8.2000 1999-2000 3.12.2001	वही
4.	बिहार राज्य भंडार निगम	अनुपलब्ध	-	-	-

1.5 भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 2000 से सितम्बर 2001 के कालावधि में छः कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम के लेखाओं को समीक्षा हेतु चयनित किया गया था । सा.क्षे. उपक्रमों के लेखाओं की समीक्षा के फलस्वरूप लेखा-परीक्षा के मुख्य अवलोकन का निवल परिणाम निम्नलिखित थे :

ब्यौरा	लेखाओं की संख्या		राशि (लाख रुपये में)	
	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें
(i) लाभ में ह्रास	1	1	400.00	135.46
(ii) लाभ में वृद्धि	-	-	-	-
(iii) हानि में वृद्धि	–	1	-	16.72

उपर्युक्त कुछ कम्पनियां एवं निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान कुछ बड़ी भूल-चूक पाए गये जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है :

1.5.1 सरकारी कम्पनियों के मामले में पाए गए भूल-चूक

(i) बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (1996-97)

सरकारी ऋण पर ब्याज (19.50 लाख रूपये) तथा राज्य सरकार को भुगतेय केन्दु पत्ते पर रायल्टी (9.86 करोड़ रूपये) का लेखे में प्रावधान न करने के कारण अद्यतन देयताऐं एवं प्रावधानों को 10.05 करोड़ रूपये कम कर बताया गया । फलस्वरूप लाभ को 4 करोड़ रुपये अधिक तथा संचित हानि को 10.05 करोड़ रुपये कम कर बताया गया ।

(ii) तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड (1993-94)

सरकारी ऋणों पर 9.40 करोड़ रूपये का दण्ड ब्याज का प्राधान तथा परिसम्पत्तियों पर 2.11 करोड़ रूपये के मूल्य ह्रास का प्रावधान न करने के फलस्वरूप विकास व्यय 11.51 करोड़ रूपये से कम दर्शित हो गया था ।

1.5.2 सांविधिक निगमों के मामले में पाए गए भूल-चूक

(i) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (1997-98)

वर्ष 1997-98 के दौरान बोर्ड के द्वारा गणन की गयी 326.88 करोड़ रूपयों के घाटा को निम्नलिखित तथ्यों के कारण 1611.40 करोड़ रूपया कम कर बताया गया है :

(करोड़ रूपयों में)

सहायक अनुदान का प्रावधान करना	154.86
ऊर्जा के क्रय से सम्बन्धित व्यय का प्रावधान न करना	47.35
ऋण पर ब्याज/दण्ड ब्याज का प्रावधान न होना	201.07
पिछले वर्षों से सम्बन्धित सहायक अनुदानों का ऋण के रूप में, चोरी हुई सामग्रियों एवं साइडिंग चार्जेज का लेखाओं में न लेना	1149.74
ऊर्जा की आपूर्ति के विरूद्ध प्राप्य का प्रावधान न करना	39.88
विविध मदों में प्रावधान का न होना	18.50

(ii) बिहार राज्य वित्तीय निगम (1999-2000)

कर्मचारियों के वेतन एवं लाभ के प्रावधान को 1.67 करोड़ रूपये कम बताने के फलस्वरूप वर्ष के दौरान 79.08 करोड़ रूपये की कम हानि बतायी गई । अद्यतन देयताऐं भी उतनी ही कम बतायी गयी ।

(iii) बिहार राज्य भंडार निगम (1997-98)

ब्याज (74.40 लाख रूपये), बकाए वेतन (2.54 लाख रूपये), मूल्य ह्रास (11.87 लाख रूपये), संदिग्ध अदायगी वाले ऋण (27.99 लाख रूपये), यात्रा भत्ते के दावे (1.50 लाख रूपये) का असमायोजन तथा भंडार हानियों (17.08 लाख रूपये), इन सभी का लेखे में प्रावधान न करने के कारण वर्ष के लिए निगम का लाभ (1.47 करोड़ रूपये) को 1.35 करोड़ रूपये अधिक बताया गया था ।

1.5.2.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणाम का लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण

1997-98 तक तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित कार्यचालन परिणाम पर आधारित तथा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं पर पृ०ले०प्र० में निर्देशित बड़ी अनियमिताएँ तथा भूल चूक को ध्यान में रखते हुए और सरकार से प्राप्य सहाय्य/अर्थ सहाय्य को हटाते हुए, बोर्ड का निवल बचत/घाटा एवं नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता निम्नलिखित होंगे :

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	ब्यौरा	1995-96	1996-97	1997-98
1.	लेखा-पुस्तिका के अनुसार घाटा	(-)27.51	(-)327.40	(-)326.88
2.	राज्य सरकार से सहायिकी	191.09	565.43	707.16
3.	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व घाटा	(-)218.60	(-)892.83	(-)1034.04
4.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखा पर लेखा-परीक्षा की टिप्पणी के फलस्वरूप निवल बचत/ (-) घाटा में निवल वृद्धि/ह्रास (-)	(-)239.21	(-)1554.24	(-)1611.40
5.	राज्य सरकार से साहाय्य के पूर्व तथा लेखा-परीक्षा की टिप्पणी के अभिघट्टन को लेते हुए निवल बचत/(-) घाटा (3-4)	(-)457.81	(-)2447.07	(-)2645.44
6.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-)286.83	(-)210.43	(-)2301.60

1.5.3 सा. क्षे. उपक्रमों के वित्तीय मामलों में निरन्तर अनियमितताएं एवं प्रणाली कमी

सा. क्षे. उपक्रमों के वित्तीय मामलों में निरन्तर अनिमितताएं एवं प्रणाली कमियां उनके लेखाओं के लेखापरीक्षा क्रम में बार-बार बतलाए गए थे परन्तु लोक उपक्रमों द्वारा कोई उचित कदम अबतक नहीं लिया गया था ।

(i) सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के लेखे में बारम्बार बतलाने के बावजूद राज्य सरकार को भुगतेय केन्दु पत्ते पर रायल्टी का प्रावधान नहीं किया गया था, फलस्वरूप लेखे में अधिक लाभ/कम हानि दर्शित हुई ।

(ii) सांविधिक निगमें

वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों में कायलों की कमी का लेखे में समायोजन न होना बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लेखे की निरन्तर भूलचूक है ।

1.6 सा. क्षे. उपक्रमों के बन्द करने के लिए अनुशंसा

बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड नामक दो कम्पनियाँ परिसमापन की स्थिति में हैं । एक कम्पनी बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड बन्द होने के क्रम में है । 12* कम्पनियों ने माननीय उच्च नयायालय में परिसमापन हेतु आवेदन किया है । माननीय न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है । इनके अतिरिक्त, 23 से 37 वर्षों के अस्तित्व के बावजूद, तीन कम्पनियों (दो कार्यशील एवं एक अकार्यशील) के अन्तिम रूप दिए गए पिछले पांच वर्षों के नवीनतम लेखाओं के प्रत्येक में पूर्ण बिक्री (टर्न ओवर) पांच करोड़ रूपयों से कम थे । अल्प पूर्ण बिक्री (पूअर टर्न ओवर) को ध्यान में रखते हुए सरकार इन कम्पनियों के कार्यकलाप में सुधार कर सकती हैं अथवा इनको बन्द करने का विचार कर सकती है ।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा समिक्षाओं के प्रत्युत्तर

लेखा परीक्षा के क्रम में पाए गए वैसे लेखाआपत्तियाँ जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सा. क्षे. उपक्रमों के प्रधान तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को सूचित किया जाता है । सा. क्षे. उपक्रमों के प्रधानों को अपने अपने विभागध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रत्युत्तर छः सप्ताह के कालावधि के अन्दर भेजना है । मार्च 2001 तक 50 सा. क्षे. उपक्रमों को निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन बतलाते हैं कि 2023 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10357 कंडिकाऐं सितंबर 2001 तक लम्बित पड़ी थी । इनमें से निरीक्षण प्रतिवेदनों के 1399 कंडिकाओं का उत्तर विगत चार से 10 वर्षों के अधिक अवधि से नहीं दिया गया था । 30 सितम्बर 2001 तक निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा-आपत्तियों का विभागावार ब्यौरा परिशिष्ट-7 में वर्णित है ।

उसी प्रकार, प्रारूप कंडिकाएं तथा सा. क्षे. उपक्रमों के कार्यचालन पर समीक्षाएं सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रधान सचिव को तथ्यों एवं आंकड़ों की सम्पुष्टि एवं इनपर उनके छः सप्ताह के अन्दर मन्तव्य के लिए अर्द्धशासकीय रूप में अग्रसारित किए जाते हैं । परन्तु यह देखा गया कि जुलाई 2000 से जून 2001 तक की कालावधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित 14 प्रारूप कंडिकाओं एवं एक प्रारूप समीक्षा के उत्तर अब तक नहीं दिए गए थे, जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 8 में दी गयी है ।

---

* परिशिष्ट-1 का क्रम संख्या-स- 4,6,7,11,12,13,14,17,18,25,28,29

यह अनुशंसा की जाती है कि (अ) सरकार को वैसे अधिकारियों के विरूद्ध जो विहित समय अनुसूचि के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में असफल हो जाते हैं, कार्रवाई करने की प्रक्रिया का निर्धारण सुनिश्चित करना चाहिए; (ब) हानि/बकाए, अग्रिमों/अधिक भुगतानों की अदायगी समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए; (स) लेखा परीक्षा आपत्तियों के उत्तर देने की प्रणाली को दुरूस्त करनी चाहिए ।

1.8 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) एवं उससे सम्बन्धित निर्णय हेतु लम्बित समीक्षाओं/कंडिकाओं की सितम्बर 2001 तक की स्थिति निम्नलिखित है :

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समिक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या			
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित कुल संख्या		विचार विमर्श के लिए लम्बित कुल संख्या	
	समिक्षायें	कंडिकायें	समिक्षायें	कंडिकायें
1981-82	4	8	3	7
1982-83	8	18	5	16
1983-84	4	34	3	29
1984-85	3	9	3	9
1985-86	3	21	3	20
1986-87	6	29	6	23
1987-88	5	23	5	6
1988-89	4	44	4	12
1989-90	6	48	6	12
1990-91	4	39	4	8
1991-92	4	49	4	16
1992-93	5	31	5	15
1993-94	3	32	3	16
1994-95	3	19	3	14
1995-96	3	21	3	16
1996-97	3	21	3	18
1997-98	2	25	2	25
1998-99	6	15	6	15

वर्ष 1999-2000 के लेखा परीक्षा (वाणिज्यिक) को विधान सभा के पटल पर अभी तक प्रस्तुत किया नहीं किया गया है (सितम्बर 2001) ।

1.9 619-बी कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-(बी) के अर्न्तगत आठ कम्पनियाँ थी । इनमें से, छः कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया तथा इनको बन्द करने के लिए सोन कमाण्ड एरिया डेवलेपमेंट एजेन्सिज (एसकाडा) ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सितम्बर 2000 को आवेदन दाखिल किया । इन कम्पनियों का नवीनतक लेखाओं के आधार पर संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम तथा प्रदत्त पूंजी, अंश-पूंजी के रूप में निवेश, ऋण तथा अनुदान की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-9 में वर्णित है ।

अध्याय-II

सरकारी कंपनियों से संबंधित समीक्षाएं

2क तेनूघाट विद्युत् निगम लिमिटेड के कार्यकलाप पर समीक्षा

मुख्यअंश

पर्याप्त निधियों के रहने के बावजूद ऋण की अदायगी में कंपनी चूककर्त्ता रही फलस्वरूप ऊर्जा वित्त निगम द्वारा दंड-ब्याज के 43.07 करोड़ रूपए की उगाही की गई। (कंडिका 2क.4(ख) (iii))

इकाई-I एवं II में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 42 एवं 43 महीनों के विलंब के बाद शुरू होने के कारण 1501.05 करोड़ रूपए मूल्य के 8934.81 मिलियन यूनिट संभाव्य उत्पादन की हानि हुई। (कंडिका 2क.6)

संयंत्र उपलब्धता के निर्धारित मानक 80 प्रतिशत की उपलब्धि न होने से 800.00 करोड़ रूपए मूल्य के 4761.96 मिलियन यूनिट के संभाव्य उत्पादन की हानि हुई। (कंडिका 2क.6.1)

68.5 प्रतिशत के प्लान्ट लोड फैक्टर की अप्राप्ति के कारण 1996-97 से 2000-01 के दौरान 845.18 करोड़ रूपए मूल्य के 5030.32 मिलियन यूनिट का उत्पादन कम हुआ। (कंडिका 2क.6.2)

9 प्रतिशत मानक के विरूद्ध ऊर्जा संयंत्र के अनुषंगी ऊर्जा की खपत 1996-97 से 2000-01 के दौरान 12.15 से 13.68 प्रतिशत के परास में रहा। जिससे 38.03 करोड़ रूपए मूल्य के 226.36 मिलियन यूनिट अनुषंगी ऊर्जा की अधिक खपत हुई। (कंडिका 2क.6.4)

विलंब से किए गए पूंजीगत अनुरक्षण एवं आंतरिक कारकों के कारण बंदी पर नियंत्रण रखने में प्रबंधन की विफलता से 24675 घंटे के लिए संयंत्र की बंदी हुई। इसके फलस्वरूप 596.28 करोड़ रूपए मूल्य के 3549.34 मिलियन यूनिट संभाव्य उत्पादन की हानि हुई। (कंडिका 2क.6.6)

5.27 पैसे प्रति किलोवाट घंटे के प्रक्षेपित लागत के विरुद्ध 1997-98 में उर्जा-उत्पादन की लागत 157 पैसे प्रति किलोवाट घंटे से 1999-2000 में 220 पैसे प्रति किलोवाट घंटे के परास में था। (कंडिका 2क.6.7)

1996-97 से 2000-01 के दौरान 74.68 करोड़ रूपए मूल्य के कोयले एवं 66.90 करोड़ रूपए मूल्य के लाईट डीजल ऑयल की खपत निर्धारित मानक से अधिक हुई। (कंडिका 2क.7.2 एवं 2क.7.3)

निम्नतर कोटि के कोयले को स्वीकार कर उच्चतर कोटि के कोयले के लिए भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप 9.99 करोड़ रूपए का अधिक भुगतान हुआ। (कंडिका 2क.8.1 (i))

आपूर्तिकर्ता से वैगनों की सुपुर्दगी लेने में कंपनी की विफलता के फलस्वरूप 4 करोड़ रुपये की लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कंपनी को 0.68 लाख रुपये प्रतिमाह भंडारण प्रभार के रूप में दायित्व के साथ 0.35 करोड़ रुपये प्रति वर्ष ब्याज की हानि हुई। (कंडिका 2क.8.2 (ख))

स्टेज II के मेरी गो राउण्ड (एम.जी.आर.) के लिए परामर्शी सेवा पर 0.52 करोड़ रूपए का व्यय निष्फल हो गया। (कंडिका 2क.8.2 (ग))

मार्च 2000 में समाप्त दो वर्षों के दौरान 1.68 रूपए प्रति किलोवाट घंटा विक्रय मूल्य की तुलना में अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण कुल 64.99 करोड़ रूपए की हानि हुई। (कंडिका 2क.9.2 (ii))

भेल द्वारा किए गए कार्यों में कुछ निम्न स्तरीय थे और कुछ या तो अधूरे या पूर्णरूपेण छोड़ दिए गए। फलस्वरूप 559.46 करोड़ रूपए मूल्य के कुल 3330.06 मिलियन यूनिट संभाव्य उत्पादन की हानि हुई। (कंडिका 2क.10)

2.क.1 प्रस्तावना

तेनूघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (कंपनी) को एक पूर्ण स्वामित्ववाली सरकारी कंपनी के रूप में नवम्बर 1987 में निगमित किया गया था। कंपनी ने तेनूघाट ताप विद्युत् केन्द्र को 168.44 करोड़ रूपए की लागत पर बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) से लिया (मार्च 1990) जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण विलेख के निष्पादन/अंतिमरूप नहीं दिए जाने के कारण आज तक नहीं किया गया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य तेनूघाट ताप विद्युत् केन्द्र (टी.टी.पी.एस.) के कार्य को शीर्घ एवं समय पर पूरा करना और विद्युत् परियोजना के परिचालन एवं अनुरक्षण के द्वारा बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को विद्युत् का प्रावधान करना था।

2क.2 संगठनात्मकढाँचा

कंपनी का प्रबंधन एक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) सहित कम से कम दो और अधिकतम बारह निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यगण क्रमशः पदेन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) एवं बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक कंपनी के मुख्य कार्यपालक होते हैं जिनकी सहायता मुख्यालयों में मुख्य अभियंता और वित्त-नियंत्रक द्वारा तथा परियोजना स्थल पर एक महाप्रबंधक, नौ अधीक्षण अभियंताओं एवं एक उप निदेशक, लेखा द्वारा की जाती है । यद्यपि एक विद्युत् अधीक्षण अभियंता (ई.एस.ई.) कंपनी में एक सचिव के रूप में कार्यरत है, परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अन्तर्गत आवश्यक एक योग्य सचिव आरंभ से नहीं थे ।

2क.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1994-95 तक कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक), बिहार सरकार के 31 मार्च 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में की गई जिसपर लोक उपक्रम समिति (ले.उ.स.) द्वारा चर्चा नहीं की गई थी (मार्च 2001) । वर्त्तमान समीक्षा दिसंबर 2000 से मार्च 2001 के दौरान की गई जिसमें मार्च 2001 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान कंपनी के कार्य कलाप एवं परिचालन निष्पादन को शामिल किया गया ।

2क.4 परियोजना-वित्तपोषण

(क) पूंजी

कंपनी की अधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रूपए 1000रूपए के प्रत्येक शेयर 10 लाख शेयरों में बंटी है । कंपनी के अपनी अधिकृत पूंजी को 350 करोड़ रूपए तक बढ़ाने का अनुरोध (सितंबर 1999) को राज्य सरकार द्वारा इसलिए नहीं माना गया कि यह प्रस्ताव बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में बिना अनुमोदन प्राप्त किए भेजा गया था (सितंबर 1999) । वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे सरकार के पास पुनः भेजा गया (अप्रैल 2000) । न तो अभी तक सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है (जुलाई 2001) और न ही कंपनी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुवर्त्ती कार्रवाई की गई

(ख) उधार

कंपनी ने मार्च 2001 तक राज्य सरकार से 708.71 करोड़ रूपए और ऊर्जा वित्त निगम (पी.एफ.सी.) से 158.00 करोड़ रूपए का ऋण तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र (टी.टी.पी.एस.) के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त किया था । राज्य सरकार से ऋण की शर्तों में 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज-दर तथा ब्याज सहित मूलधन की समय पर अदायगी पर 0.25 प्रतिशत की छूट तथा चूक के मामले में 2.5 प्रतिशत दण्ड का प्रावधान था । ऊर्जा वित्त निगम से लिए गए ऋणों की ब्याज दरें 12.5 से 16.75 प्रतिशत के परास में थीं और ऋण की अदायगी में चूक के मामले में 2.75 प्रतिशत दंड ब्याज का प्रावधान था। इन ऋणों की गारंटी राज्य सरकार द्वारा ली गई थी।

अभिलेखों की छानबीन से निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियाँ उजागर हुई जिसके कारण भुगतान/दंड ब्याज का दायित्व एवं परिहार्य हानि हुई :

(i) आरंभ से ही कंपनी राज्य सरकार को ऋण की अदायगी एवं ब्याज के भुगतान की दोषी रही है । मार्च 2001 तक सरकारी ऋण पर ब्याज का कुल संचित दायित्व 636.86 करोड़ रूपए तक थी । चूक के कारण कंपनी को 1.52 करोड़ रूपए की छूट से वंचित रहना पड़ा और दंड ब्याज के लिए 15.22 करोड़ रूपए का दायित्व उठाना पड़ा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत (मार्च 1997 से जुलाई 1999 तक) ऋण (60.98 करोड़ रूपए) में से कंपनी ने बिना तात्कालिक आवश्यकता के मार्च 1997 से जुलाई 1999 के दौरान 12 करोड़

रूपए, 9 करोड़ रूपए तथा 40 करोड़ रूपए की निकासी की । राज्य सरकार के विशिष्ट निर्देश कि रूपए को बैंक में नहीं रखना है, के बावजूद रूपये को सावधि जमा प्राप्ति अल्पावधिजमा एवं अस्थिर अवधि जमा में 5 से 10.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 90 से 730 दिनों तक की अवधि के लिए रख दिया गया। इस कारण कंपनी को 11.23 करोड़ रूपए ब्याज का भुगतान करना था जबकि उसने सिर्फ 8.81 करोड़ रूपए अर्जित किया । इस प्रकार, कंपनी ने 2.42 करोड़ रूपए के दायित्व का सृजन किया। इसके अलावे ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ ।

ऋण की अदायगी में चूक के कारण 43.07 करोड़ रूपए दंड-ब्याज की उगाही

(iii) ऊर्जा वित्त निगम (पीएफसी) से लिए ऋण से कंपनी ने जून 1993 तक 29.42 करोड़ रूपए ब्याज सहित ऋण लौटाया और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा प्रर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने पर भी ऋण की अदायगी में चूक कर्त्ता रही । लगतार चूक के कारण ऊर्जा वित्त निगम ने जून 1997 में 205.47 करोड़ रूपए ऋण की अदायगी को पुनर्निधारित किया जिसमें बकाए ब्याज एवं शेष मूलधन की राशि का कुल योग था। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा वित्त निगम द्वारा 43.07 करोड़ रूपए का दंड-ब्याज भी लगाया गया और कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया । कंपनी पुनर्निधारित योजना के अनुसार नियमित रूप से भुगतान कर रही है ।

इस प्रकार, निधि की उपलब्धता के बावजूद ऋण की अदायगी में कंपनी की विफलता के कारण दंड-ब्याज के रूप में 43.07 करोड़ रूपए के अतिरिक्त दायित्व का सृजन हुआ । इस चूक के लिए अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं की गई (जुलाई 2001) ।

2क.5 वित्तीय स्थिति एवं कार्य-परिणाम

कंपनी ने लेखाओं के संकलन/अंतिम रूप देने के लिए लेखा नियमावली को न तो तैयार किया है और न ही अपनाया है । कंपनी की लेखा 1994-95 से खासकर कंपनी के मुख्यालय में योग्य लेखा कर्मियों की कमी और सनदी लेखाकार के एक फर्म जिसकी नियुक्ति (अगस्त 1997) 1994-95 एवं 1995-96 के वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए की गई थी की विफलता के कारण बकाये में है । यद्यपि कंपनी ने वर्ष 1994-95 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने हेतु सनदी लेखाकार के दूसरे फर्म को नियुक्त किया (जुलाई 2000) फिर भी अभी तक (जुलाई 2001) लेखा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । लेखा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण जुलाई 1996 में आरंभ उत्पादन के संबंध में कंपनी के क्रिया कलापों की सही स्थिति को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

2क.6 उत्पादन-निष्पादन

31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका 2क.7.1 में इकाई-I एवं II के सिंक्रोनाइजेशन/वाणिज्यिक उत्पादन की पुनर्निर्धारित तिथि का भी अनुवर्तन नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया था ।

इकाई-I एवं II के संबंध में सिंक्रोनाइजेशन/वाणिज्यिक उत्पादन की पुनर्निर्धारित तिथि क्रमशः सितंबर 1992/दिसंबर 1992 तथा मार्च 1993/जून 1993 के विरूद्ध सिंक्रोनाइजेशन/वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि क्रमशः अप्रैल 1994/जुलाई 1996 एवं अक्टूबर 1996/फरवरी 1997 थीं।

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने में विलंब के फलस्वरूप 1501.05 करोड़ रूपए मूल्य के उत्पादन की हानि

इस प्रकार, इकाई-I के सिंक्रोनाइजेशन/वाणिज्यिक उत्पादन में 18 एवं 42 महीनों का तथा इकाई-II के सिंक्रोनाइजेशन/वाणिज्यिक उत्पादन में 42 एवं 43 महीनों का विलंब था । विलंब का कारण मुख्य रूप से भेल को निर्माण-स्थल को हस्तांतरित करने में विलंब, परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न करना, मशीनों की आपूर्ति एवं उनके संस्थापन में विलंब और प्रचालन एवं अनुरक्षण करने वाले कर्मिकों का नियेजन नहीं किया जाना था । इकाई-I एवं II के वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने में 42 और 43 महीनों के विलंब के फलस्वरूप 1501.05 करोड़ रूपए मूल्य (1.68 रूपए प्रति किलो वाट घंटे विक्रय मूल्य पर परिगणित) 8934.81 मिलियन यूनिट (68.5 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर पर परिगणित) संभाव्य उत्पादन की हानि हुई ।

कोयला, तेल एवं प्रचालन कार्मिक की अनुलपब्धता के कारण वाणिज्यिक उत्पादन में विलंब हुआ ।

भेल के साथ करारनामे के प्रावधान के अनुसार, सिंक्रोनाइजेशन के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए मात्र तीन महीने का समय अनुमान्य था । तथापि, इकाई-I एवं II के सिंक्रोनाइजेशन एवं वाणिज्यिक उत्पादन के बीच लिया गया वास्तविक समय 26 एवं 4 महीने के बीच थे । सिंक्रोनाइजेशन के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन में अत्यधिक विलंब का कारण मुख्यतया कोयला, तेल और प्रचालन कार्मिकों की अनुपलब्धता थी ।

2000-01 तक पांच वर्षों के दौरान संभावित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन, संस्थापित क्षमता का प्रति किलो वाट वास्तविक उत्पादन, संयंत्र की उपलब्धता, क्षमता की उपयोगिता इत्यादि के ब्योरे परिशिष्ट-10 में दिये गये हैं । इकाई-I एवं II के लिए संभावित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन और उसमे कमी निम्न ग्राफ के रूप में दर्शाये गये हैं ।

उत्पादन-निष्पादन (मि. कि. वा. घं. में)

इकाई-I

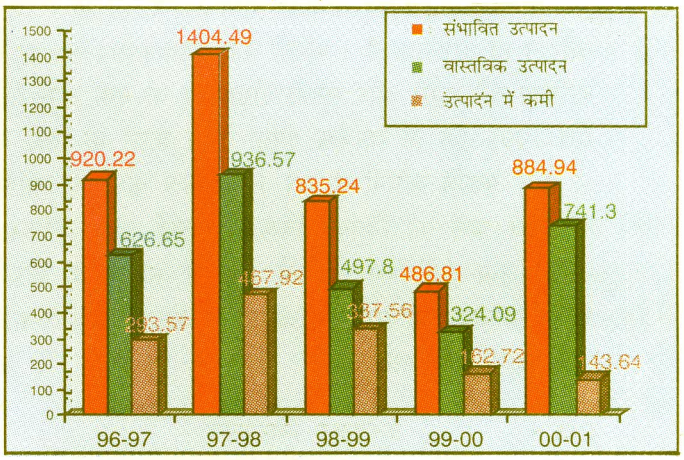

इकाई-II

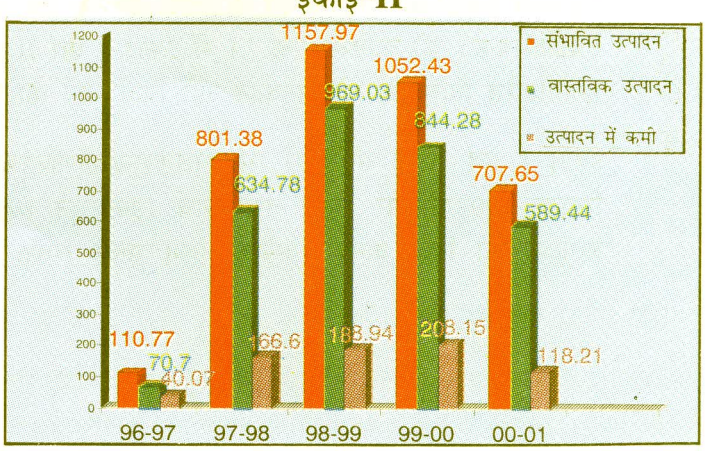

परिशिष्ट-10 के विस्तृत अध्ययन से निम्नलिखित बिन्दुएं प्रकाश में आयी :

2क.6.1 संयंत्र उपलब्धता

विहित संयंत्र उपलब्धता प्राप्त नहीं की गई ।

भारत सरकार द्वारा गठित कुलकर्णी समिति (अप्रील 1975) की सिफारिशों के अनुसार वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध घंटों के 80 से 85 प्रतिशत की सीमा तक प्रचालन के लिए उत्पादन इकाईओं के उपलब्ध रहने की उम्मीद की गई थी । राजाध्यक्ष समिति ने भी अपने प्रतिवेदन (सितंबर 1980) में योजनाबद्ध अनुरक्षण एवं जबरन बंदी के प्रति संतुलन बनाए रखने के पश्चात् 80 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता का होना उचित माना था । परन्तु 1996-97 से 2000-01 की अवधिके दौरान इकाई-I की संयंत्र उपलब्धता 1997-98 में 76.35 प्रतिशत और 1999-2000 में 26.39 प्रतिशत के बीच तथा इकाई-II की 1998-99 में 62.95 प्रतिशत और 1996-97 में 37.25 प्रतिशत के बीच रही जो ऊपर वर्णित समिति द्वारा विहित मानक से बहुत कम थी । इस प्रकार 2000-01 तक पांच वर्षों के दौरान निर्धारित 80 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता की अप्राप्ति के फलस्वरूप 800.00 करोड़ रूपए मूल्य के 4761.96 मिलियन यूनिट संभाव्य उत्पादन की कमी हुई ।

लेखा परीक्षा में यथा विश्लेषित संयंत्र उपलब्धता की कम प्रतिशतता के कारण टयूब रिसाव एवं हाईड्रोजन सीलिंग सिस्टम के मरम्मत हेतु अधिक लंबी अवधि लगना, विद्युतीय विफलता आदि थे जिसकी चर्चा कंडिका 2क.6.6 (इन्फ्रा) में की गई है ।

2क.6.2 निम्न प्लान्ट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.)

निम्न प्लान्ट लोड फैक्टर पर प्लान्टों के चलने से 845.18 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन में कमी हुई ।

कंपनी के ताप विद्युत् केन्द्र के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार विद्युत् केन्द्र के प्लान्ट लोड फैक्टर 68.5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और वार्षिक प्रचालन के 6000 घंटे में प्रति किलोवाट उत्पादन संस्थापित क्षमता के 6000 किलो वाट घंटा होना चाहिए ।

परंतु, इकाई-I एवं II का प्लान्ट लोड फैक्टर बहुत कम था और क्रमशः 17.56 से 50.91 प्रतिशत तथा 23.78 से 52.68 प्रतिशत के परास में था । इसी प्रकार, संस्थापित क्षमता के 6000 किलो वाट घंटा प्रति किलो वाट उत्पादन का स्वीकृत मानक भी प्राप्त नहीं हुआ और मार्च 2001 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान इकाई-I में 1543 से 4460 किलो वाट घंटा और इकाई-II में 2020 से 4614 किलो वाट घंटा के बीच रहा । 1996-97 से 1998-99 के दौरान अखिल भारतीय औसत प्लान्ट लोड फैक्टर 64.4 से 64.7 प्रतिशत था । इस प्रकार, 68.5 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर की प्राप्ति नहीं होने के कारण 1996-97 से 2000-01 के दौरान 845.18 करोड़ रूपए मूल्य के 5030.32 मिलियन यूनिट का उत्पादन कम हुआ ।

कम प्लान्ट लोड फैक्टर रहने के मुख्य कारण कोल फीडिंग सिस्टम के अनियमित चालन से संयंत्र उपलब्धता में कमी, टर्बाईन में बाधा और इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) के एक पथ का टूट जाना थे । प्लान्ट लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए सुधार के उपाय अभी तक आरंभ नहीं किए गए थे (मार्च 2001) ।

2क.6.3 उत्पादन इकाईयों का प्रचालन अनुमान्य आवृत्ति परास से अधिक

संयंत्र को उच्च आवृत्ति पर प्रचालित किया गया ।

भारतीय विद्युत् आपूर्त्ति नियम 1956 के अन्तर्गत विद्युत् आपूर्त्ति 3 प्रतिशत सहन सीमा सहित 50 चक्र प्रति सेकेण्ड घोषित आवृति (फ्रिक्वेंसी) पर किया जाना आवश्यक है । संयंत्र के निर्माणकर्ता (भेल) के अनुसार 51.6 चक्र प्रतिसेकेण्ड निर्धारित आवृत्ति को बढ़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उच्च आवृत्ति पर प्रचालन के कारण (क) शाफ्ट के कंपन में वृद्धि (ख) टर्बाईन के पंखे की क्षति (ग) टर्बाईन/जेनरेटर बेयरिंगों की क्षति (घ) एच.टी. मोटरों की क्षति संभव है ।

लेखा परीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि उपर्युक्त नियम और संयंत्र के निर्माता के निर्देश के विपरीत मार्च 2001 तक चार वर्षों के दौरान दोनों इकाईयों में टर्बो-जेनरेशन के आवृत्ति को 53.05 चक्रों पर स्थिर रखा गया ।

इस प्रकार, टर्बाईन की सुरक्षा का ध्यान रखे बिना, मार्च 2001 तक विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत् संयंत्र के लगातार ट्रिपिंग/ब्रेक डाउन (128 बार) के बाद भी 1698 घंटे के लिए संयंत्र का प्रचालन उच्चतर आवृत्ति पर किया जा रहा था । इसके फलस्वरूप 41.04 करोड़ रूपए मूल्य के 244.26 मिलियन यूनिट के संभाव्य उत्पादन की हानि हुई ।

2क.6.4 ऊर्जा की अधिक अनुषंगी खपत

ऊर्जा की अधिक अनुषंगी खपत से 38.03 करोड़ रूपय मूल्य के ऊर्जा की खपत हुई ।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार (सी.ई.ए.) द्वारा निर्धारित मानकों तथा ऊर्जा संयंत्र के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के अनुसार ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा की अनुषंगी खपत उत्पादित ऊर्जा के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । परन्जु 1996-97 से 2000-01 के दौरान ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा की अनुषंगी खपत 12.15 प्रतिशत से 13.68 प्रतिशत के बीच रही जिसके कारण 38.03 करोड़ रूपए मूल्य के कुल 226.36 मिलियन यूनिट ऊर्जा की अधिक अनुषंगी खपत हुई । कंपनी द्वारा ऊर्जा की अधिक अनुषंगी खपत के कारणों की जांच नहीं की गई ।

2क.6.5 अत्यधिक ट्रान्सफॉरमेशन हानि

ट्रान्सफॉरमेशन हानि अनुमत्य सीमा से उच्चतर थी ।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार (सी.ई.ए.) द्वारा निर्धारित मानक (जुलाई 1991) के अनुसार ट्रान्सफॉरमेशन हानि उत्पादित यूनिटों के 0.5 से 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । अभिलेखों के छानबीन से पता चला कि 2000-01 तक विगत पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा संयंत्र की ट्रान्सफॉरमेशन हानि 1996-97 में 3.85 प्रतिशत तथा 2000-01 में 2.87 प्रतिशत के बीच थी । फलस्वरूप 21.63 करोड़ रूपए मूल्य के कुल 128.73 मिलियन यूनिट की अत्यधिक हानि हुई । प्रबंधन द्वारा अत्यधिक हानि के कारणों का पता नहीं लगाया गया । लेखा परीक्षा में विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि हानि मुख्य रूप से 400 किलो वोल्ट के स्वीच यार्ड के चालू नहीं किए जाने के कारण हुई थी ।

2क.6.6 बंदियाँ

पूंजीगत ओवरहॉलिंग में विलंब एवं परिहार्य बंदियों पर नियंत्रण में विफलता के कारण 596.28 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादन की हानि हुई ।

विद्युत् केन्द्र की बंदियों को नियोजित बंदी, जबरन बंदी और आंतरिक कारकों के कारण बंदी की व्यापक श्रेणियों में रखा जा सकता था । 2000-01 तक पांच वर्षों के दौरान ऐसी बंदियों का विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट -11 में दिया गया है ।

बंदियों से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुएं लेखा परीक्षा में प्रकाशित हुईं :

2क.6.6.1 नियोजित बंदी

बॉयलर एवं टर्बो जेनरेटरों के ओवरहॉलिंग/पूंजीगत अनुरक्षण में लगने वाले समय के लिए नियोजित बंदी की जाती है । भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 के अनुसार वर्ष में एकबार बॉयलर का ओवरहॉलिंग करने की आवश्यकता है । भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी परामर्शदात्री समिति (जून 1972) द्वारा भी इस पर जोर डाला गया कि बॉयलर और टर्बो जेनरेटर का समय पर ओवरहॉलिंग किया जाय ।

भेल ने 10,000 घंटे प्रचालन के बाद प्रथम ओवरहॉलिंग किए जाने की सिफारिश किया था। परन्तु यह देखा गया कि वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की तिथि से इकाई-I के मामले में प्रचालन के पांच वर्षों की समाप्ति (मार्च 2001 तक 21,580 प्रचालन घंटों) के बाद भी और इकाई-II के मामले में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से अब तक (मार्च 2001 तक 18240 प्रचालन घंटों) उनका पूंजीगत अनुरक्षण नहीं किया गया था ।

टर्बो जेनरेटर और बॉयलर आदि में त्रुटियों के सुधार के लिए संयंत्रों के पूंजीगत अनुरक्षण/ओवरहॉलिंग के अभाव के फलस्वरूप संयंत्र लगातार ट्रिपिंग और लंबे समय तक शट डाउन हुआ जिससे 2000-01 तक तीन वर्षों के दौरान सयंत्रों में 21,384 घंटों के लिए न केवल जबरन बंदी के कारण 516.78 करोड़ रूपये मूल्य के 3076.08 मिलियन यूनिट संभाव्य उत्पादन की हानि हुई बल्कि भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 का उल्लंघन भी हुआ ।

*2क.6.6.2 आन्तरिक कारकों से बंदी एवं जबरन बंदी**

ग्रीड में गड़बडी के कारण जबरन-बंदी प्रबन्धन के नियंत्रण से बाहर था । परन्तु, आन्तरिक कारकों से बंदी जो कुल बंदी के 95 प्रतिशत थे, वे प्रबंधन के नियंत्रण/परिहार योग्य थे । परन्तु, ऊर्जा उत्पादन की न्यूनतम क्षति के साथ उक्त प्रकार के बंदियों को कम करने के लिए किसी प्रकार की योजना लागू करने में प्रबंधन विफल रहा । कुछ वैसी बंदियाँ जो संयंत्र के सही रख-रखाव से टाली जा सकती थी, के उद्धरण नीचे दिये जाते हैं :

(i) आरंभ (मई 1997) से ही हाईड्रोजन सिलिंग प्रणाली में दोष के कारण जेनरेटर के ढक्कन से अत्यधिक हाइड्रोजन गैस का रिसाव होने से, ऊर्जा संयंत्र की इकाई II, 2000-2001 तक के पिछले पाँच वर्षों के दरम्यान 6792 घंटे बंद रही, जो कुल बंदी-घंटे ((17394 घंटे) का 39 प्रतिशत था । इससे 164.14 करोड़ रुपये मूल्य के 977 मि. यू. (68.5 प्रतिशत संयंत्र-भार गुणक पर गणित) के सम्भावित उर्जा उत्पादन की हानि हुई ।

(ii) निम्न स्तर के सामान के उपयोग के कारण एच. पी. ग्लैंड से आगे जाने वाली वाष्प लाईन के पाइप के फुलने एवं फटने से इकाई सं. II 235 घंटों (27.8.99 से 5.9.99) तक बंद रहा, जिसके कारण 5.68 करोड़ रुपये मूल्य के 33.80 मि. यू. के सम्भावित ऊर्जा उत्पादन की क्षति हुई ।

(iii) कोयले की कमी/बंकर में कोयला उपलब्ध नहीं रहने के कारण इकाई-I एवं II 1227 घंटो तक बंद रहा जिससे 29.56 करोड़ मूल्य के 176.50 मि.यू. सम्भावित ऊर्जा उत्पादन की क्षति हुई ।

(iv) आरम्भ से ही जेनरेटर के वियरिंग से तेल के रिसाव के कारण शक्ति केन्द्र की ईकाई-I 1017 घंटों के लिए बंद रही जिसके कारण 24.53 करोड़ रुपये मूल्य के 146 मि.यू. सम्भावित ऊर्जा-उत्पादन की क्षति हुई ।

(v) जैसा की अन्दर के कंडिका 2क.10.1 में वर्णित है, ईलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) के पथ-क के क्षय होने के कारण, इकाई - I 254 घंटों (24.12.96 से 3.1.97) के लिए बंदी में चला गया । फलस्वरूप 6.14 करोड़ रुपये मूल्य के 36.54 मि.यू. की सम्भावित ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई ।

(vi) ईकाई I एवं II के कोयले के बंकर में त्रुटि होने के फलस्वरूप शक्ति संयंत्र 1575 घंटों तक बंद रहा परिणामस्वरूप 38.06 करोड़ रूपये मूल्य के 226.56 मि.यू. की सम्भावित ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई ।

2क.6.7. उत्पादन की लागत

कम्पनी के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) में उत्पादन लागत 5.27 पैसे प्रति किलो वाट

* ऊर्जा आपूर्त्ति नहीं होने की अवधि

सन्निहित लागत की तुलना में उत्पादन लागत बहुत अधिक था

घंटा सन्निहित (फरवरी 1979) था । लेखाओं के अनुपालन/निराकरण न होने के कारण प्रबंधन ने शक्ति प्रतिष्ठान के वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने से अब तक की उत्पादन लागत का निर्धारण नहीं किया । परन्तु लेखा परीक्षा में, प्रबंधन द्वारा औपबंधिक व्यय एवं ब्याज के साथ-साथ मूल्य ह्रास के प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के आधार पर, उत्पादन लागत की गणना की गयी जो 1997-98 में 157 पैसे प्रति किलो वाट घंटा 1998-99 में 179 पैसे प्रति किलो वाट घंटा एवं 1999-2000 में 220 पैसे प्रति किलो वाट घंटा था जो परिशिष्ट-12 में दर्शित है ।

परिशिष्ट से यह भी देखा जा सकता है कि डी. पी. आर. में सन्निहित लागत की तुलना में उत्पादन लागत बहुत अधिक था । लेखा परीक्षा में विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उत्पादन लागत में वृद्धि का कारण टी.टी.पी.एस. का न्यून पी.एल.एफ. पर उत्पादन, सरकारी/ऊर्जा वित्त निगम के कर्ज पर भारी सूद एवं निम्न ताप दक्षता में कमी के कारण कोयले एवं तेल की अधिक खपत थी। यह भी देखा गया कि कर्ज पर सूद की राशि वर्ष 1997-2000 तक के सभी वर्षों में उत्पादन लागत 50 का प्रतिशत से ज्यादा था ।

2क.7 ताप दक्षता एवं ईंधन की खपत

2क.7.1 ताप दक्षता

निम्न ताप दक्षता के कारण कोयले की अधिक खपत

ताप ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्त्तित करने की दक्षता का पैमाना शक्ति प्रतिष्ठान की ताप दक्षता है । यह मुख्यतया ब्यॉयलर एवं टरबाइन की दक्षता द्वारा नियंत्रित होता है । कम्पनी के डी. पी.आर. के अनुसार शक्ति प्रतिष्ठान के उत्पादन इकाईयों के टरबाईन के ताप-दर, ब्यॉलर दक्षता के 86 प्रतिशत पर 1967 कि. कैलोरी प्रति किलो वाट घंटा पाया गया तथा जेनरेटर दक्षता के ताप दर के 98 प्रतिशत पर 2325 कि. कैलोरी प्रति किलो वाट घंटा पाया गया । परन्तु कम्पनी की वास्तविक दक्षता 1996-97 में 27.33 प्रतिशत से 1999-2000 तक के मार्च 2001 में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के दरम्यान 25.68 प्रतिशत रहा । प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार घटिया-स्तर के कोयले एवं व्यवस्था दोष के कारण कोयले का सुचारु रूप से नहीं जलना निम्न ताप दक्षता के कारण थे ।

2क.7.2 कोयला

मार्च 2001 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दरम्यान उत्पादन इकाईयों द्वारा वास्तविक ताप की खपत 2325 कि. कैलोरी प्रति किलो वाट घंटा आवश्यक ताप खपत के विरूद्ध 3349.16 कि. कैलोरी प्रति किलो वाट घंटा से 3146.64 कि. कैलोरी प्रति किलो वाट घंटा के बीच रहा । कोयले के रूप में अत्यधिक ताप खपत की गणना-मूल्य 74.68 करोड़ रुपये थी जो परिशिष्ट-13 में दर्शाया गया है ।

लेखा परीक्षा में विश्लेषण के अनुसार अत्यधिक कोयले की खतप, न्यून ताप दक्षता एवं टील्ट यांत्रिकी का कार्य नहीं करना मुख्य कारण था ।

2क.7.3 हल्के डीजल तेल

मानक की तुलना में अत्यधिक तेल की खपत

ब्यॉलर को चालू करने एवं लौ की निरन्तरता बनाये रखने के लिए कोयले की सहायता के रूप में हल्के डीजल तेल (एल.डी.ओ.) की आवश्यकता होती है । परियोजना प्रतिवेदन में हल्के डीजल तेल के खपत के कोई मानक नहीं थे । भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक (मार्च 1992) के अनुरूप तेल की खपत किसी भी हालत में 3.5 मी. ली. प्रति किलो वाट घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए । 1996-97 से 2000-2001 की अवधि में उपर्युक्त मानक से 66.90 करोड़ रुपये

मूल्य के 65752.16 कि. लीटर अधिक तेल की खपत हुई जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
उत्पादित यूनिट (मि.यू.)	697.35	1571.35	1466.71	1168.37	1330.74	6234.52
वास्तविक तेल इंधन की खपत (कि.ली.)	20750.00	16376.00	18079.00	19507.00	12861.00	87573.00
मानक के अनुरूप तेल की खपत (कि.ली.)	2440.73	5499.73	5133.49	4089.30	3657.59	21820.84
मानक की तुलना में अत्यधिक तेल की खपत (कि.ली.)	18309.27	10876.27	12945.50	15417.70	8203.42	65752.16
कोयले की औसत अधिप्राप्ति लागत (रुपये में)	8392.00	8940.00	9378.00	10772.00	15925.00	-
अत्यधिक खपत हुए तेल के मूल्य (करोड़ रुपये में)	15.37	9.72	12.14	16.61	13.06	66.90

प्रबंधन के द्वारा विश्लेषित एल.डी.ओ. के अधिक खपत के कारणों में इकाई की बारम्बार बंदी एवं कोयले के बंकर की खराबी के कारण कोयले की निर्वाध आपूर्त्ति में रुकावट थी ।

2क.7.4 टरबाईन ऑयल

टरबाईन ऑयल के खपत का कोई भी मानक न तो ऊर्जा संयंत्र के निर्माता द्वारा और न हीं प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया गया था । मार्च 2001 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में टरवाईन ऑयल के खपत का औसत 2.74 से 4.64 ली. प्रति घंटा रहा, जबकि टंडा ताप शक्ति प्रतिष्ठान (उ.प्र.) में खपत 1.82 एवं 2.77 ली. के बीच प्रति घंटा था । 2000-2001 के अवधि में 2.74 लीटर प्रति घंटा के न्यूनतम खपत को आधार मानकर की गई गणना के अनुसार मार्च 2000 को समाप्त हुई चार वर्षों के दरम्यान 25 लाख रुपये के 46.804 कि.ली. से अधिक टरबाईन ऑयल की खपत हुई ।

लेखा परीक्षा के मूल्यांकन में पाया गया कि टरवाईन ऑयल के अत्यधिक खपत के कारण टरबाईन बियरींग से लगातार तेल का रिसाव होना था।

2क.7.5 हाईड्रोजन गैस

टी.टी.पी.एस. के परिचालन एवं रख-रखाव पुस्तिका में सन्निहित है कि जेनरेटर के आन्तरिक ढप्पन में आवश्यक हाईड्रोजन दाब 3.4 कि. प्र.से.मी^{2}. बनाये रखने के लिए 24 घंटों में 2 से 3 सिलिन्डर हाईड्रोजन गैस का खपत होना चाहिए था । परन्तु जेनरेटर के खोल से अत्यधिक हाईड्रोजन के रिसाव के कारण अप्रैल 1997 से जनवरी 2001 के दरम्यान हाईड्रोजन गैस के सिलिंडर की प्रतिदिन वास्तविक खपत 2 से 24 सिलिंडर हुई । इसके कारण 26 लाख रुपये मूल्य के 57232 मी.^{3} हाइड्रोजन गैस भरी 8176 सिलिंडर की खपत हुई ।

2क.8 कोयले की अधिप्राप्ति एवं ढुलाई

2क.8.1 कोयले की अधिप्राप्ति

निम्नतर कोटि के कोयले को स्वीकार कर उच्चतर कोटि के कोयले के लिए भुगतान किया गया

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आवंटन के अनुरुप उत्पादन संयंत्र के लिए कोयले की अधिप्राप्ति सेन्ट्रल कोल फिल्ड (सी.सी.एल.) के कारो, दक्षिणी तापीन एवं परेज खुला कास्ट माईन तथा करगली और कथरा कोल वाशरियों से होता है । हालाँकि कम्पनी के संयंत्र के डिजाइन के अनुसार संयंत्र में 4200 कि.कै./किलो ग्राम कोयले का उपयोग वांछित था, परन्तु कंपनी ने कोयले की मात्रा एवं गुण के संबंध में सी.सी.एल. से कोई करार नहीं किया ।

कम्पनी एवं सी.सी.एल. के प्राधिकारियों की बैठक (मई 1995) में तैयार मसविदा, जिसमें कम्पनी को आपूर्त्ति किये जाने वाले कोयले के प्रतिचयन हेतु अपनायी जानेवाली विधि का निर्णय हुआ था, के अनुपालन में कोयले के संयुक्त प्रतिचयन में निर्धारित स्तर के आधार पर क्रय किये गये कोयले का भुगतान किया जाना था ।

(i) लेखा परीक्षा में कोयले एवं संयुक्त प्रतिचयन प्रतिवेदन के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नस्तरीय कोयले के प्राप्ति के वावजूद उच्च स्तरीय कोयले की कीमत का भुगतान किया गया । फलस्वरूप 7.5 लाख मेट्रिक टन निम्न स्तरीय कोयले की अधिप्राप्ति पर 9.99 करोड़ रुपये की अधिक भुगतान की गई । प्रतिचयन विधि के प्रावधानों के अनुसार कोयले के स्तर के सम्बन्ध में कोई असहमति होने पर क्रेता (कम्पनी) को संयुक्त प्रतिचयन के 30 दिनों के अन्दर विरोध करना था, ताकि आपसी सहमति से किसी ऐसे प्रयोगशाला से कोयले के स्तर का विश्लेषण कराया जा सके जो दोनो पक्षों को मान्य हो । परन्तु उपर्युक्त ग्रेड स्लीपेज के लिए अनुमानित 30 दिनों (14 अवसरों पर) के अन्दर कम्पनी अपना विरोध दर्ज करने में विफल रही और सी.सी.एल. के द्वारा विपत्र में दर्शाये गये ग्रेड को मान लिया जिसके कारण उच्च ग्रेड के कोयले का भुगतान हुआ । ग्रेड स्लीपेज के संबंध में विरोध दर्ज न करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे ।

(ii) भारत सरकार के अधिसूचना के अनुसार खुली कास्ट खदानें कोयले की आपूर्त्ति में कोयले के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तब्दील करने के एवज में 20 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से वसूल करती थी । परन्तु लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि कोयले के टुकड़े करवाने का खर्च भी कोयले के मूल्य में जोड़ दिया जाता था और उस पर भी 4 प्रतिशत बिक्री कर का भुगतान किया जाता था जो वास्तविक कोयले की लागत नहीं थी । अत: कोयले के टुकड़े करने में खर्च को भी कोयले की लागत में गणना के कारण अप्रैल 1995 से जुलाई 2000 तक खुले कास्ट खदानों से निकाले गये 30.57 लाख मेट्रिक टन कोयले पर 24.46 लाख रुपये का राज्य बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री-कर के रूप में परिहार्य भुगतान किया गया । प्रबंधन द्वारा अत्यधिक बिक्री-कर भुगतान के हेतु कोई कारवाई नहीं की गई ।

2क.8.2 सेमीमेरीगो राउन्ड प्रणाली का निर्माण

एम.जी.आर. प्रणाली का कार्य अत्यधिक विलम्ब से हुआ ।

जैसा कि 31 मार्च 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) बिहार सरकार के कंडिका 2 क.10.1 में वर्णित है कि भारतीय रेल तकनिकी एवं अभियंत्रण सेवा (राईट्स) को 31 मार्च 1991 के अनुमानित तिथि तक पूर्ण करने के लिए क्रमश: 0.55 करोड़ एवं 27.07 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 'सेमी मेरी गो राउन्ड प्रणाली' (एम.जी.आर.) के अभियंत्रण एवं निमार्ण संबंधित कार्य आदेश मार्च 1987 एवं सितम्बर 1988 में दिया गया । परन्तु जंगल क्षेत्र, निधि की कमी एवं ग्रामीणों द्वारा कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने के फलस्वरूप वह कार्य जुलाई 2001 तक पूरा नहीं किया सका ।

परिणाम स्वरूप 1996-97 से 2000-2001 के अवधि में कम्पनी ने राईट्स के कर्मचारियों पर, जो शक्ति केन्द्र में पदस्थापित थे, पर 3.50 लाख रुपये प्रतिमाह के औसत से कुल 2 करोड़ रुपये का परियोजना प्रबंधन खर्च की देयता का वहन किया ।

रेल-पथ निर्माण हेतु जमीन के हस्तान्तरण में होने वाले विलम्ब के अनुमान किये बगैर-कम्पनी ने (i) 10.71 लाख रुपये के आवश्यक/अन्य पूर्जों के साथ 2.09 करोड़ एवं 2.34 करोड़ रुपये के एक्स-वर्क्स मूल्य पर दो डब्लू.डी.एम.-2 मोडिफाइड डीजल विद्युत लोकोमोटिव के आपूर्त्ति हेतु मार्च

1988 में डीजल लोकोमोटिव कार्यशाला (डी.एल.डब्लू.), वाराणसी एवं (ii) मार्च 1989 में सिमको (पुनर्नामित सिमको, विरला लि.) को 3.89 करोड़ रुपये (सभी करों एवं चुंगी के साथ) के लाईन साईड इक्वीपमेंट एवं पूर्जे तथा परिवहन-शुल्क के साथ 34 वॉटम डिसचार्ज हापर वैगनों के आपूर्त्ति का आदेश दिया । इस संबंध में निम्नलिखित अनियमिततायें/खामियाँ प्रकाश में आयीं ।

11 वर्षों तक कम्पनी का निधि निरूद्ध रहा ।

(क) डी.एल.डब्लू. को दिये गये आदेश के शर्त्तों के अनुसार प्रथम लोकोमोटिव की आपूर्त्ति मार्च 1990 एवं दूसरे की 1990-91 में की जानी थी । उसको फरवरी-मार्च 1989 में 1.36 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया । परन्तु रेल पथ के बिछाने का कार्य पूरा न होने के कारण लोकोमोटिव की आपूर्त्ति तिथी बार-बार बढ़ाई गयी । अंतिम बार आपूर्त्ति तिथि दिसम्बर 1999 तक बढ़ाने के लिए अगस्त 1998 में दिये गये आदेश में लोकोमोटिव के इकाई की कीमत 3.49 करोड़ सन्निहित थी । अत: जमीन की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बगैर एम.जी.आर. प्रणाली के लिए आदेश दिये जाने से 2.55 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि के साथ 12 वर्षों तक 1.36 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुए जिसपर कम्पनी ने मार्च 2001 तक 12 प्रतिशत की दर से कुल 1.96 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठाई ।

वैगनों की सुपुर्दगी में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि हुयी तथा निधि निरूद्ध हुआ ।

(ख) सिमको, बिरला को दिये गये आदेश (3.89 करोड़ रुपये) के लिए कम्पनी ने मार्च 1989 में 49.61 लाख रुपये का अग्रिम और अगस्त 1990 में 49.61 लाख रुपये का अंतरिम अग्रिम का भुगतान किया । कंपनी ने आगे मई 1998 में 1.89 करोड़ रुपये (1.31 करोड़ रुपये 14 वैगनों का मूल्य, अगस्त 1997 तक मूल्य वृद्धि के 27.12 लाख रुपये, विनिमय दर के अन्तर पर 27.08 लाख रुपये एवं जनवरी 1997 से फरवरी 1998 की अवधि का भंडारण शुल्क का 3.92 लाख रुपये) का भुगतान किया । हालाँकि फर्म ने वैगनों का निर्माण कर दिया था, पर एम.जी.आर. प्रणाली के पूरा न होने के कारण कम्पनी के आदेश में चार बार संशोधन करते हुए दिसम्बर 1998 तक आपूर्त्ति अवधि का विस्तार करना पड़ा ।

अत: आपूर्त्ति कर्त्ता से आपूर्त्ति लेने में विफलता के कारण वैगन, लाइन साइड संयंत्र, पुर्जों की लागत एवं परिवहन शुल्क में मई 2000 तक 3.89 करोड़ से 7.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । कुल लागत वृद्धि 4 करोड़ रुपये में मार्च 2001 तक 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 26.88 लाख रुपये का भंडारण-शुल्क भी शामिल था । इसके अतिरिक्त कम्पनी ने आपूर्त्ति कर्त्ता को 2.88 करोड़ रुपये के किये गये भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से 34.59 लाख रुपये प्रति वर्ष के ब्याज की हानि भी उठाई ।

स्टेज-II के एम.जी. आर. प्रणाली का परामर्शी व्यय निष्क्रिय साबित हुआ ।

(ग) यद्यपि स्टेज II (3 x 210 मे.वा.) के निर्माण के लिए न तो कम्पनी और न सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव था और न ही सरकार द्वारा कोई निधि मुक्त की गयी थी, कम्पनी ने जुलाई 1993 में परियोजतना के स्टेज II के लिए कोयले की ढुलाई के लिए रेल के आधारित संरचना के विस्तृत अभियंत्रण डिजाइन के लिए लेटर-आफ-इन्टेन्ट जारी किया एवं जून 1994 में राइट्स से एकरारनामा किया । एकरारनामा के अनुसार विस्तृत अभियंत्रण के लिए 57 लाख रुपये तथा सिगनल एवं दूरसंचार के लिए 5 लाख रुपये अनुमानित की गयी थी । कम्पनी ने फरवरी 1997 तक 51.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया । मार्च 1998 में, राइट्स ने ड्राईंग के लिए प्राक्कलित परियोजना लागत के 153.12 करोड़ रुपये का 2 प्रतिशत 3.06 करोड़ रुपये जमा करने का सुझाव दिया । परन्तु कम्पनी या सरकार द्वारा स्टेज-II के कार्य को किये जाने के किसी भी निर्णय के अभाव में कम्पनी के अध्यक्ष ने स्टेज-II एम. जी. आर. प्रणाली पर और कोई राशि खर्च न करने का निर्णय लिया । अत: स्टेज-II के लिए एम. जी. आर. प्रणाली हेतु सलाह पर 51.50 लाख रुपये का व्यय निरर्थक रहा ।

2क.9 ऊर्जा का बिक्रय

कंपनी, मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन के अनुबंध के अनुरूप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कम्पनी एवं बी. एस. ई. बी. के आपसी समझौते से निर्धारित दर पर उत्पादित ऊर्जा की बिक्री करती थी । उक्त समिति ने निर्णय लिया (मार्च 1998) कि कम्पनी बी.एस.ई.बी. को 1.68 रु. प्रति किलो वाट घंटा की दर से ऊर्जा की बिक्री करे, जिसके संदर्भ में कम्पनी एवं बी.एस.ई.बी. के बीच एक एकरारनामा भी किया जाना था। उक्त दर की समीक्षा एवं पुनरीक्षण भी समय-समय पर किया जाना था । इस सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा के क्रम मे निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये -

(i) कम्पनी ने ऊर्जा की बिक्री के लिए अभी (मार्च 2001) तक बी. एस. ई. बी. के साथ एकरारनामा नहीं किया ।

उत्पादन लागत विक्रय मूल्य से बहुत अधिक था

(ii) ऊर्जा की उत्पादन लागत बिक्रय-मूल्य से अधिक थी । सिर्फ 1999-2000 तक के दो वर्षों में ऊर्जा के उत्पादन (जैसा कि उपर के कंडिका 6.7 में निकाला गया है) और बिक्रय-मूल्य 1.68 रु. का समेकित अंतर 64.99 करोड़ रुपये था । अत: दो वर्षों में 64.99 करोड़ के वृहद हानि के बावजूद कम्पनी ने बिक्रय-मूल्य के समीक्षा एवं पुनरीक्षण के लिए कभी भी राज्य सरकार/बी.एस.ई.बी. के पास न तो प्रयास किया न ही उत्पादन लागत में कमी के लिए कोई कार्रवाई किया ।

(iii) मार्च 2001 तक कम्पनी द्वारा बी.एस.ई.बी को 891.53 करोड़ रुपये मूल्य के 5306.701 मि. यू. विद्युत बिक्री के विरुद्ध बी. एस. ई. बी. ने 181.36 करोड़ रुपये बकाया रखते हुए मात्र 710.17 करोड़ का भुगतान किया । इसके परिणाम स्वरूप 1995-96 में 9.19 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2001 में 181.36 करोड़ रुपये की भारी राशि अवरुद्ध हो गयी जिसपर मार्च 2001 तक कम्पनी को 12 प्रतिशत वार्षिक के दर पर 62.94 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई । एकरारनामा न रहने के कारण भुगतान न करने/विलम्बित भुगतान करने पर कम्पनी सूद या विलम्ब शुल्क प्रभारित नहीं कर पायी ।

2क.9.1 बी. एस. ई. बी. द्वारा ऊर्जा की आपूर्त्ति

ट्रान्सफार्मर क्षमता को कम न करने के कारण भारी देयता का होना

(क) कम्पनी के निगमीकरण से पहले बी.एस.ई.बी. ने टी.टी.पी.एस. के कॉलोनी एवं कार्यालय के निर्माण हेतु ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए 5 एम.वी.ए. (10,000 के.वी.ए.) के दो ट्रान्सफार्मरो की संस्थापना की । टी.वी.एन.एल. के अलग कम्पनी के रूप में निगमीकृत होने के बाद विद्युत उपयोग हेतु वह बी.एस.ई.बी. का 1500 के.वी.ए. की मांग भार का उच्च-विभव उपभोक्ता हो गया और बी.एस.ई.वी. के द्वारा किये गये विपत्र के अनुसार भुगतान करता रहा। अभिलेखों के छानबीन के क्रम में पाया गया कि सितम्बर 1996 में बी.एस.ई.बी. के विद्युत आपूर्त्ति अंचल, गिरीडीह ने कम्पनी के परियोजना प्रबंधन को सूचित किया कि जून 1993 के टैरिफ अधिसूचना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में ट्रान्सफार्मर की क्षमता उपभोक्ता के संविदा-भार के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अत: कम्पनी के ट्रान्सफार्मर की क्षमता 2250के.वी.ए. से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि वर्त्तमान ट्रान्सफार्मर की क्षमता 10000 के.वी.ए. की थी । परिणामत: कम्पनी द्वारा 6667 के.वी.ए. (10000 के.वी.ए. का 67.67 प्रतिशत) का मांग अधिभार भुगतान करना पड़ा । जुलाई 2001 तक ट्रान्सफार्मर नहीं बदला गया । हालांकि बी.एस.ई.बी. के गिरीडीह अंचल ने 5000 के.वी.ए. के संविदा-भार पर ही विपत्रीकरण आरम्भ कर दिया (सितम्बर 1996) था, परन्तु कम्पनी पुराने मांग दर पर ही भुगतान करती रही । पुन: कम्पनी ने बी.एस.ई.बी.

द्वारा भारित किये गये पुनरीक्षित ईंधन अधिभार के बकाए का भुगतान नहीं किया । अत: मांग के पुनरीक्षण न होने से तथा लकाया ईंधन अधिभार के भुगतान न होने से बकाए की राशि समग्र रूप से 2.87 करोड़ रुपये की हो गई जिसपर बोर्ड 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब अधिभार भारित कर रहा है जो जनवरी 2001 तक अकेले 4.51 करोड़ रुपये तक हो गया ।

(ख) पुन: यह पाया गया कि कम्पनी बी.एस.ई.बी. को 1.68 प्रति किलो वाट घंटा की दर से ऊर्जा बेच रही थी, जबकि अपने शहरी क्षेत्र में उपयोग के लिए 1996-97 से 2000-01 के अवधि में 4.67 रु. से 5.85 रु. तक प्रति किलो वाट घंटा के दर से बोर्ड से ऊर्जा क्रय की थी । फलत: उक्त अवधि में बी.एस.ई.बी. द्वारा 167.54 लाख किलो वाट घंटे के विपत्रीकरण के कारण 6.23 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा ।

2क.10 भेल द्वारा अपूर्ण एवं निम्न स्तरीय कार्य का सम्पादन

भेल द्वारा निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन के फलस्वरूप संयंत्र की बंदी एवं उत्पादन की हानि हुई ।

टी.टी.पी.एस. के स्टेज-1 की आपूर्त्ति, निर्माण एवं चालू करने का कार्य टर्न-की के आधार पर मार्च 1987 में भेल को सौंपा गया । भेल द्वारा सम्पादित कुछ कार्य जहाँ निम्न स्तरीय एवं त्रुटिपूर्ण कार्य कौशल के थे वहीं कुछ अपूर्ण एवं कुछ पूर्णत: छोड़ दिये गये थे । परिणामस्वरूप बार-बार गड़बड़ी के कारण 559.46 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 3330.06 मि.यू. की सम्भावित हानि हुई । कुछ निम्न स्तरीय एवं अपूर्ण कार्यस्थिति का विश्लेषण नीचे किया गया है ।

2क.10.1 इकाई-1 के इलेक्ट्रोस्टेटीक प्रेसिपिटेटर (विद्युतस्थैतिकी अवक्षेपक) का पथ ए का नष्ट होना

इलेक्ट्रो स्टेटीक प्रेसिपिटेटर को निर्माण एवं चालू होने के 32 माह बाद 24 दिसम्बर 1996 को ईकाई-I का पथ 'ए' नष्ट हो गया । जिसके कारण इकाई-I, 254 घंटो के लिए बंद हो गया और सिन्क्रोनाईजेशन (3.1.1997) के बाद इकाई मात्र 140 मे.वा. के घटी हुई क्षमता पर पथ 'बी' के साथ चल रहा था, परिणामस्वरूप 6.14 करोड़ रूपये मूल्य के 36.54 मि.यू. की संभावित उत्पादन की हानि हुई । केंद्रीय यांत्रिक अभियंत्रण संस्थान, दुर्गापुर द्वारा नष्ट होने के कारणों की जाँच करने पर एक कारण संरचना की लो फैक्टर आफ सेफ्टी जो प्रारंभिक डिजाईन में गड़बड़ी और छाई के स्तर को दिखाने वाले इन्डीकेटर की व्यवस्था जिससे छाई का अधिक जमाव को रोका जाए का न होना बताया गया ।

इ.एस.पी. को नष्ट कर पुननिर्माण नंवम्बर 1997 और फरवरी 2000 में 10 से 37 माह बीत जाने के बाद क्रमश: 0.39 करोड़ रुपये एवं 5.94 करोड़ रुपये से किया गया । नष्ट करने में विलम्ब का कारण निविदा के निर्णय में अधिक समय लेने (3 माह) एवं पथ 'ए' से गुजरने वाली कार्यरत केबुल का पुनर्मागीकरण (3 माह) था । पुर्ननिर्माण में देरी का कारण (i) निविदा के शर्त्तों का निदेशक मंडल से स्वीकृति में अधिक विलम्ब (ii) आई.डी. फैन की अनुपलब्धता के कारण कार्यकलाप की गरान्टी जाँच के लिए 4 माह का विलम्ब । नष्ट करने के दरम्यान 27.75 लाख रुपये की सामग्री बरबाद/खो गई जिसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया और कम्पनी को इ.एस.पी. के पुननिर्माण के लिए उन सामग्रियों को पुन: खरीदना पड़ा ।

अतएव इ.एस.पी. के पुर्ननिर्माण में रूपांकण में गड़बड़ी एवं तीन वर्षों की देर के फलस्वरूप 327.05 करोड़ रुपये मूल्य के 1946.70 मि.यू. का संभावित उत्पादन की क्षति के साथ-साथ 27.75 लाख रुपये के सामग्री की बर्बादी हुई ।

2क.10.2 एच. पी. ग्लैंड लीक आफ स्टीम लाइन

एच.पी. ग्लैंड के फटने से स्टीम लाइन में दरार के कारण (अगस्त 1999), इकाई-II 235 घंटे के लिए जबरन बंद हो गया । पाईप के एक टुकड़े की जाँच से ज्ञात हुआ कि पाईप धातु मिश्रित स्टील के बदले कार्बन मिश्रित स्टील का था जबकि विनिर्देश धातु मिश्रित स्टील की थी । अतएव भेल द्वारा एच.पी. टरबाइन ग्लैंड ऑफ स्टीम लाईन में निम्न स्तरीय सामग्री के व्यवहार के कारण इकाई-II 235 घंटो के लिए बंद हो गया, परन्तु कोई क्षति पूर्त्ति का दावा नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप उत्पादन में हानि को कंडिका 6.6.2 (ii) सुप्रा में चर्चा किया गया है ।

2क.10.3 कच्चे कोयले का बंकर

कोयले के 12 बंकरो के निरीक्षण (जून 1999) करने पर उर्जा प्रतिष्ठान के प्राधिकारियों द्वारा देखा गया कि इकाई एक एवं दो के सभी बंकरों के स्टीफनर बीम की वेल्डींग ज्वांयट में दरार थी, इसके अलावे स्टीफनर बीम भी बहुत जगहो पर सीयर्ड ऑफ था । दो-तीन वर्षों के अन्दर इस तरह कि घटनाएं बंकर के मजबूत प्रणाली में रुपांकण की त्रुटि एवं भेल का त्रुटिपूर्ण कार्य कौशल दर्शाता है । इस समस्या ने कोल फिडिंग प्रणाली को प्रभावित किया । परिणामस्वरूप 1575 घंटों तक इकाई बंद रहा । फिर भी शक्ति प्रतिष्ठान द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ता से कोई भी क्षतिपूर्त्ति की मांग नहीं की गयी । इसके परिणाम स्वरूप हुए उत्पादन में हानि को कंडिका 6.6.2 (vi) सुप्रा में चर्चा किया गया है ।

2क.10.4 निर्माणदोष

ईकाई-II के टी.जी. सेट के वियरींग न. 5 एवं 6 से तेल की अप्रत्याशित एवं जेनेरेटर से हाईड्रोजन गैस का अत्यधिक रिसाव हो रहा था । यह पाया गया कि दोनों रिसाव अन्त शिल्ड में निम्न कोटि के रबर कॉर्ड के उपयोग के कारण, ईकाई के स्थापना की तिथि से ही हो रहा था । हाईड्रोजन के विस्फोटक एवं तेल के अत्यधिक ज्वलनशील गुण होने के कारण ईकाई को इस तरह के रिसन की अवस्था में चालू रखना खतरनाक था । इस तरह की खतरे की संभावना एवं कुल 7809 घंटे की बंदी के बावजूद त्रुटी को अब तक दूर नहीं किया गया (मार्च 2001) । इसके अतिरिक्त जैसा की कंडिका 6.6.2 (i) एवं (iv) सुप्रा में वर्णित है, इस रिसाव के कारण अत्यधिक हाईड्रोजन एवं तेल की खपत हुई । किन हालातों में इन दोषों के साथ भेल से इकाई हस्तगत की गई के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे । हालांकि भेल इन दोषों को पूंजीगत ओभरहॉलिंग के दरम्यान ठीक करने को सहमत था ।

2क.10.5 हाईड्रोजन उत्पादन संयंत्र

मार्च 1992 तक पूर्ण किये जाने की शर्त के साथ कम्पनी के तरफ से 1.98 करोड़ रुपये में हाईड्रोजन संयंत्र के निरुपण, उत्पादन, निरीक्षण, परीक्षण, आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, जाँच एवं चालू करने हेतु भेल द्वारा ए.सी.एम.ई. मैनुफैक्चरिंग कं. लि. को आदेश दिया गया (जनवरी 1991) । आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामानों की आपूर्त्ति न करने एवं भेल द्वारा केबुल बिछाने के कार्य पूरा न करने के कारण अभी तक (मार्च 2001) संयंत्र का कार्य पूरा नहीं किया जा सका ।

अतः हाईड्रोजन गैस संयंत्र के लिए कम्पनी द्वारा 1.24 करोड़ रुपये का किया गया भुगतान (1992) 9 वर्षों तक अवरुद्ध रहा, फलस्वरुप 14.86 लाख रुपये के ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक की दर से) की हानि हुई । इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संयंत्र के उपयोग हेतु हाईड्रोजन गैस के आपूर्ति का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ ।

2क.11.1 इनवेंटरी नियंत्रण

कम्पनी ने न तो कोई अपना भंडारण पद्धति लागू किया और न ही बी.एस.ई.बी. के नियमावली को अंगीकार किया । वर्ष के आरम्भ में मात्रा एवं मूल्य का आदि शेष, वर्ष के दौरान क्रय/प्रापण, वर्ष के दौरान निर्गम/खपत और वर्ष के अंत में अंत शेष को दर्शाने वाले अभिलेखों के छान-बीन के क्रम में निम्नलिखित अनियमिततायें/त्रुटियां पायी गई :

(i) 1996-97 के बाद भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था । 1996-97 में किये गये भौतिक सत्यापन में 56.64 लाख रुपये मूल्य के 369.049 मेट्रिक टन लोहे की कमी पायी गई । प्रबंधन द्वारा - कमी के कारणों की जाँच एवं जिम्मेवारी निर्धारण की कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गयी ।

(ii) तेज चालित, धीमी चालित एवं अ-चालित सामग्रियों में वर्गीकरण करने हेतु, सामग्रिओं का ए.बी.सी. विश्लेषण नहीं किया गया था ।

(iii) विभिन्न सामग्रियों का निम्नतम एवं अधिकतम भंडार स्तर निर्धारित नहीं किया गया ।

(iv) कम्पनी के परिसर में निर्माण हेतु प्रस्तावित 220/400 के. वी. उपकेन्द्र स्वीचयार्ड के संस्थापन हेतु मे. भेल, भोपाल से 1.57 करोड़ रुपया मूल्य के 400 के.वी. के 20 करेंट ट्रान्सफॉर्मर (सी.टी.) और 220 के.वी. के 14 सी. टी. प्राप्त किये गये थे (मार्च 1991) । 400 के.वी. के 6 सी.टी. तथा 220 के.वी. के 13 सी.टी. के संस्थापन के पश्चात ठेकेदार से विवाद के कारण 220/400 के.वी. स्वीच यार्ड का निर्माण बंद हो गया । शेष 84.52 लाख रुपये मूल्य के 400 के.वी. के 14 सी.टी. एवं 220 के.वी. का एक सी.टी. प्राप्ति की तिथि से ही परियोजना के भंडार में पड़ा था । 27 मार्च 1999 को आग लग जाने के कारण वे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये । बीमा कम्पनी से अप्रैल 1999 में 84.52 लाख रुपये के किये गये दावे के विरुद्ध कंपनी ने सिर्फ 49.69 लाख रुपये पाये क्यों कि बीमा कम्पनी ने आठ वर्षों तक भंडारण कर रखे रहने के कारण करेन्ट ट्रान्सफॉर्मरों के मूल्य में 36 प्रतिशत का ह्रास कर दिया । इसके कारण 34.83 लाख रुपये की हानि हुई ।

(v) अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 के दौरान 17.01 लाख रुपये मूल्य के प्राप्त किये गये सामग्रियों का न तो निरीक्षण किया गया और न ही भंडार-पंजी में लेखन किया गया ।

संयंत्र की अव बीमा के कारण कम मूल्य का बीमा निपटान ।

2क.11.2 अव बीमा के कारण हानि

कम्पनी ने अग्नि/विस्फोट इत्यादि से अपने संयंत्र एवं उपसाधनों के नुकसान के विरुद्ध बीमा कराया । ईकाई I के लिए 210 करोड़ रुपये तथा ईकाई II के लिए 120 करोड़ रुपये का बीमा (सितम्बर 1996 एवं अक्टूबर 1997) क्रमशः न्यू इंडिया इन्स्योरेंस कम्पनी एवं यूनाईटेड इंडिया इन्स्योरेंस कम्पनी से किया गया । पॉलिसी के शर्तों के अनुसार बीमा किये गये राशि की पर्याप्तता को, सम्पत्ति की हानि की तिथि के बाजार मूल्य से तुलना कर हानि का भुगतान करने का प्रावधान था ।

अभिलेखों के छान-बीन में पाया गया कि आग लगने के कारण ईकाई-II के उपसाधनों सहित 66 के.वी. स्वीच गियर के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कम्पनी ने 16.42 लाख रुपये का दावा किया (दिसम्बर 1997), परन्तु अन्डर राईटर ने दावे के पूर्ण एवं अन्तिम निपटान के रूप में मुख्यतः इकाई-II के संयंत्र की वास्तविक मूल्य 283.50 करोड़ रुपये के विरुद्ध 120 करोड़ रुपये के

ही अव बीमा के कारण मात्र 6.85 लाख रुपये का भुगतान किया । फलस्वरूप 9.57 लाख रूपये की हानि हुई ।

पुन: यह पाया गया कि आग लगने से ईकाई I के 100 किलो वाट के दो ट्रान्सफॉर्मर तथा स्वीच बोर्ड के साथ ईकाई-II के 100 किलो वाट का एक ट्रान्सफॉर्मर क्षतिग्रस्त (जुलाई 1998) होने के परिणामस्वरूप संबंधित अन्डर राईटरों से 17.99 लाख रुपये एवं 9.34 लाख रुपये का दावा किया गया । परन्तु, बाजार मूल्य से कम पर ईकाई I एवं II का अव बीमा कराने के कारण अन्डर राइटरों ने क्रमश: 11.54 लाख रुपये तथा 3.49 लाख रुपये मात्र का दावा स्वीकार किया (सितम्बर 1998) । परिणामस्वरूप 12.30 लाख रुपये की हानि हुई ।

स्वीकृत संख्या से अधिक पदों का प्रचालन था

अत: संयंत्र के अव बीमा के फलस्वरूप निम्न राशि के बीमा निपटान के कारण 21.88 लाख रूपये की हानि हुई ।

2क.12 मानव शक्ति का विश्लेषण

उच्च शक्ति समिति के अनुशंसा (अप्रैल 1993), के आधार पर राज्य सरकार ने संयंत्र (2X210 मेगावाट) के प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) के लिए 596 पदों तथा पटना स्थित निगम कार्यालय के लिए 35 पदों की स्वीकृति दी । लेखा परीक्षा के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य पाये गये -

(i) 1996-97 से 2000-01 के दौरान कुल स्वीकृत 631 पदों के विरुद्ध परिनियोजन 641 व 680 कार्मिकों के बीच था । हालांकि तकनीकी कर्मचारियों/पदाधिकारियों का अभाव था, लेकिन मजदूरों का परिनियोजन स्वीकृत संख्या से अधिक था ।

(ii) अत्यधिक पदों के प्रचालन से 1996-97 से 2000-01 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर 8.03 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान हुआ । अत्यधिक पदाधिकारियों/मजदूरों को रखे रहने की सरकार द्वारा नियमित किये जाने की आवश्यकता थी ।

(iii) सितम्बर 1996 में बिहार सरकार ने उन अनावश्यक मजदूरों को बिहार सैन्य पुलिस से प्रशिक्षण दिलवा कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जल विद्युत निगम में सुरक्षा कर्मियों के रूप में सामंजस्य करने की इच्छा की थी । परन्तु प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अनावश्यक मजदूरों के पहचान की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी (मार्च 2001)।

(iv) प्रचालन एवं संरक्षण हेतु तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण फरवरी 1997 से जनवरी 1999 के दौरान 25000 से 36500 रु. प्रतिमाह की दर पर 1.06 करोड़ रुपये के व्यय पर कम्पनी को टी. एम. कॅन्सलटेन्ट्स से 13 से 18 पदाधिकारियों की सेवा किराये पर लेनी पड़ी । अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि कम्पनी को 7000 से 10,000 रुपये की मासिक वेतन पर स्नातक अभियंताओं की सेवा उपलब्ध थी । अगर प्रचालन एवं संरक्षण हेतु कम्पनी ने इन अभियंताओं को नियुक्त किया होता तो उनके वेतन भुगतान में 43 लाख रुपये मात्र का ही व्यय होता जिससे उक्त अवधि में 63 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था ।

2क.13 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

वार्षिक लेखाओं के अंतिम रूप दिये जाने में कम्पनी अधिनियम की धाराओं 209 एवं 210 के अनुपालन में कम्पनी असफल रही । लेखा-परीक्षा के दौरान पाये गये विभिन्न अधिनियमों के अन्य उल्लंघन निम्न प्रकार है :-

क्र.स.	संविधि का नाम	अधिनियम के प्रावधान	अनियमितातायें
1.	आयकर अधिनियम,1961	धारा 44 ए. बी.के अंतर्गत अनिवार्य कर लेखा-परीक्षण आवश्यक था ।	आरंभ से ही कर-लेखा परीक्षण नहीं हुआ ।
2.	कारखाना अधिनियम,1948	एक तिमाही में अधिकाल 50 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए था ।	जुलाई 1996 से सितम्बर 2000 के दौरान 56 कर्मियों को एक तिमाही में 56 से 393 घंटों का का अधिकाल भत्ता भुगतान किया गया।
3.	भारतीय बॉयलर अधिनियम,1923	बॉयलर को एक वर्ष में ओभरहॉल होना था	4 वर्षों के बाद भी बॉयलर ओभर हॉल नहीं किये गये

2क.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण

कंपनी ने आंतरिक जाँच करने हेतु न तो कोई प्रतिक्रिया बनाई न ही कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा नियमावली ही तैयार की । इसने न तो आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली बनायी न ही इसे सनदी लेखाकारों से करवाया । इन प्रणाली भूल के कारण वित्तीय अनियमितताओं व अयोग्यताओं तथा लेखाओं के रख-रखाव में विफल होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

उपर्युक्त मामलों को कम्पनी/सरकार के अप्रैल 2001 में सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे । (सितम्बर 2001)

निष्कर्ष

तेनुघाट ताप शक्ति परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कम्पनी निगमित हुई थी । परन्तु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह विफल रही क्यों कि परयिोजना के स्टेज-I के पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब / समय लंघन हुआ और स्टेज II का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ । अपने आरम्भ से ही कंपनी एक योग्य सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकी और 1994-95 से अपने लेखाओं को अंतिम रूप देने में विफल रही । निम्न प्लान्ट लोड फैक्टर, अनुषंगी खपत की उच्च प्रतिशतता एवं उच्च ट्रान्सफॉर्मेसन हानि के कारण उत्पादन निष्पादन असंतोषजनक था । भारतीय बॉयलर अधिनियम के अनुसार नियमित पूँजीगत संरक्षण भी नहीं हो सका था ।

कोयले की अत्यधिक अधिप्राप्ति लागत, कोयले एवं तेल की अधिक खपत तथा सरकारी/ पी.एफ.सी. ऋण पर अधिक ब्याज भार के कारण प्रति यूनिट उत्पादन लागत बहुत अधिक था और उसका बिक्रय-मूल्य से कोई मेल नहीं था । स्टेज - I के लिए रेल पथ नहीं बिछाये जाने के कारण स्टेज-I के लिए कोयले के ढुलाई हेतु मेरी गो राउन्ड प्रणाली बनाने तथा स्टेज-II के लिए अभियंत्रण परामर्श पर किये गये भारी व्यय निष्फल साबित हुए । आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली नहीं था तथा इन्वेंटरी नियंत्रण न के बराबर था ।

पूंजीगत संरक्षण करके पी. एल. एफ. ताप दक्षता को बढ़ाकर तथा अनुषंगी/ट्रान्सफॉर्मेसन हानि तथा बंदी को कम कर के उत्पादन निष्पादन ठीक करने के लिए कम्पनी को प्रयास करना चाहिए । कोयले एवं तेल की खपत, ऋण भार को कम करके उत्पादन लागत में कमी करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त उत्पादन लागत से मेल कराते हुए बिक्री मूल्य को बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

2ख बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलाप पर समीक्षा

मुख्य अंश

खनिजों के खोज, विकास, प्रबंधन तथा विक्रय हेतु 1972 में निगमित की गयी कम्पनी मुख्यतः चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, कायनाइट, अभ्रक के उत्खनन, संसाधान, विक्रय एवं बालू के व्यवसाय में ही व्यस्त रही ।

(कंडिका 2ख.1)

वन-विमुक्ति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करने में 16 वर्षो के विलंब के कारण कम्पनी को 4.72 करोड़ रुपयों की हानि हुई ।

(कंडिका 2ख.8.1)

चूना पत्थर के उत्खनन में दण्डात्मक धारा का परिपालन न होने (0.10 करोड़ रुपये), एकरारनामा दण्डात्मक धारा का प्रावधान में न होने (3.14 करोड़ रुपये) तथा उच्च दर पर भुगतान (0.28 करोड़ रुपये) करने के कारण कम्पनी को 3.5 करोड रुपयों की हानि हुई ।

(कंडिकायें 2ख.10.1.1, 2ख.10.1.2 तथा 2ख.10.1.3)

1996-97 से 2000-01 के अवधि में कायनाइट के उत्खनन में कहीं पर सीमांत राशि के वसूली में असफलता के कारण कम्पनी को 1.17 करोड रुपये की हानि हुई ।

(कंडिका 2ख.11.1)

बजार दर से कम मूल्य पर कायनाइट के विक्री से कम्पनी को 0.25 करोड रुपये की हानि।

(कंडिका 2ख.11.2)

ग्रेफाइट के उत्खनन एवं विक्रय में दण्डात्मक धारा समावेश न होने (0.29 करोड़ रुपये), निविदा को अंतिम रूप न देने (0.13 करोड़ रूपये) तथा निम्न रूपांतरण गुणांक (0.18 करोड़ रूपये) के अंगीकरण के फलस्वरूप कम्पनी को 1996-97 से 2000-01 की अवधि में 0.60 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(कंडिकायें 2ख.12.1, 2ख.12.2 तथा 2ख.12.3)

कोयले की संस्तुतित मुल्य से कम दर पर विक्रय के कारण 1995-96 से 2000-01 की अवधि में 2 करोड रुपये की हानि ।

(कंडिका 2ख.14.1)

ग्रेनाइट कटिंग तथा पॉलिशिंग प्लांट पर हुई 0.25 करोड़ रुपये की पूर्ण पूंजी लागत निष्फल हो गयी ।

(कंडिका 2ख.15)

प्राप्तियोग्य विक्रय को ध्यान में रखे बिना उच्च दर पर बालू घाटों (बालू खदानों) को प्राप्त करने के फलस्वरूप कम्पनी को वर्ष 1996-97 से 1999-2000 की अवधि में 1.79 करोड रुपये की हानि हो गयी ।

(कंडिका 2ख.16)

कम्पनी ने 1996-97 से 2000-01 की अवधि में अनियमित मजदूरी के मद पर 2.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया ।

(कंडिका 2ख.17)

2ख.1 प्रस्तावना

बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक कम्पनी के रूप में 12 जून 1972 को निगमित किया गया । कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राज्य के अन्दर तथा अन्य स्थानों पर पूर्वेक्षण अधिकार तथा खन्न पटटा प्राप्त करने के बाद खान तथा खदानों की खोज, पूर्वेक्षण, खन्न विकास, प्रशासन, प्रबंधन अथवा नियंत्रण तथा संसाधित या संसाधित किये बिना विक्रय करना था ।

कम्पनी के वर्त्तमान कार्यकलाप चूनापत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, कायनाइट, पत्थर बड़े एवं छोटे टुकड़े का खनन् ग्रेनाइट टाइल्स का संसाधान के अतिरिक्त बालू का व्यवसाय करने तक सिमित थे ।

2ख.2 लेखापरीक्षाकाक्षेत्र

कम्पनी के कार्यकलापों की समीक्षा पूर्व में हुई थी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31मार्च 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सन्निहित था । इस प्रतिवेदन पर लोक-उपक्रम समिति (ले.उ.स.) के द्वारा अब तक (मई 2001) विचार-विमर्श नहीं हुआ है । इस समीक्षा में कम्पनी के 1996-97 से 2000-01 तक की अवधि के कार्य चालनों का परीक्षण किया गया है, जिससे कम्पनी के प्रचालन में मितव्ययिता, कार्यकुशलता एवं कंपनी के अभिप्रायित लाभ के प्राप्ति का परीक्षण हो सके ।

2ख.3 संगठनात्मकढ़ांचा

कम्पनी का प्रबंधन एक निदेशक-मंडल, जिसमें कम से कम 3 निदेशक रहते हैं, में निहित है। जून 1995 में राज्य सरकार ने एक निदेशक-मंडल का गठन किया, जिसकी अंतिम बैठक फरवरी 2000 में हुयी थी । मार्च 2000 से यहाँ निदेशक मंडल नहीं था ।

प्रबंध निदेशक कम्पनी के प्रमुख अधिशासी हैं, जिनको प्रतिदिन के कार्यों के लिए मुख्यालय स्तर पर वित्त, उत्पादन, विपणन, प्रशासन, प्रमुखों, वरीय खन्न अभियंताओं तथा परियोजना स्तर पर 9 परियोजना प्रबंधकों एवं 5 परियोजना अधिकारियों की सहायता उपलब्ध थी । 16 मार्च 2000 से कम्पनी को पूर्णकालीन प्रबंध निदेशक उपलब्ध नहीं था ।

2ख.4 पूंजीसंरचना

कम्पनी के 10 करोड रुपये की अधिकृत शेयर-पूंजी जो 100 रुपये मूल्य के 10 लाख इक्विटी शेयर में विभाजीत, के विरूद्ध 31.3.2001 को बिहार सरकार के द्वारा पूर्णरूपेण अंशदान किया हुआ प्रदत्त पूंजी 9.97 करोड रुपये की थी । कम्पनी ने (जूलाई 1996) अधिकृत शेयर-पूंजी को 30 करोड रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन राज्य सरकार की सहमति की प्रत्याशा में पड़ी हुई थी (मई 2001) ।

2ख.5 अनुदान

अनुसूचित जनजातियों के सहायतार्थ प्राप्त अनुदान के अधिकांश राशि का उपयोग नहीं हो सका ।

1989-90 से 1998-99 की अवधि में अनुसूचित जनजातियों के सहायतार्थ खनिज उधारित उद्योग, ग्रेनाइट पॉलिश उद्योग तथा भूमि एवं पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यों के लिए राज्य सरकार से 34.56 लाख रुपयों की अनुदान प्राप्त हुई थी । जिनमें से 30.00 लाख रुपये अनुपयोगी पड़े रहे (मई 2001) । 30.00 लाख रुपयों के उपयोग न होने के कारण नहीं बतलाये गये (अगस्त 2001) ।

2ख.6 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

कम्पनी द्वारा केवल कोयला एवं बालू से लाभ अर्जित किया गया ।

कम्पनी ने वर्ष 1998-99 तक के लेखाओं को तैयार कर लिया था । इसके लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा नहीं दिया जा सका, क्योंकि वार्षिक आम सभा में सदस्यों के नामांकन की कमी के कारण वर्ष 1997-98 के लेखा परीक्षित लेखा को अंगिकार नहीं किया जा सका था । 1998-99 को समाप्त होने वाले 3 वर्षों के वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम क्रमश: परिशिष्ट 14 एवं 15 में दर्शाये गये हैं । परिशिष्ट 14 एंव 15 के अवलोकन से विदित होगा कि 1996-97 से 1998-99 के अवधि में कम्पनी को 7.07 करोड़ रुपयों का सकल लाभ-अर्जन हुआ । तथापि, लेखा परीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि, कम्पनी ने इस लाभ का अर्जन केवल कोयला तथा बालू परियोजनाओं से किया । अन्य खनिज परियोजनाओं में, 1996-97 से 1998-99 की अवधि में, कम्पनी को 5.90 करोड रुपये (चूना पत्थर 2.89 करोड़ रुपये, ग्रेफाइट 0.55 करोड़ रुपये कायनाइट 0.68 करोड़ रुपये तथा अभ्रक 1.78 करोड़ रुपये) की हानि उठानी पड़ी ।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी अपने संचित हानि को 1996-97 के 5.84 करोड़ रुपये से घटा कर 1998-99 में 2.81 करोड रुपये तक कर दिया जो कोयला तथा बालू परियोजनाओं के द्वारा उक्त अवधि में अर्जित लाभ के कारण हुआ ।

लाभ के हिस्से को गलत प्रदर्शन के फलस्वरूप आयकर देयत्ता बनाना

बिहार सरकार के खनन विभाग के पत्रांक 9/एम दिनांक 13 जनवरी 1995 के अनुसार बालू के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ को राज्य सरकार तथा कम्पनी को समान रूप से प्राप्त करना था । तदनुसार ऐसे लाभ का 50 प्रतिशत का प्रावधान लेखाओं में था । यद्यपि, रकम का प्रावधान लेखाओं में था, तथापि इसे वर्त्तमान देयता में न रखकर सुरक्षित एवं अधिशेष शीर्ष के अन्तर्गत रखा गया । इस प्रकार रकम के गलत प्रदर्शन के कारण कम्पनी को आयकर भुगतान (2.50 करोड़ रुपये) हेतु नोटिस मिला (मार्च 2000), जिसके विरूद्ध मई 2001 तक 1.03 करोड रुपयो का भुगतान किया गया । इस योग के विरूद्ध कम्पनी की याचना (अप्रैल 2000) आय कर विभाग में लंबित थी ।

2ख.7 लागत एवं बजट

2ख.7.1 बजट नियंत्रण

कम्पनी ने न तो एक बजट नियमावली बनायी न किसी प्रणाली का ही विकास किया जिससे प्राप्ति/व्यय की प्रगति का तुलनात्मक मूल्यांकन बजट से किया जा सके । बजटीय लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन एवं व्यय से वास्तविक उत्पादन एवं व्यय का तुलात्मक विवरणी परिशिष्ट-16 में प्रर्दशित है ।

प्रारंभिक बजट के खामियों को ढंकने के लिऐ संशोधित बजट बनाया गया ।

परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा कि, कम्पनी यथार्थ पूर्ण भौतिकी एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण में असफल रही थी । जब भी लक्ष्य अप्राप्तियोग्य हो गयी उनका परिशोधन हुआ । यह भी देखा जा सकता है कि 1997-98 से 1999-2000 की अवधि में सेमरा चूना पत्थर, विश्रामपुर

ग्रेफाइट, सुदना ग्राइडिंग, बेंती बागदा चूना पत्थर, ज्योति पहाड़ी कायनाइट तथा गोला चूना पत्थर परियोजनाओं के वास्तविक उत्पादन-परास परिशोधित उत्पादन का 4.37 प्रतिशत से 99.44 प्रतिशत के बीच का था, जबकि वास्तविक उत्पादन लागत का परास (परियोजना स्तर तक) बजरीय उत्पादन लागत के 50.55 प्रतिशत से 213.74 प्रतिशत के बीच का था । कम्पनी ने परिशोधित बजट के तुलना में भौतिक लक्ष्य तथा लागत के प्राप्ति में व्याप्त विशाल अंतर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था ।

2ख.7.2 लागत प्रवृत्ति

प्रत्येक वर्ष के लिये बनाये गये लागत-लेखा के ऐतिहासिक-प्रतिरूप में किसी भी खनिज का पूर्वानुमानित लागत का वास्तविक लागत से तुलात्मक प्रदर्शन नहीं था । परिशिष्ट 17 में दर्शाये गये खनिजों के 1996-97 से 1999-2000 के अवधि के लागत प्रवृत्ति से विदित्त होता है कि :-

(i) अभ्रक के मामले में मूल-लागत तथा विक्रय लागत औसत विक्रय मूल्य का क्रमशः 593 तथा 1555 प्रतिशत था ।

(ii) उच्च उपरिव्यय के कारण कोयला को छोड़कर सभी मामलों में विक्रय लागत विक्रय मूल्य से अधिक था ।

विक्रय मूल्य श्रम-लागत को पूरा करने में भी समर्थ नहीं था ।

(iii) 1997-98 से 1999-2000 की अवधि में ग्रेफाइट का औसत श्रम-लागत (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम) का परास 569.81 से 1502.33 रुपये प्रति मेट्रिक टन था जबकि उसी अवधि में औसत विक्रय मूल्य का परास 358.95 से 381.65 रुपये प्रति मेट्रिक टन का था । इस प्रकार विक्रय मूल्य, श्रम लागत की भरपाई कर सकने के लिए पर्याप्त नहीं था ।

(iv) यहाँ तक कि चूना पत्थर का मूल-लागत भी 1999-2000 तक के तीन वर्षों में औसत विक्रय मूल्य से अधिक था ।

2ख.8 खानों/खदानों का पट्टा

2ख.8.1 वन विमुक्ति में विलंब

कम्पनी, राज्य सरकार से खनिज क्षेत्र पट्टों पर प्राप्त करती है, जिसका नवीकरण अग्रिम आग्रह पर संभव है । 31.3.2001 को कम्पनी के पास चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर, अभ्रक तथा कोयला के 8065.45 एकड़ क्षेत्रफल के 16 खनन पट्टे थे । खनन क्रियाकलाप के समीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी कुल अधिकृत क्षेत्र का मात्र 11.20 प्रतिशत (903.45 एकड़) पर ही कार्य कर सकी ।

वन विमुक्ति प्राप्त करने में विलंब से कार्रवाई के कारण कम्पनी को 4.72 करोड़ रूपयों की हानि हो गयी ।

लेखा परीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि निम्न कार्यक्षेत्र फैलाव का कारण वर्त्तमान खानों में योजना तथा विकास कार्यों का अभाव था । इसके अतिरिक्त, 14 खनन पट्टे 1987 से 1999 की अवधि में समाप्त हो गये । वन विभाग से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन विमुक्ति प्राप्त न होने के कारण इनका नवीकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़ा हुआ था । नवीकरण में विलंब मुख्यतः अपेक्षित इन्वॉयरमेन्टल इम्पेक्ट एसेस्मेन्ट प्लान/इन्वॉयरमेन्टल माइनींग प्लान स्टडी रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण में हुई देरी के कारण थी, जबकि तीन अभिकर्ताओं को इस प्रतिवेदन/योजना को बनाने के लिए (अक्टूबर 1996 से अक्टूबर 1999 तक) 34.25 लाख रुपयों का भुगतान किया गया । वन विभाग से वन विमुक्ति प्राप्त करने में हुयी देरी के कारण 16 वर्षों (1980-81 से 1996-97)

तक खनन कार्य रैयती जमीन तक सीमित रहा, जिसके कारण प्रबन्धन को विवश होकर अपने उत्पादन एवं विक्रय बजटीय-लक्ष्य को 1996-97 से 1999-2000 की अवधि में 55.72 मेट्रिक टन से घटाकर 6.84 मेट्रिक टन करना पड़ा । फलतः इस अवधि में कम्पनी को संभाव्य सीमान्त राशि (विक्रय मूल्य तथा उठावन लागत का अंतर) 4.72 करोड़ रुपयों से वंचित होना पड़ा ।

2ख.9 खनन योजना

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 9 के अंतर्गत खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ही खनन योजना पर सहमति प्राप्त करना आवश्यक है । पूर्व कार्यरत खानों के मामले में खनन पट्टेधारियों को भारतीय खनन ब्यूरो (आइ बी एम), राँची के समक्ष उपरोक्त नियम के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर खनन योजना प्रस्तुत करना था ।

खनन योजनाओं के विलंबित प्रस्तुतिकरण/ अप्रस्तुतिकरण के कारण 10 खानों में खनन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी ।

1996-97 से 2000-01 की अवधि में कम्पनी के पास 16 पट्टे प्राप्त क्षेत्र थे । कम्पनी ने भाड़े पर 5 परामर्श दाताओं को मात्र 13 पट्टे प्राप्त क्षेत्र का खनन योजना तैयार करने के लिए रखा । परामर्शदाताओं ने 4 से 60 महिनों के विलंब के बाद मात्र 10 पट्टे प्राप्त क्षेत्रों का खनन योजना प्रस्तुत किया । उन योजनाओं में से अब तक (सितंबर 2001) मात्र 6 में ही आई.बी.एम. की सहमति प्राप्त हुयी थी तथा बचे हुये 4 वांछित सूचनाओं के अभाव में लंबित थे । खनन योजनाओं के विलंबित प्रस्तुतिकरण / अ-प्रस्तुतिकरण के कारणों की लेखा परीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि, यह कम्पनी द्वारा परामर्शदाताओं को सूचनाएँ उपलब्ध कराने में हुयी विलंब के कारण हुयी थी । इस प्रकार खनन योजनाओं के विलंबित प्रस्तुतिकरण/अ-प्रस्तुतिकरण के कारण 10 पट्टे प्राप्त क्षेत्रों में खनन संक्रिया जूलाई 2001 तक प्रारम्भ नहीं हो सकी थी ।

प्रबंधन ने बतलाया कि (मई 2001) चूंकि आइ.बी.एम. ने कई सुधारों का सुझाव दिया तथा परामर्शदाता ने योजना प्रस्तुत करने में काफी समय लिया इसलिए पूर्णरूपेण खनन योजना के प्रस्तुतिकरण में विलंब हुआ । परन्तु, कम्पनी के उत्तर मान्य नहीं थे, क्योंकि परामर्शदाताओं ने योजना के प्रस्तुतिकरण के देर के कारण, कम्पनी द्वारा सूचनाओं का विलंब से प्रस्तुतिकरण बतलाया।

2ख.10 चूनापत्थर

3170 एकड़ के पट्टे वाले क्षेत्र के विरूद्ध, 301.80 एकड़ का ही उपयोग हो सका।

वर्त्तमान में कम्पनी चूना पत्थर के खनन कार्य सेमरा, बेंती बागदा, तथा गोला में कर रही थी। सेमरा का चूना पत्थर बलास्ट फरर्नेश तथा डोलोमाइट स्तर का था जो ठोस रूप में इस्पात कारखानों तथा चूर्ण रूप में कोलियरियों में बेचा जाता था । बेंती बागदा का चूना पत्थर सीमेंट स्तर का तथा गोला का चूना पत्थर चूर्ण बनाने के लिए, जो कोलियरियों के लिये उपयुक्त था । 1976 से 1988 के अवधि में इन परियोजनाओं के लिये 3170 एकड़ क्षेत्र प्राप्त था, परन्तु मात्र 301.80 एकड (9.5 प्रतिशत) का उपयोग खनन कार्य हेतु हो रहा था ।

2ख10.1 खनन

खनन् में सफलता मात्र 59 प्रतिशत की थी

1996-97 से 2000-01 की अवधि में तीनों परियोजनाओं में निजी संवेदकों के द्वारा चूना पत्थर का खनन् कार्य हो रहा था । 1996-97 से 2000-01 की 5 वर्षों की अवधि में 3.43 लाख मेट्रिक टन के घटाये हुयें लक्ष्य (मूल लक्ष्य 7.93 मे. टन) के विरुद्ध मात्र 1.96 लाख मेट्रिक टन (59 प्रतिशत) का खनन् हुआ था । लेखा परीक्षा विश्लेषण से विदित हुआ कि, खनन् में कमी का कारण मशीनी खनन् के बदले हस्त-खनन्, सुरक्षा अनुबन्ध की अवहेलना तथा खान के अन्दर एवं उसके आसपास ओवर बरडेन का जमाव था ।

चूना पत्थर के खनन हेतु निजी अभिकर्त्ताओं को कार्यादेश निर्गत एवं एकरारनामा किये जाते थे। एकरारनामों, कार्यादेशों के लेखा परीक्षण से ज्ञात हुआ कि, त्रुटिपूर्ण एकरारनामों तथा अनुबंधों की धाराओं के अनुपालन न होने के कारण कम्पनी को 3.52 करोड़ रुपये की हानि हो गयी, जैसा कि कंडिका 10.1.1, 10.1.2 तथा 10.1.3 में वर्णित है ।

2ख10.1.1 दण्डात्मक धारा का परिपालन न होना

कम्पनी 0.10 करोड़ की सीमांत राशि की वसूली नहीं कर सका

गोला चूना पत्थर परियोजना से प्रतिवर्ष 12000 मेट्रिकटन चूना पत्थर का उठाव-सह-विक्रय (रेजींग कम सेलींग) हेतु संवेदक से एकरारनामा हुआ, जिसमें संविदागत मात्रा में कमी होने पर संवेदक से सीमांत राशि की वसूली भी नियत की गयी थी । 1998-99 से 2000-01 के वर्षों में संविदागत मात्र 36000 मेट्रिक टन के विरूद्ध संवेदक के द्वारा वास्तविक उत्खनन मात्रा मात्र 1230.786 मेट्रिक टन की रही । तथापि, कम्पनी ने 34769.214 मेट्रिक टन की कमी के मात्रा के सीमांत राशि 9.83 लाख रुपये की वसूली नहीं किया । इसके कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे ।

2ख.10.1.2 दण्डात्मक धारा का समावेश न होना

एकारारनामा में दण्डात्मक धारा का समावेश न होने के कारण 3.14 करोड़ रूपये की हानि ।

बेंती बागदा तथा सेमरा चूना पत्थर परियोजनाओं से 6.15 लाख मेट्रिक टन चूना पत्थर के उत्पादन हेतु, 1996-97 से 2000-01 के अवधि में कार्यादेश निर्गत किये गये । इसके विरूद्ध संवदेक ने 4.85 लाख मेट्रिक टन की कमी कर मात्र 1.30 लाख मेट्रिक टन का उत्खनन कर सका । तथापि, कम्पनी, कार्यादेश/एकरारनामा में दण्डात्मक धारा के समावेश न होने के कारण, सीमांत राशि 3.14 करोड रुपये की वसूली न कर सका । चूंकि, कम्पनी के पास दण्डात्मक धारा युक्त मानक संविदा पत्र जिसे वह सभी परियोनाओं में समान रूप से लागू करती, का अभाव था, वह 3.14 करोड़ रुपये सीमांत राशि की वसूली न कर सका ।

2ख.10.1.3 अधिक दर पर भुगतान

कम्पनी ने श्रम कानून का उल्लंघन किया तथा शारीरिक श्रम से उत्पादन के कारण 0.28 करोड़ रूपयों के अतिरिक्त खर्च का भी भार उठाया ।

संविदा श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के अनुसार, चूना पत्थर के उत्खनन में श्रमिक वर्ग का नियोजन निषिद्ध था । उपर्युक्त प्रावधान के आलोक मे मशीनी उत्पादन के लिए एकरारनामे हुए थे । तदनुसार, सभी संवेदकों को हेवी अर्थ मूवींग मशीन (एच.ई.एम.एम.) के द्वारा 60 रुपये प्रति मेट्रिक टन के दर पर उत्पादन करने के लिए कार्यादेश दिये गये । लेखा परीक्षा के क्रम में विदित हुआ कि, यद्यपि अनुबंध मशीनी उत्पादन के लिए हुआ था, तथापि, उत्पादन शारीरिक- श्रम से ही हुआ । यद्यपि, कम्पनी ने शारीरिक-श्रम के दर का आकलन 39.60 रुपये प्रति मेट्रिक टन किया था, परन्तु अनुबंध के अनुसार भुगतान 60 रुपये प्रति मेट्रिक टन (मशीनी दर) पर हुआ था । इस प्रकार, कम्पनी ने न केवल श्रम अधिनियम का उल्लंघन किया, अपितु 1996-97 से 2000-01 की अवधि में 27.55 लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च का भी भार उठाया ।

2ख10.2 ग्राइन्डिंगप्लांट

1997-98 से 2000-01 की अवधि में चूर्ण बनाने का कार्य निजी अभिकर्त्ताओं से एकरारनामा कराने के बाद कराया जाता था । एकरारनामे के शर्त्तों के अनुसार, अभिर्कत्ताओं को अनुमोदित ग्राइन्डिंग दर पर चूना पत्थर टूकड़ों को चूर्ण बना कर, ऐसे चूर्ण के लिए विक्रय मूल्य तथा ग्राइन्डिंग दर के अंतर राशि का भुगतान कर, कम से कम 400 मेट्रिक टन चूर्ण प्रति माह क्रय करना था ।

उपर्युक्त अवधि में अभिकर्त्ताओं ने करार किये गये 0.18 लाख मेट्रिक टन चूना पत्थर-चूर्ण के विरूद्ध 0.10 लाख मेट्रिक टन की कमी करते हुऐ, मात्र 0.08 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन किया था।

लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि मशीन की क्षमता का न्यून उपयोग उत्पादन में कमी के लिये उत्तरदायी था, जो स्वयं नियंत्रणाधिन कारण (8782.75 घंटे) तथा अनियंत्रणाधिन कारण (3411.00 घंटे) जनित था । नियंत्रणाधिन कारक जैसे श्रमिक-कमी, हॉपर फिडींग तथा बैग हटाना (3584.45 घंटे), ओवरहॉलिंग (817 घंटे) तथा स्पेयर कमी (576 घंटे) को निरोधक रखरखाव एवं प्रभावकारी योजना से समाप्त किया जा सकता था । इन सभी कारकों के कारण 1997-98 से 2000-01 की अवधि में 44.46 लाख रूपये मूल्य के 1034.115 मेट्रिक टन चूना पत्थर चूर्ण का कम उत्पादन हुआ ।

प्रबंधन ने अनुपयोगी क्षमता के कारण हुए सीमांत राशि की हानि को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2001), उत्तर दिया कि, हानि मुख्यत: चूना पत्थर टुकड़ों की कमी तथा अनियमित विद्युत आपूर्त्ति के कारण थी । परन्तु, प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्लान्ट कभी भी चूना पत्थर टुकड़ों की कमी के कारण बन्द नहीं हुआ था तथा अनियमित विद्युत आपूर्त्ति मात्र प्रारंभिक दो वर्षों में हुआ था ।

2ख.11 कायनाइट

कायनाइट रसायनिक दृष्टिकोण से उच्च एल्यूमिना सिलकेट खनिज है, जिसका उपयोग मुख्यत: सुपर ड्यूटी रिफ्रेक्ट्री उत्पादन में होता है । कम्पनी ने अगस्त 1984 में 4.30 लाख मेट्रीक टन सुरक्षित खनिज भण्डार वाले 540 एकड़ क्षेत्रफल के ज्योति पहाड़ी एवं सिरबोई क्षेत्र को खनन् पटट्ा पर प्राप्त किया । उत्पादन अभिलेखों के संवीक्षा के क्रम में निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां उजागर हुई ।

2ख.11.1 उत्खनन्

उत्खनन् में कमी के कारण 1.17 करोड़ रूपयों के वसूली में कंपनी असफल रही ।

कम्पनी ने ज्योति पहाड़ी क्षेत्र में उठाव सह विक्रय आधार पर, 1996-97 से 2000-01 (अक्टूबर 2000) की अवधि के लिए, तीन संवेदकों को कायनाइट के हस्त-खन्न हेतु नियुक्त किया । उठाव तथा विक्रय दर क्रमश: 220.00 रूपये प्रति मेट्रिक टन एवं 670 रूपये प्रति मेट्रिक टन थे । एकरारनामा के अनुसार, खनिज के उठाव के पूर्व ही अभिकर्त्ताओं को 450.00 रुपये प्रति मेट्रिक टन अन्तर राशि जमा करना था । एकरारनामा में उत्पादन/बिक्री में कमी होने पर 450 रूपये प्रति मेट्रिक टन के दर पर वसूली का प्रावधान भी था । उपर्युक्त अवधि में समझौते की मात्रा 0.43 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध मात्र 0.17 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ । फलत: 0.26 लाख मेट्रिक टन की कमी रह गयी जिसके मूल्य (1.17 करोड़ रूपये) की वसूली के लिए कोई भी कारवाई नहीं की गयी। इस प्रकार कम्पनी को 1.17 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ी । वसूली न करने के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे ।

2ख.11.2 बाजार-भाव से कम दर पर कायनाइट का विक्रय

कम्पनी संवेदकों से उन्ही को बिक्री करने हेतु अनुमानित उठाव दर पर उठाव सह विक्रय (रेजींग कम सेलींक) का करार करती थी । तथापि एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार कम्पनी, संवेदकों द्वारा उत्खनित कायनाइट को पूर्णतया या उसके कुछ भाग को सुरक्षित करने हेतु स्वतंत्र थी।

कायनाइट के कम दर पर विक्रय से 0.25 करोड़ रूपयों की हानि ।

अभिलेखों के नमूना जांचोपरान्त विदित हुआ कि वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 में कम्पनी ने बाजार भाव क्रमश: 800 रूपये तथा 880 रूपये प्रति मेट्रिक टन के विरूद्ध, उठाव सह विक्रय संवेदकों को क्रमश: 670 रूपये तथा 740 रूपये प्रति मेट्रिक टन की दर से बेचा । इस प्रकार,

1999-2001 की अवधि में बाजार भाव से कम दर पर कायनाइट के उठाव सह विक्रय संवेदक के माध्यम से 19097 मेट्रिक टन कायनाइट के हुए विक्रय पर कम्पनी को 25.12 लाख रूपयों की हानि हुई ।

प्रबन्धन ने प्रत्युत्तर में कहा (जुलाई 2001) कि चूंकि संवेदकों से उठाव के पूर्व ही विक्रय राशि की प्राप्ति हो जाती थी इसलिए उन्हें कम दर पर कायनाइट बेचा गया, लेकिन सरकारी उपक्रमों को कायनाइट 2 माहों के उधार पर बेची जाती थी । परन्तु, यह उत्तर अमान्य था, क्योंकि संवेदकों से उठाव के पूर्व विक्रय मूल्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी तथा पर्याप्त रकम उनके पास बकाये थे ।

2ख.12 ग्रेफाइट

ग्रेफाइट कार्बन का एक रवा रूपान्तर है, जिसका उपयोग सूखे बैटरी, रिफ्रेक्टरी, क्रूसूलिटीस, पेन्सील, इलेक्ट्रोड, लूब्रीकेन्ट, विस्फोटक तथा पेन्ट इत्यादि बनाने में आता है ।

तीन ग्रेफाइट भंडार क्षेत्र के विरूद्ध मात्र एक कार्यरत था ।

कम्पनी के पास 1975 से 1980 में 20 वर्षों की अवधि के लिए अधिग्रहण किये गये पलामू जिला के विश्रामपुर, रंका तथा मानसोती में 7 खनन् पटटे प्राप्त कुल 942 एकड़ क्षेत्रफल के तीन ग्रेफाइट भंडारें थी, जिसमें केवल विश्रामपुर ग्रेफाइट भंडार ही कार्यरत था । 1996-97 से 2000-01 के 5 वर्षों की अवधि में घटे हुए लक्ष्य 0.38 लाख मेट्रिक टन (मूल लक्ष्य 1.20 लाख मेट्रिक टन) के विरूद्ध मात्र 0.11 लाख मेट्रिक टन का उत्खनन् हुआ । उत्खनन् सम्बन्धित अभिलेखों के संवीक्षा से निम्न खामियाँ ज्ञात हुई ।

2ख.12.1 उत्खनन्

दण्डात्मक धारा के न रहने के कारण कम्पनी 0.29 करोड़ रूपयों के वसूली नहीं कर सकी

जून 1996 में हुए एकरारनामा के अनुसार 500 मेट्रिक टन प्रतिमाह/6000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष की न्यूनतम मात्रा का उत्खनन होना था । उठाव लागत (रेजींग कॉस्ट) 96 रूपये प्रति मेट्रिक टन था । 1996-97 से 2000-01 के अवधि में अनुबंधित मात्रा 0.30 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध संवेदक ने 0.19 लाख मेट्रिक टन की कमी करते हुए मात्र 0.11 लाख मेट्रिक टन ग्रेफाइट का उत्खनन् किया था । उत्खनन् में कमी सम्बन्धी दण्डात्मक धारा के न रहने के कारण कम्पनी को 28.50 लाख रूपयों के संभाव्य राजस्व से वंचित होना पड़ा । एकरारनामा में दण्डात्मक धारा के समावेश न होने के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे ।

2ख.12.2 निविदा का अंतिम रूप न दिया जाना

कार्य के उच्चदर पर अनियमित निष्पादन के कारण 0.13 करोड़ रूपये के सीमांत राशि की हानि हो गयी ।

विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना के मंहुगाई क्षेत्र के लिए 500 मेट्रिक टन प्रतिमाह उठाव एवं विक्रय (रेजींग एण्ड सेलींग) हेतु सितंबर 1995 में निर्गत निविदा सूचना में, कार्यरत संवेदक को मिलाकर चार संवेदकों ने अपने दर उद्धृत करने हेतु भाग लिया । कार्यरत संवेदक के द्वारा उद्धृत सीमांत दर न्यूनतम था । निविदा समिति ने उत्पादन में प्रतिमाह 1000 मेट्रिक टन से कमी होने पर उच्चतम उद्धृत दर (326 रू. प्रति मेट्रिक टन) पर सीमान्त राशि वसूली की शर्त पर कार्यरत संवेदक को कार्य आवंटन की अनुसंशा की (मई 1996) । परन्तु लेखापरीक्षा के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि उत्पादन 1000 मेट्रिक टन प्रतिमाह से कम होने के बावजूद भी निविदा समिति की उच्चतम दर पर सीमांत राशि वसूली की संस्तुति को लागू न करते हुए संवेदक को निम्नतम दर (206.30 रुपये प्रति मेट्रिक टन) पर कार्य करने दिया गया । फलस्वरूप, 1996-97 से 2000-01 के अवधि में 12.57 लाख रूपये की हानि हुई ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2001), कि कार्यरत संवेदक के पास ग्रेफाइट बेनीफीकेशन प्लांट था, इस कारण दूसरों को कार्य आवंटन नहीं हुआ । यह भी बतलाया गया कि, चूंकि संवेदक उच्चतम दर पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए खान को चालू रखने के लिए उसे पुराने दर पर कार्य करने दिया गया । उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि निविदा सूचना में ऐसी कोई धारा नहीं थी कि बेनीफिकेशन प्लांट वाले अभिकर्त्ता को चुनने में प्राथमिकता दी जायेगी । इसके अतिरिक्त कार्यरत संवेदक के इन्कार करने पर उच्चतम दर उद्धृत करने वाले संवेदक को कार्य आवंटन किया जाना चाहिए था ।

2ख.12.3 निम्न रूपांतरण गुणक

निम्न रूपांतरण गुणक के अंगीकरण के फलस्वरूप 0.18 करोड़ रूपयों की हानि हो गयी ।

मेकॉन, राँची के द्वारा बनाये गये परियोजना प्रतिवेदन तथा भारतीय-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रेफाइट का विशिष्ट गुरूतत्व 2.44 था अर्थात् 1 घन मीटर (35.3 घनफीट) 2.44 मेट्रिक टन (14.467 घन फीट समतुल्य 1 मेट्रिक टन के) के समतुल्य था । तथापि, यह पाया गया कि ग्रेफाईट के विक्रय में 30 घनफीट समतुल्य 1 मेट्रीक टन का रूपांतरण गुणक प्रत्युक्त हो रहा था । इस प्रकार, 1996-97 से 2000-01 के अवधि में 14.467 घनफीट के बदले 30 घनफीट के गलत रूपांतरण गुणक के अंगीकरण के परिणाम स्वरूप 10499.291 मेट्रिक टन ग्रेफाइट के बिक्रय में 17.71 लाख रूपयों की सीमांत राशि की हानि हो गई ।

प्रबंधक ने उत्तर दिया (जुलाई 2001) कि, ग्रेफाइट के विशिष्ट गुरूतत्व का आकलन सघन अवस्था में किया गया, जबकि उत्खनन् के पश्चात खनिज को ट्रक में टुकड़ों की अवस्था में लादा जाता है, अत: उनका आकलन शुद्ध था । प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि, लेखापरीक्षा के द्वारा हानि की गणना ट्रक पर टुकड़ों के रूप में लादे जाने पर भॉयड फैक्टर (25 प्रतिशत) को ध्यान में रख कर किया गया था ।

2ख.13 पत्थर

कम उत्पादन के कारण संभाव्य विक्रय अर्जन में 0.42 करोड़ रूपये की हानि ।

कम्पनी द्वारा जून 1976 में 172.80 एकड़ पटट् क्षेत्र वाले पाकुर पत्थर गुणयुक्त चन्दूला तथा सीमालगोडा पत्थर परियोजना को फरक्का बराज परियोजना से 2.43 लाख रुपये सम्पत्ति मूल्य पर हस्तगत किया गया । कम्पनी ने अक्टूबर 1998 में वन विभाग, साहेबगंज के पास वन विमुक्ति हेतु आवेदन दिया, जो कम्पनी द्वारा अपेक्षित सूचनाओं के विलंबित अनुपालन के कारण नहीं हो सका था (जुलाई 2001)। फलस्वरूप अप्रैल 1996 से खनन् कार्य गैर वन क्षेत्र तक ही सिमीत रहा और वर्ष 1996-97 से 2000-01 के अवधि में कम्पनी परिशोधित लक्ष्य 16.30 लाख घनफीट के विरूद्ध मात्र 3.26 लाख घनफीट का उत्खनन् कर सकी । न्यून उत्खनन् के कारण कम्पनी को 42.11 लाख रूपयों के संभाव्य राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

2ख.14 कोयला

कम्पनी ने, बिहार सरकार से (अक्टूबर 1989) पट्टे में प्राप्त 100.47 एकड़ गैर-वन भूभाग के सीकनी ओपेन कास्ट माइन से वर्ष 1990-91 से कोयला का उत्खनन् प्रारंभ किया । सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि॰ (सी.एम.पी.डी.आइ.एल.), राँची के द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार उक्त क्षेत्र में खनन् योग्य 'एफ' ग्रेड 45 लाख टन कोयले का सुरक्षित भंडार था, जिसका खनन् 3 लाख टन प्रतिवर्ष के दर पर करना था ।

2ख.14.1 अनुसंशित मूल्य से कम दर पर कोयला का विक्रय

कोयले के कम दर पर विक्रय के कारण 2.00 करोड़ रूपये की हानि

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार सीकनी खान से उत्खनित कोयला का विक्रय 60 प्रतिशत स्टीम कोयला तथा 40 प्रतिशत स्लैक कोयला के रूप में होना था । तथापि, कम्पनी ने स्टीम कोयला तथा स्लैक कोयला को अलग किऐ बगैर ही 13.54 लाख मेट्रिक टन कोयला को आर.ओ.एम. (रन ऑफ माइन्स) के मूल्य (स्टीम तथा स्लैक दर से कम) पर विक्रय किया, जिसके फलस्वरूप 1995-96 से जून 2000 तक 2 करोड़ रूपयों के राजस्व की हानि हो गयी ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2001) कि प्रारंभ में आर.ओ.एम. मूल्य से उच्च दर पर कोई क्रेता नहीं था, एवं कम्पनी को कोयला- व्यापार का अनुभव नहीं था । कम्पनी का उत्तर अमान्य था, क्योंकि कम्पनी कोयले के व्यवसाय में पिछले 15 वर्षों से थी, फिर भी कोयले को आर.ओ.एम. मूल्य पर बेचने को अधिमान दिया गया तथा स्टीम एवं स्लैक कायेले के विक्रय हेतु प्रयास नहीं किया गया था ।

2ख.15 ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिशींग प्लांट

25 लाख रूपये की पूंजी लागत पर कम्पनी ने राँची में एक छोटा ग्रेनाइट कटींग एवं पॉलिशींग प्लांट स्थापित करने का निश्चय किया (फरवरी 1996) । प्रोजेक्ट प्रोफाईल (जनवरी 1997) के आधार पर मार्च 1997 के ट्रायल रन के बाद प्लांट नवम्बर 1997 से व्यापारिक उत्पादन करने लगा ।

प्लांट का 1998-99 से 1999-2000 के वर्षों के दौरान उत्पादन निष्पादन निम्नवत था :

(स्थापित क्षमता 29,952 वर्गफीट प्रतिवर्ष)

क्रम संख्या	विवरण	प्रोजेक्ट प्रोफाइल के अनुसार (जनवरी 1997)	1998-99	1999-2000
1	उपलब्ध मशीन घंटे	प्राप्त नहीं	15,264	13,776
2	वास्तविक कार्य घंटे	प्राप्त नहीं	6,496	7,888
3	घंटों की हानि के कारण (i) नियंत्राधिन कारण स्पयेर, सामग्री, श्रमिक तथा अन्य की कमी (ii) अनियंत्राधिन कारण बाधित विद्युत आपूर्त्ति तथा ओवरहॉलिंग	प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं	8,280 488	4,330 1,558
4	उपयोगिता का प्रतिशत	प्राप्त नहीं	42.56	57.26
5	वार्षिक उत्पादन, वर्ग फीट	36000	13,024	16,186
6	वार्षिक विक्रय, वर्ग फीट	36000	8,792	10,840
7	वार्षिक विक्रय, प्राप्ति रूपये	27,00,000	3,86,667.70	4,63,318.65
8	विक्रय-प्राप्ति रूपये प्रति वर्ग फीट (7/6)	75	43.98	42.74
9	उत्पादन-लागत रूपये प्रति वर्ग फीट	70.89	64.50	82.66
10	लाभ/हानि रूपये प्रति वर्ग फीट (8-9)	4.11	- 20.52	-39.92
11	वास्तविक लाभ/हानि रूपये (10x5)	1,47,960	- 2,67,252.48	-6,46,145.12

उपर्युक्त तालिका से प्रतीत होता है कि प्रोजेक्टेड विक्रय दर 75 रूपये प्रति वर्ग फीट के विरूद्ध

वास्तविक विक्रय दर वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में क्रमश: 43.98 रूपये एवं 42.74 रूपये प्रति वर्ग फीट था। इसके अतिरिक्त 1999-2000 में प्रतिवर्ग फीट उत्पादन लागत प्रोजक्टेड विक्रय दर से अधिक था, जो इंगित करता है कि प्रोजेक्टेड दर की प्राप्ति होने पर भी कम्पनी को हानि होनी ही थी।

प्लान्ट अव्यवहारिक था। पूंजी लागत निष्फल प्रमाणित हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2001) कि, बाजार-भाव के आलोक में विक्रय-दर की बढ़ोत्तरी संभव नहीं था। तथापि, लेखपरीक्षा विश्लेषण के अनुसार वास्तविक विक्रय दर प्रोजेक्टेड विक्रय दर का 60 प्रतिशत था और यदि प्लान्ट पूरी क्षमता पर भी कार्य करता एवं उत्पादन लागत प्राक्कलन के अन्दर ही रहता तब भी, प्लान्ट अव्यवहारिक था। इस प्रकार, प्लान्ट पर हुए 25 लाख रुपये की पूंजी-लागत निष्फल हो गयी।

2ख.16 बालू-घाट (बालू-खदान)

12 बालू घाटों में से मात्र 4 ही लाभ में थे।

कम्पनी ने वर्ष 1996 से बालू-घाटों को उच्चतम निलामी दर पर प्राप्त कर उनका व्यवसाय प्रारंभ किया। विभिन्न बालू-घाटों पर लेखापरीक्षा संवीक्षा उतरवर्त्ती कंडिकाओं में वर्णित है। वर्ष 1996 से 2000 की अवधि के 7 से 12 बालू घाटों के निष्पादन संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि, वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के अवधि में यद्यपि 5.96 करोड़ रूपयों का लाभ अर्जन हुआ, तथापि मात्र 4 परियोजनाएं ही लाभप्रद थीं, शेष सभी प्रत्येक वर्ष हानि में रही थीं। इन इकाइयों के द्वारा 1996-97 से 1999-2000 की अवधि में कुल हानि 1.79 करोड़ रूपयों की हुई थीं। प्रबंधन द्वारा हानियों के कारणों का विश्लेषण कभी भी नहीं किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा विश्लेषण के अनुसार व्यवहारिकता एवं लाभ प्रदत्ता के पूर्वानुमान/मूल्यांकन किये बिना ही संभाव्य विक्रय से उच्च दर पर इन घाटों की प्राप्ति ही इस हानि का मुख्य कारक था, जैसा कि उत्तरगामी कंडिकाओं में वर्णित है।

2ख.16.1 डिहरी बालू परियोजना

व्यवहारिकता/लाभ प्रदत्ता के आक्कलन न होने के फलस्वरूप 0.59 करोड़ रूपयों की हानि।

वस्तुत: बालू घाटों की व्यवहारिकता को निलामी में भाग लेने की पूर्व आक्कलित नहीं किये जाने के कारण, डिहरी बालू परियोजना में उच्च बोली लगा दी गयी (1998)। आरक्षित राशि 55.64 लाख रूपयों के विरूद्ध कम्पनी ने 2.15 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया। बाद में 31.12.1997 को कम्पनी ने निलामी बोली को अलाभकर जानकर, कार्य करने में असर्मथता व्यक्त किया। फलस्वरूप, राज्य सरकार ने 5.56 लाख रूपये की प्रतिभूति राशि को जप्त कर लिया। पुन: सरकार से विचार-विमर्श के बाद वह बालू घाट कम्पनी को 1.30 करोड़ रूपयों पर आंवटित किया गया (जनवरी 1998), जिसके विरूद्ध विक्रय-प्राप्ति 70.95 लाख रूपये की हुई, परिणामस्वरूप, 59.05 लाख रूपये की हानि हो गयी। इस प्रकार, वित्तीय व्यवहारिकता के आक्कलन किये बगैर परियोजना को हस्तगत करने का परिणाम 59.05 लाख रूपये की हानि थी।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जुलाई 2001) कि कोइलवर परियोजना के विक्रय की रक्षा के लिए डिहरी परियोजना के घाटों को उच्चदर पर प्राप्त किये गये। उत्तर अमान्य था, क्योंकि डिहरी के घाटों को 1998 के बाद प्राप्त नहीं किया गया, परन्तु तब भी कोइलवर परियोजना का विक्रय उत्तरगामी वर्षों में बढ़ती गयी।

2ख.16.2 कोईलवर बालू परियोजना

अवरोधक के संस्थापन में विलम्ब के कारण 2.86 करोड़ रुपये के सम्भावित राजस्व की हानि।

बगैर चालान, बालू के उठाव/स्थानांतरण के कारण होने वाले राजस्व-रिसन से बचाव हेतु, कोईलवर परियोजा के दोनों तरफ दो बिन्दुओं पर 16.1.2001 से अवरोधक लगा दिये गये। फरवरी 2001 से मई 2001 के तीन माहों के बालू विक्रय प्राप्ति का गत वर्ष के तीन माहों के बालू विक्रय प्राप्ति

के तुलना से विदित हुआ कि विक्री में 58 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी थी जो विगत वर्षों में हुयी राजस्व-रिसन को इंगित करना था ।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जुलाई 2001) कि लगभग 150 ट्रक बालू के अवैध विक्रय में लिप्त थे तथा अवरोधक के स्थापना के बाद अवैध विक्रय बन्द हो गया । अत: अवरोधक के स्थापना में हुई विलंब के कारण कम्पनी को वर्ष 2000 में 2.86 करोड़ रूपये के संभाव्य राजस्व की हानि हो गयी (150 ट्रक 530 रुपये प्रति ट्रक बालू के दर पर) ।

2ख.17 दैनिक दिहाड़ी मजदूर

2.11 करोड़ रूपये की अनियमित मजदूरी का भुगतान किया गया ।

बिहार सरकार, लोक उद्यम ब्यूरो (सं.-4-पी ए ब्यूरो मिस-4/90/226 दिनांक 3.3.90) के अनुसार दैनिक दिहाड़ी मजदूर सहित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सरकार की संस्वीकृति अपेक्षित थी । तथापि, इसके विपरित सरकार के संस्वीकृति के बिना ही अतिरिक्त दैनिक दिहाड़ी मजदूरों को नियुक्त किया गया । इसके फलस्वरूप 1996-97 से 2000-01 की अवधि में 2.11 करोड़ रूपयों की अनियमित मजदूरी का भुगतान, हुआ जो निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	कुशल		अर्ध कुशल		अकुशल		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1996-97	30	5.12	85	12.09	195	22.80	310	40.01
1997-98	28	4.88	83	12.04	188	22.42	299	39.34
1998-99	26	4.97	81	12.92	183	23.99	290	41.88
1999-2000	24	5.04	80	12.04	186	26.82	290	45.90
2000-01	24	5.12	72	12.85	177	25.90	273	43.87
कुल योग	**132**	**25.13**	**401**	**63.94**	**929**	**121.93**	**1462**	**211.00**

2ख.18 प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आइ.एस.)

कम्पनी ने सूचनाओं/आंकड़ों के संकलन, सुदृढ़ीकरण एवं विश्लेषण हेतु किसी व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली को नहीं अपनाया था । कम्पनी के विभिन्न विभागों से, समय-समय पर टुकड़ों में प्राप्त उत्पादन विक्रय, बाजार सर्वे, वित्तीय लागत प्रतिवेदन, मानव बल प्रतिवेदन, उत्खनन् प्रतिवेदन नवीन खान योजना एवं उत्पादन तथा वार्षिक स्टॉक भौतिक सत्यापन इत्यादि सम्बन्धित मेनुअल डाटा को उपयोगी निर्णय लेने में प्रत्युक्त नहीं किया जा रहा था । प्रभावी एम.आई.एस. की अनुपस्थिति में प्रबंधन खनिजवार लाभ प्रदत्ता के आकलन करने की स्थिति में नहीं था ।

2ख.19 विपत्रीकरण एवं कराधान

बिहार वित्तीय अधिनियम,1981 के नियम 24 एवं 34 में क्रेता से फॉर्म IX एवं IX सी के प्रस्तुत करने पर रियायती दर पर विक्री-कर वसूली का प्रावधान था जिसको विक्रेता को विक्री-कर विवरणी के साथ, जमा करने का प्रावधान था । चूंकि, कम्पनी ने रियायती दर पर विक्री-कर का संकलन, संवेदक (सरकारी एवं सरकारी उपक्रम) से फॉर्म IX एवं IX सी प्राप्त किये बिना ही कर लिया था, विक्री-कर अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 (फरवरी 1999) में 21.63 लाख रूपये का मांग पत्र भेजा । कम्पनी के अपीलों को अपील अधिकारी ने ठुकरा दिया (मई 2001) ।

इस प्रकार, ग्राहक से फॉर्म IX एवं IX सी के संकलन न करने के कारण कम्पनी को 21.63 लाख रूपये की अतिरिक्त देयता का वहन करना पड़ा ।

2ख.20 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये ।

कम्पनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं थी । मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय इकाईयों के आंतरिक लेखापरीक्षा सम्पादन हेतु सनदी लेखाकारों के फर्मों की नियुक्ति कर, नेमी जांच तथा प्रत्ययन (वाउचिंग) का कार्य करवाया जाता था । तथापि, परियोजना स्तर पर बालू घाटों सहित मानव बल की उपयोगिता तथा लाभप्रदता/व्यवहारिकता आंतिरक लेखापरीक्षक के कार्य क्षेत्र के बाहर थे । सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते थे, परन्तु उजागर किये गये खामियों के निवारण हेतु कोई सुधारक उपाय नहीं किये जाते थे, क्योंकि इन्हें कभी भी निदेशक मंडल के सामने उपस्थापित नहीं किया गया था ।

उपर्युक्त मामलें सरकार को जून 2001 में सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2001) ।

निष्कर्ष

ग्रेफाइट, चूना पत्थर, तथा पत्थर के उत्पादन में वन विमुक्ति में विलंब, असुरक्षित तथा अयोजनाबद्ध खनन् के कारण कम्पनी को इष्टतम परिणाम की प्राप्ति नहीं हो सकी । खनिजों के विक्रय से इच्छित राजस्व की प्राप्ति न हो सकने का कारण अदक्ष विपणन क्रिया कलाप, कम उत्खनन् करने वाले अभिकर्त्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक प्रावधानों के परिपालन न होने, बाजार दर से कम पर बिक्रय दर का निर्धारण था । यहां तक कि चूना पत्थर, ग्रेफाइट तथा अभ्रक के मूल-लागत प्रति मेट्रिक टन विक्रय दर से काफी अधिक था । अत:, कम्पनी को तुरंत इन खनिजों का उत्खनन् रोककर, इकाईयों को बन्द कर देना चाहिए । कम्पनी को कोयले तथा बालू के उत्खनन् पर अपना ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए ।

अध्याय-III

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रोचक प्रसंग

3 सांविधिक निगमें

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

3.1.1 अदूरदर्शितापूर्ण एवं विलंब से कार्रवाई के कारण 301 मि०यू० उर्जा उत्पादन की हानि ।

मरम्मती कार्य के अधिनिर्णय एवं जम्पर के क्रय में विलंब के फलस्वरूप 30.16 करोड़ रूपये मूल्य के उर्जा उत्पादन की क्षति

(i) जेनरेटर के खराब होने के कारण स्वर्णरेखा हाइडल पावर स्टेशन (एस०एच०पी०एस०), सिकीदीरी का ईकाई सं० 1, 14 जुलाई 1998 से बंद हो गया । यूनिट का निर्माण, रूपांकरण एवं चालू करने वाले संस्थान मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को क्षति के निरीक्षण एवं आक्कलन हेतु बुलाया गया । निरीक्षण/आकलन का कार्य मेसर्स भेल एवं परियोजना अभियंताओं द्वारा साथ-साथ एक पखवाड़े के अन्दर किया गया (26.07.1998) ।

पुनर्स्थापना कार्य का आठ माह के बाद अधिनिर्णय होने से 26.58 करोड़ रूपये मूल्य के ऊर्जा उत्पादन की हानि

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की छानबीन (जनवरी 2001) से स्पष्ट हुआ कि माननीय उच्चन्यायालय द्वारा गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में, मरम्मती एवं संधारण का कार्य उत्पादनकर्त्ता द्वारा प्रोपराइटरी मद के रूप में किया जाना था । मेम्बर (जेनरेशन) ने भी (नवम्बर 1998) प्रतिदिन 10 लाख रूपये की उर्जा उत्पादन क्षति से बचने हेतु भेल से ही मरम्मती कार्य कराने पर जोर दिया । मरम्मती कार्य शीघ्र कराये जाने की अहमियत की जानकारी रहने के बावजूद इकाई के पुनर्वास का कार्य मेसर्स भेल को 2 करोड़ रूपये की कुल लागत पर 15 अक्टूबर 1998 को उनके प्रस्ताव की प्राप्ति के 8 महीने के विलंब से दिया गया (जुलाई 1999) । कार्य पूरा करने की तिथि 5 सितम्बर 1999 थी और मेसर्स भेल द्वारा कार्य नवम्बर 1999 में संपन्न किया गया ।

विलम्ब के कारण थे निविदा-प्रकाशन, उसकी प्रक्रिया, तुलनात्मक विवरणी बनने की प्रक्रिया जो निविदा की शर्तों के अनुरूप योग्य निविदाताओं के अभाव में कार्यान्वित नहीं हो सके । यदि अनुभव/तकनीकी जानकारी एवं कार्य में एकाधिकार के आधार पर मेसर्स भेल को पुनर्वास का कार्य सीधे दिया जाता तो यह विलंब नहीं होता, हालाँकि उन्होंने ही मशीनों का निर्माण रूपांकन एवं स्थापना किया था, और इकाई को कम से कम आठ महीने पहले ही प्रचालन में लाया जा सकता था ।

इस प्रकार मरमत्ती कार्य के अधिनिर्णय में विलंब के कारण जुलाई 1998 से नवम्बर 1999 के दौरान 26.58 करोड़ रूपये मूल्य के 265.78 लाख मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की क्षति हुई ।

(ii) मार्च 2000 में प्लान्ट के अभियंताओं द्वारा स्वर्णरेखा हाइडल पावर-स्टेशन के इकाई-I एवं II के जम्पर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता महसूस की गई । तकनीकि विशिष्टता एवं केन्द्रीय भंडार में इसकी अनुपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के बाद 40 जम्परों के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया गया (जून 2000) । हिन्द इलेक्ट्रिक एवं ट्रेडिंग कम्पनी जो निम्नतम निविदा दर दाता था, को 0.48 लाख रुपये मूल्य पर, 45 दिनों के अवधि के अन्दर आपूर्ति करने का आदेश देने में डेढ़ माह का विलंब हुआ (4 अगस्त 2000) । सामग्री की प्राप्ति 1 नवम्बर 2000 को हुई । इस बीच इकाई संख्या-II जम्पर के जलने के कारण 9 अक्टूबर 2000 को बंद हो गया ।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी 2001) कि जम्पर के अनुपलब्धता के कारण यूनिट संख्या I से जम्पर निकालकर 12 अक्टूबर 2000 को इकाई संख्या II में लगाकर उसे पुन: प्रचालन में लाया गया । इस प्रकार इकाई संख्या I बस जम्पर के अभाव में 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक निष्क्रिय रहा जिसे 1.11.2000 को बदला गया ।

जम्पर के अधिप्राप्ति में विलंब के कारण 3.58 करोड़ रूपये के ऊर्जा उत्पादन की हानि ।

इस प्रकार जम्पर के विलंब से अधिप्राप्ति के कारण इकाई सं० II दिनांक 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर एवं इकाई सं० I, 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2000 तक अनावश्यक रूप से बंद रहे, जिससे 3.58 करोड़ रूपये मूल्य के 35.88 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की हानि हुयी ।

उपयुर्क्त दोनों मामलों में 30.16 करोड़ रूपये मूल्य की 301.66 मि०यू० ऊर्जा-उत्पादन हानि परिहार्य था ।

मामले को बोर्ड/सरकार को सूचित किया गया (जून 2001); लेकिन उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2001) ।

3.1.2 अनियोजित कार्य - निष्पादन

समय पर सामग्रियों की आपूर्ति में बोर्ड की असफलता के कारण 0.20 करोड़ रूपये निरूद्ध हुए तथा 0.06 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्रियों की क्षति हुयी ।

झरिया शक्ति उप-केन्द्र के अत्यधिक भार को कम करने हेतु बोर्ड ने शक्ति उप-केन्द्र भागा और भागा शक्ति उपकेन्द्र से डिगवाडीह शक्ति उप-केन्द्र तक 33 के.वी. लाईन के निर्माण हेतु क्रमश: 30.79 लाख एवं 14.76 लाख रूपये का प्राक्कलन क्रमश: मई 1987 एवं दिसम्बर 1986 में स्वीकृत किया ।

दोनों कार्य क्रमश: 2.02 लाख एवं 0.45 लाख रूपये (जिसे फरवरी 1994 में 1.78 लाख रूपये तक पुनरीक्षित की गई) के श्रम लागत पर कार्य के अधिनिर्णय के 60 एवं 45 दिनों के अन्दर पूरा करने के लिए बी. के. तुलसियान को क्रमश: फरवरी 1998 एवं जनवरी 1989 में कार्यादेश दिया गया । अभिकर्त्ता ने भागा शक्ति उप-केन्द्र के 11.12 लाख रूपये (श्रमिक मूल्य 1.50 लाख रूपये एवं सामग्री मूल्य 9.62 लाख रूपये) एवं 33 के.वी. लाईन के 9.22 लाख रूपये (श्रमिक मूल्य 1.09 लाख रूपये एवं सामग्री मूल्य 8.13 लाख रूपये) के आंशिक कार्य को ही पूरा किया । तदुपरान्त, बोर्ड के द्वारा आपूर्त्ति किये जाने वाले सामग्रियों के अभाव में कार्य बंद कर दिया गया (जुलाई 1991) । 10 वर्षों के अवधि के पूरा होने के बाद भी बोर्ड द्वारा सामग्रियों का क्रय नहीं किये जाने के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे ।

लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया (अगस्त 2000) कि उपयोग किये गये एवं कार्यस्थल पर अव्यवहृत पड़ी हुई सामग्रियों की सुरक्षा हेतु बोर्ड ने कोई व्यवस्था नहीं की । परिणामस्वरूप 5.68 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियां या तो खो गईं अथवा चोरी हो गई ।

हाँलाकि शक्ति उप-केन्द्र भागा के बचे कार्य के लिए अक्टूबर 1999 में 69.36 लाख रूपये के प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 33 के.वी. लाईन के बचे कार्य का प्राक्कलन अभी तक तैयार नहीं किया गया (अगस्त 2000) । शक्ति उप-केन्द्र भागा के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर कार्य आरम्भ नहीं किये जाने और 33 के.वी. लाईन के बचे कार्य के प्राक्कलन को नहीं बनाये जाने के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे ।

अत: बोर्ड के द्वारा समय पर सामग्री की आपूर्त्ति नहीं किये जाने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका । फलस्वरूप बोर्ड की निधि के 20.34 लाख रूपये निरूद्ध हुए और 5.68 लाख रूपये के सामग्री की हानि के अतिरिक्त भागा क्षेत्र के लोगों को लगातार विद्युत की आपूर्त्ति करते रहने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

मामले को बोर्ड/सरकार को सूचित कर दी गयी (अप्रैल 2001); जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 2001)

3.1.3 अनुवीक्षण के अभाव के कारण हानि

स्वीकृत लक्ष्यों के अतिरिक्त कुटीर ज्योति कनेक्सनों को विमुक्त करने से संबंधित अनुदान के दावों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण अस्वीकृत हो जाने से 0.19 करोड़ रूपये की हानि ।

दावों के विलंब से प्रस्तुति के कारण 0.19 करोड़ रूपये की हानि

भारत सरकार के कुटीर ज्योति योजना (के.जे.) के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के घरों में एकल बिंदु विद्युत कनेक्शन दी गई । कनेक्शन के सारे खर्च की क्षतिपूर्त्ति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) की ओर से राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान के माध्यम से की जानी थी । योजना में साथ-साथ यह विहित था कि स्वीकृत अनुदान के अलावे कोई खर्च केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाना चाहिए और लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी तैयार होने के एक माह के अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (अगस्त 2000) कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुमोदित क्रमश: 21820 एवं 10230 कुटीर ज्योति कनेक्सनों के विरूद्ध उचित अनुवीक्षण के अभाव में लक्ष्यों के अलावे क्रमश: 554 एवं 2141 कनेक्सनों को विमुक्त किया गया ।

लक्ष्यों से अधिक कुटीर ज्योति कनेक्सनों से संबधित अनुदानों की क्षतिपूर्त्ति के दावे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को विलंब से अगस्त/सितंबर 1997 में भेजे गए और उन्हें निरस्त कर दिया गया (अगस्त 1999) क्योंकि व्यय स्वीकृत लक्ष्यों से अधिक कनेक्सनों पर किया गया था और दावे समय पर प्रस्तुत नहीं किए गये थे । दावों को देर से प्रस्तुत करने के दोषी कार्मिकों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया था ।

इस प्रकार, लक्ष्यों के अंतर्गत कुटीर ज्योति कनेक्सनों के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण नहीं

किए जाने तथा दावों को विलंबित प्रस्तुति के कारण 19.21 लाख रूपय की हानि हुई ।

मामले की सूचना बोर्ड/सरकार को दी गई (अप्रेल 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जुलाई 2001) ।

3.1.4 निष्क्रिय व्यय

बोर्ड स्तर से ट्रान्सफार्मर की जाँच एवं कमिशनिंग के अभाव में 0.07 करोड़ रुपये का किया गया सम्पूर्ण व्यय निरर्थक रहा ।

सिकदीरी हाइडल पावर स्टेशन की कॉलनी इत्यादि सहित संपूर्ण सहायक उपकरणों में विद्युत भार पूर्ति करने वाला 20 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉर्मर जून 1992 में जल गया । इस अंतराल में सिकदरी हाइडल पावर स्टेशन के विद्युत उपकरणों/कॉलनी की विद्युत व्यवस्था एक अन्य 9.4 एम.वी.ए. के पावर ट्रान्सफॉर्मर से सम्पादित करते रहा ।

मरम्मत किया गया ट्रान्सॅफार्मर तीन वर्षों से भी अधिक बिलंब के उपरान्त स्वीच यार्ड में लाया गया ।

बोर्ड ने मेसर्स जी.ई.सी. लिमिटेड (फर्म) को 20 एम.वी.ए. के ट्रान्सफॉर्मर की मरमत्ती हेतु 4.95 लाख रुपये की लागत पर (जिसे पर्यवेक्षण व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप मई 1993 में 7.60 लाख रुपये तक संशोधित कर दिया गया) आदेश निर्गत किया (जनवरी 1993) । जले ट्रान्सफार्मर को स्वीचयार्ड से एस.एच.पी.एस. के शक्ति गृह II में मरमत्ती हेतु अप्रैल 1993 में लाया गया और फर्म ने जुलाई 1993 में मरम्मती का कार्य पूरा कर दिया । फर्म को 4.85 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया (जुलाई 1993) । फर्म ने मरम्मती के उपरान्त ट्रान्सफॉर्मर न तो जाँच की न ही चालू किया एवं बोर्ड को यह सूचित किया (जनवरी 1994) कि उसके द्वारा मरमत्ती का दायित्व पूरा कर दिया गया एवं इसके बाद ट्रान्सफॉर्मर को कार्य स्थिति में लाने की कारवाई बोर्ड द्वारा की जानी है । मरम्मत किया गया ट्रान्सफॉर्मर तीन वर्षों से ज्यदा बिलंब के उपरान्त नवम्बर 1996 में स्वीच यार्ड में लाया गया । तकनीकि कारणवश बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा ट्रान्सफार्मर की जाँच एवं उसे चालू नहीं किया जा सका ।

परिणामतः एस.एच.पी.एस. ने दूसरे अन्य 20 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉर्मर की अधिप्राप्ति हेतु मुख्यालय से निवेदन किया गया (मई 2000), क्योंकि, मरम्मत किये गये ट्रान्सफॉर्मर को चालू होना अनिश्चित था एवं 9.4 एम.वी.ए. ट्रान्सफॉर्मर के फेल होने से उर्जा उत्पादन में क्षति होती।

इस प्रकार मरम्मत किये गये ट्रान्सफॉर्मर को 7 वर्षों तक उपयोग में न लाने के कारण उस पर व्यय किए गए 7.11 लाख रुपये (2.26 लाख रुपये के परिवहन खर्च सहित) निष्क्रिय हो गये।

मामला बोर्ड/सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2001); लेकिन उत्तर अप्राप्त थे । (अगस्त 2001) ।

3.1.5 वाहनों का अनाधिकृत आवंटन

राज्य सरकार के आदेश के विपरीत बोर्ड ने मंत्रियों/राज्य मंत्रियों को वाहन उपलब्ध कराया एवं इन वाहनों पर हुए व्यय मो. 0.13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्त्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई ।

अनावश्यक व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने लोक उपक्रमों सहित अपने विभागों

को यह निदेश दिया (अगस्त 1990) कि किसी भी कंपनी को कुल चार वाहन यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं कार्यालय के उपयोग हेतु प्रत्येक को एक वाहन ही अनुमत्य होंगे। इस आदेश के साथ-साथ यह उल्लिखित था कि विभागों द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री एवं सचिव प्रत्येक को एक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा ।

मंत्रियों/राज्यमंत्रियों को उपलब्ध कराये गये वाहनों पर हुए व्यय की क्षतिपूर्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि (अगस्त 2000) मंत्री/राज्य मंत्री के अनुरोध पर उन्हें बोर्ड ने अगस्त 1997 से दिसंबर 1977 तक वाहन उपलब्ध कराया एवं इन वाहनों पर मरम्मत एवं अनुरक्षण आदि सहित ईंधन पर हुए खर्च की क्षतिपूर्ति हेतु मो. 1.63 लाख रुपए का दावा प्रस्तुत किया । बिहार सरकार, ऊर्जा विभाग ने सूचित किया (जनवरी 1998) को 31 दिसंबर 1997 को मंत्रियों को नई कारें दी गई एवं उक्त अवधि के पूर्व मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक को आवंटित वाहन पर ईंधन आदि पर हुए खर्चों की विवरणी मांगी । तथापि, सरकार द्वारा मंत्रियों को विभागीय वाहनों के आवंटन की सूचना देने के बावजूद बोर्ड ने मंत्रियों को वाहन आवंटित करना जारी रखा । सरकार ने बोर्ड द्वारा ईंधन आदि पर हुए खर्चों के वहन करने के स्रोत के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की (जनवरी 1999) एवं स्पष्टीकरणों के अभाव में व्यय की क्षतिपूर्ति के लिए दावों को मानने में अपनी असमर्थता जताई (अप्रैल 1999) । बोर्ड ने बताया (जून 1999) कि उन्होंने सरकार से ईंधन के लागत की वसूली करने का निर्णय लिया है और दावों को प्रस्तुत करना जारी रखा जो अगस्त 1997 से जुलाई 2000 तक की अवधि के लिए कुल 5.32 लाख रुपए के थे । परन्तु, अब तक (जुलाई 2001) राज्य सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1990 से 1994 तक की अवधि से संबंधित 7.92 लाख रुपए के इसी तरह के दावों की क्षतिपूर्ति भी सरकार द्वारा नहीं की गई थी । बोर्ड ने दावों को प्रस्तुत करते समय उनमें वाहन चालकों के वेतन को नहीं जोड़ा और इसके लिए कोई कारण भी अभिलेख में नहीं था ।

इस प्रकार वाहन के आवंटन के कारण मंत्री को अगस्त 1997 से जुलाई 2000 के बीच हुए 5.32 लाख रुपए के व्यय की क्षति पूर्ति नहीं हुई और इसे भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है ।

मामले की सूचना बोर्ड/सरकार को दे दी गयी (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जुलाई 2001) ।

3.1.6 निष्फल व्यय

जल संस्थापन एवं सेनेटरी फिटिंग्स के शेष कार्य के प्राक्कलन स्वीकृति में बिलंब के कारण बोर्ड के 0.29 करोड़ रुपये निरुद्ध रहे जिससे 0.28 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुयी ।

स्वर्णरेखा जल विद्युत पावर स्टेशन, सिकीदीरी में प्रति ब्लौक 8 क्वाटरों से युक्त दो बलौकों के स्थायी आवासीय भवन के निर्माण हेतु बोर्ड ने असैनिक कार्य के लिए दो संबेदकों को क्रमशः 14.79 लाख रुपये एवं 13.55 लाख रुपये की लागत पर कार्य आवंटित किया (फरवरी 1988) जिसे फरवरी 1989 तक पूरा किया जाना था । एकरारनामा के अनुसार सीमेंट एवं छड़ बोर्ड के द्वारा आपूर्ति की जानी थी ।

असैनिक कार्य अप्रैल 1991 एवं अगस्त 1992 में कुल 28.34 लाख रुपये की लागत पर सम्पन किये गये । लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 2001) कि बोर्ड द्वारा समय पर सीमेंट एवं छड़ों की आपूर्त्ति नहीं किये जाने से निर्माण कार्य में विलंब हुआ । विद्युतीकरण कार्य 0.75 लाख रुपये की लागत पर अगस्त 1992 में पूर्ण हुआ ।

उसके बाद जल संस्थापन एवं सेनेटरी फिटिंग्स का कार्य 4.99 लाख रुपये की लागत पर संवेदक को छः माह के अन्दर पूरा कर देने के लिए सौंपा गया (जनवरी 1993)। संवेदक द्वारा मार्च 1994 तक 1.75 लाख रुपये का कार्य कर अधूरा अवस्था में छोड़ दिया गया । लेखा परीक्षा द्वारा उजागर किये जाने के बाद (सितम्बर 1994) बोर्ड ने कार्य की अन्तिम नापी कर फरवरी 1995 में कार्य असंतोषजनक होने के आधार पर एकरारनामा को रद्द कर दिया ।

0.29 करोड़ रुपये के लागत पर निर्मित क्वाटरों में जल संस्थापन एवं सेनेटरी फिटिंग्स के अभाव में व्यवहार नहीं किया जा सका।

तदुपरान्त शेष सेनेटरी फिटिंग्स एवं जलसंस्थापन कार्य दो संवेदकों को, प्रत्येक को 2.42 लाख रुपये की लागत पर छः माह के भीतर कार्य पूरा करने के शर्त्त के साथ आवंटित किया गया (अगस्त 1999)। परन्तु, उनमें से एक संवेदक द्वारा 1.00 लाख रुपये का कार्य अक्टुबर 2000 तक किया गया एवं दूसरे ने अबतक एकरारनामा नहीं किया (जनवरी 2001)।

इस तरह, 29.09 लाख रुपये की लागत पर असैनिक एवं विद्युतीकरण का कार्य अगस्त 1992 में पूरा होने के बाद भी क्वाटरों को सात वर्षों तक (जनवरी 2001) उपयोग में नहीं लाया गया। उत्तर में यह कहा गया (जनवरी 2001) कि फरवरी 1995 में ठेका रद्ध किये जाने के बाद, प्राक्कलन खो जाने के कारण जल संस्थापन एवं सेनेटरी फिटिंग्स के शेष कार्य का प्राक्कलन बोर्ड द्वारा वर्ष 1998 में स्वीकृत किया जा सका ।

इस प्रकार जलसंस्थापन एवं सेनेटरी फिटिंग्स के शेष कार्य के प्राक्कलन की स्वीकृति में बिलंब एवं इस ओर परियोजना पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण, बोर्ड की 29.09 लाख रुपये की राशि 8 वर्षों तक निरुद्ध रहने के फलस्वरूप कर्मचारियों को आवासीय सुविधाऐं प्रदत्त किये जाने के उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं होने के साथ-साथ बोर्ड को 27.93 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

मामला बोर्ड/सरकार को सूचि किया गया (अप्रैल 2001); लेकिन उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2001)।

3.1.7 बीमा अनुबंधन के अनुपालन नहीं होने के कारण हानि।

बीमा अनुबंध के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप 0.15 करोड़ रु. के मूल्य के सामग्रियों की हानि ।

हटिया-सिकिदरी सिंगल सर्किट 132 के. भी. संचरण लाइन (तृतीय सर्किट) के निर्माण कार्य में अत्यधिक दिनों तक कार्य लम्बित रहने के कारण 4.51 लाख रूपये के टावर के सामग्रियों की चोरी से संबंधित कंडिका का उल्लेख 31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में किया गया था ।

संवेदक को सामग्री के मूल्य सूचित करने में विलंब के कारण जोखिम का बीमा नहीं था ।

पुनः लेखापरीक्षा के क्रम में (सितम्बर 2000) यह पाया गया कि मेसर्स पावर लाइन कन्सट्रक्सन कम्पनी (पी.एल.सी.सी.) कलकत्ता को उपरोक्त लाइन के निर्माण के लिए दी गई कार्यादेश (जनवरी 1987) के अनुबंध 14 के अनुरूप लाइन के निर्माण के लिए दी गई टावर एवं लाइन सामग्रियों का, कार्य हेतु ली गई सामग्रियों का मूल्य बोर्ड द्वारा सूचित किये जाने पर संवेदक द्वारा पूर्ण निर्मित लाइन को बोर्ड के समर्पित किये जाने के समय तक बीमाकृत कराना था । बोर्ड द्वारा बीमा हेतु भारित राशि ठेकेदार को वापस किया जाना था । बोर्ड द्वारा ठिकेदार को दी गई या दी जानेवाली सामग्रियों के बीमा हेतु उनका मूल्य (1.64 करोड़ रुपये) 8 वर्ष के अत्यंत बिलम्ब (जनवरी 1995) से सूचित किया गया । परन्तु बीमा कम्पनी द्वारा निर्माण-बीमा करने से इन्कार कर दिया गया क्योंकि इस समय तक 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चूका था । ठेकेदार ने निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया (फरवरी 1996), जो अभी तक अपूर्ण है ।

उपरोक्त लाइन के पुर्ननिर्माण हेतु आक्कलन (मई 1999) से यह साक्ष्य उद्धृत हुआ कि उस लाइन के अनिर्मित अवस्था में छोड़े जाने के फलस्वरूप नवम्बर 1994 से अक्टूबर 1997 तक 0.15 करोड़ रूपये मूल्य के तार एवं टावर सामग्रियों की चोरी हुई । सामग्रियों के बीमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप बोर्ड को चोरी के कारण हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी।

अपने उत्तर में बोर्ड ने कहा (मई 2001) कि प्रभारी अभियंता द्वारा गलतियों से बचा जा सकता था ।

इन तथ्यों को सरकार को (जून 2001) प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्रतिक्षित थे। (अगस्त 2001) ।

3.1.8 उपभोक्ता के प्रति अनुचित पक्षपात

सम्बद्ध भार को कम कर आँकनें के कारण बोर्ड को 0.35 करोड़ के रुपये की हानि ।

सितम्बर 1999 से लागू इन्डक्सन फर्नेन्स से संबंधित उच्च भार उपभोक्ताओं के लिए औपबंधिक टैरिफ के अनुसार 1 टन क्षमता वाले फर्नेन्स का भार किसी भी मामले में 600 के.वी.ए. से कम नहीं ऑका जाना था ।

उपभोक्ता का भार 200 के.वी.ए. कम आँके जाने के कारण 0.35 करोड़ रुपए की हानि ।

लेखा परीक्षा (जुलाई 2000) के क्रम में यह पाया गया कि मेसर्स विक्रोमैटिक स्टील प्राईवेट लिमिटेड, वैजनाथपुर, देवघर, सितम्बर 1998 तक 3 टन क्षमता वाले ईन्डक्सन फर्नेन्स के लिए 1300के.वी.ए. संविदा मांग पर शक्ति का उपभोग कर रहा था। अक्टूबर1998 में 800के.वी.ए. के अतिरिक्त भार हेतु एकरारनामा किया गया । एक वर्ष बाद पुनः इन्डक्सन फर्नेन्स से सम्बन्धित टैरिफ में परिवर्तन के कारण सितम्बर 1999 में बोर्ड ने उपभोक्ता के साथ 2400 के.वी.ए. भार का नया करार किया । लेकिन टैरिफ के उपबंन्धों में दिए गए निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता का भार 2600 के.वी.ए. होना चाहिए था अर्थात् (600 के.वी.ए.X3+800 के.वी.ए.) । इस प्रकार 200 के.वी.ए. कम भार पर प्रभारित किया जा रहा था जो उपभोक्ता के साथ अनुचित पक्षपात था, जिसके कारण बोर्ड को (सितम्बर 1999 से मार्च 2001 तक) 35.37 लाख रूपये की हानि हुई ।

मामला बोर्ड/सरकार को सूचित किया गया (मई 2001); लेकिन उत्तर अप्राप्त थे (जुलाई 2001)।

31.9 व्यर्थ पड़े विद्युत लाईनों को नहीं हटाने के कारण हानि

व्यर्थ पड़े लाईनों को समय पर नहीं हटाने के कारण 0.54 करोड़ रुपये की हानि ।

132 के.वी. ग्रिड उपकेन्द्र, डाबर ग्राम से मधुपुर शक्ति उपकेन्द्र तक 31.20 लाख रुपये की लागत से नया 33 के.वी. लाईन का निर्माण (अक्टूबर 1997) में किया गया जिसके परिणाम स्वरूप वर्त्तमान 32 कि.मि. लम्बा 33 के.वी. लाईन (करमाटॉड्-मधुपुर) व्यर्थ हो गया । बोर्ड यह जानते हुए भी कि वह क्षेत्र चोरी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, बेकार पड़े लाईन को नहीं हटाया । उक्त लाईन का विस्तृत इनवेंटरी तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया (दिसम्बर 1998), जिसे पन्द्रह दिनों के अन्दर सर्वे प्रतिवेदन समर्पित करना था । समिति ने फरवरी 1999 में अपना प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें 26.30 लाख रुपये मूल्य के समानों की चोरी दिखलाई गई थी । पुनः बचे हुए समानों, जिनका मूल्य 20.34 लाख रुपये था, को हटाने के लिए 2.52 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया जिसका अब तक (अप्रैल 2001) अनुमोदन नहीं हो पाया ।

उसी तरह 33 के.वी. सरैया हाट-गोड्डा 33 के.वी. लाईन, गोड्डा शक्ति उपकेन्द्र में ललमटिया ग्रिड उपकेन्द्र से शक्ति प्रवाह (जूलाई 1990) होने के कारण व्यर्थ हो गया । इस लाईन के नहीं हटाने के कारण 27.31 लाख रूपये मूल्य के 80 कि. मी. लम्बा तार एवं 75 रेल पोल एवं अन्य समानों की चोरी हो गयी । (नवम्बर 1998) । सर्वे प्रतिवेदन के अनुसार 40.09 लाख मूल्य के अन्य समान अभी तक बगैर हटाये पड़े हुए थे (जुलाई 2000) ।

व्यर्थ पड़े लाईन को हटाने में विलम्ब के कारण 0.54 करोड़ रुपये की हानि ।

अतः, पहले मामले में बेकार पड़े लाईन को 42 माह तक (नवम्बर 1997 से अप्रैल 2001) एवं दूसरे में 10 वर्षों तक हटाने में असमान्य विलम्ब के कारण 53.61 लाख मूल्य के समानों की चोरी हो गयी जिस पर बोर्ड द्वारा न तो कोई जाँच करायी गयी न ही उतरदायित्व का निर्धारण किया गया।

मामला बोर्ड/सरकार को सूचित किया गया (मई 2001); लेकिन उत्तर अप्राप्त थे (जुलाई 2001) ।

3.1.10 विद्युत लाईन के निर्माण में विलंब से अतिरिक्त व्यय

अत्यधिक विलंब से लाईन निर्माण एवं उसकी पंक्तिवद्धता में परिवर्त्तन के फलस्वरूप 0.13 करोड़ रुपये का निर्रथक व्यय के अतिरिक्त 0.69 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय ।

बेगुसराय ग्रीड सबस्टेशन से हाथीदह लाईन को जोड़ने के उद्देश्य से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने मेसर्स पायोनियर कन्सट्रक्सन कंपनी (पी.सी.सी.) पटना को सहायक सामानों सहित टावरों की आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया (जून 1993), जिसके अन्तर्गत खम्भा खड़ा करने के साथ-साथ 220 के. भी बेगूसराय-सिमरिया घाट दोहरी सर्किट संचरण लाईन में तार तनाई कार्य कुल 1.00 करोड़ रुपये (सामग्री मूल्य 72.66 लाख रुपये एवं निर्माण करने की लागत 27.67 लाख रुपये) की लागत पर, दिसम्बर 1994 तक पूर्ण किये जाने का आदेश निहित था । 2.04 लाख रुपये के निर्माण कार्य किये जाने के बाद कार्य विपत्र के राशि के भुगतान नहीं किये जाने के कारण एजेन्सी द्वारा कार्य छोड़ दिया गया (जून 1994) । पुनः दिसम्बर 1998 में, 53 महीनों के अन्तराल के बाद कार्य प्रारंभ किया गया जिसके पूरा करने की तिथि जून 2000 तक थी । 1.05 करोड़ रुपये के संशोधित (दिसम्बर 1999) लागत पर अक्टुबर 2000 में कार्य पूरा कर दिया गया (सामग्री मूल्य 72.66 लाख रुपये एवं निर्माण लागत 32.03 लाख रुपये) ।

लाईन के पंक्बिद्धता में परिवर्तन के कारण 0.69 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

लेखा परीक्षण के छान बीन के दौरान (मई 2001) यह स्पष्ट हुआ कि एक लंबी अवधि तक कार्य छोड़ दिये जाने एवं संचरण लाईन के स्वीकृत रास्ते में कुछ औद्योगिक भवन के निर्माण के कारण, बोर्ड को लाईन की पंक्तिवद्धता के लिये दूसरे पंक्तिवद्धता का रास्ता चुनना पड़ा । दूसरी पंक्तिवद्धता करने का कार्य कुल 47.06 लाख रुपये (सामग्री मूल्य 27.39 लाख रुपये एवं निर्माण मूल्य 19.67 लाख रुपये) की लागत पर मेसर्स सन स्टील इन्डस्ट्री लिमिटेड, कोलकत्ता को सौंपा गया (जनवरी 2000) जो संशोधित (नवम्बर 2000) राशि 68.97 लाख रुपये (सामग्री मूल्य 48.13 लाख रुपये एवं निर्माण लागत 20.84 लाख रुपये) की लागत पर पूराकर दिया गया (अगस्त 2000) । लेखा परीक्षा में यह भी देखा गया कि लाईन के पंक्तिबद्धता में परिवर्त्तन के फलस्वरूप 13.09 लाख रुपये की लागत से पूर्व में निर्मित छः टावर कार्यशील नहीं रहे ।

इस प्रकार निर्माण में असाधारण बिलंब एंव पर्यवेक्षण के अभाव में लाईन के पंक्बिद्धता में परिवर्त्तन के फलस्वरूप 13.09 लाख रुपये (अकार्यशील हुए टावर के मूल्य) का निष्फल व्यय एवं 68.97 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

मामला बोर्ड/सरकार को सूचित किया गया (जून 2001); लेकिन उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2001)।

3.1.11 राजस्व का कम संग्रह

0.61 करोड़ रुपये के कम राजस्व निर्धारण के अतिरिक्त बकायों के कालातीत हो जाने के कारण बोर्ड ने 1.17 करोड़ रुपये की हानि उठाई ।

बोर्ड के दो विद्युत आपूर्त्ति अंचलों और ग्यारह-प्रमंडलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2000 से फरवरी 2001) में पता चला कि प्रतिभूति राशि का संग्रहण न होने, टैरिफ के गलत लागू करने, ईंधन अधिभार को भारित न करने एवं विलंब अधिभार के कम विपत्रीकरण के कारण 60.91 लाख रुपये के कम राजस्व का संग्रह हुआ और राजस्व के कालातीत होने के कारण 1.17 करोड़ रुपये की हानि हुई जो निम्न प्रकार हैं :

क्र. स.	ईकाई का नाम	राजस्व के कम निर्धारण/ हानि के कारण	उपभोक्ता की संख्या	अवधि	कम निर्धारित राशि (लाख रु.में)
क 1.	विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल देवघर, फारविसगंज, एवं विद्युत आपूर्ति अंचल बिहारशरीफ	अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का वसूली नहीं किया जाना	84	अप्रैल 99 से मार्च 2000	29.92
2.	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल रांची (शहरी)- I	गलत टेरिफ लागु करना	1	मार्च 1996 से जून 2000	9.21
3.	विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल देवघर एवं मुंगेर	ईंधन अधिभार को भारित नहीं करना	129	अप्रैल 1996 से सितम्बर 1999	13.63
4.	विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल गुलजार बाग एवं कटिहार	विलम्ब अधिभार/ब्याज का कम विपत्रीकरण	467	मई-जून 1999 से जनवरी-फरवरी 2000	8.15
	योग क				60.91
ख 1.	विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल गिरिडीह (द.), नवादा, रक्सौल, मोतिहारी एवं बिहटा	लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट् के अधिन विहित अवधि के भीतर सर्टिफिकेट केश दायर करने में बोर्ड की विफलता के कारण राजस्व कालातीत हो गया	515	मार्च 1995 से जनवरी 1998	116.81
योग (ख)					116.81
कुल योग					177.72

राजस्व के कालातीत हो जाने के कारण 1.17 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हो पायी ।

संबंधित अंचल/प्रमंडलों को लेखापरीक्षा के समय कम विपत्रीकरण की सूचना दी गई परन्तु वसूली एवं राजस्व के संग्रह की सूचना की अब तक प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 2000) ।

मामले की सूचना बोर्ड/सरकार को दी गई (जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 2001) ।

3.1.12 समय पर विद्युत लाईन की मरम्मत्ती नहीं होने के कारण सामग्रियों की हानि।

कन्डक्टर के पुर्नस्थापना में बोर्ड की असफलता से 0.21 करोड़ रुपये के सामानों की हानि ।

फीडर लाईन के उर्जान्वित नहीं करने के कारण 0.21करोड़ रुपये की सामग्री की चोरी ।

सुपौल जिला के बलुआ एवं उसके आस-पास विद्युत खपत की बढ़े माँग को देखते हुए बोर्ड ने मार्च 1983 में बलुआ में कुल 25.12 लाख रुपये की लागत पर एक शक्ति उपकेन्द्र तथा एक फीडर लाईन का निर्माण कराया । परन्तु, जनवरी 1990 में 0.10 लाख रुपये मूल्य के तार के चोरी हो जाने के कारण उपर्युक्त शक्ति उपकेन्द्र अकार्यशील हो गया, चूँकि बोर्ड के द्वारा चोरी गए तारों का पुर्नस्थापन नहीं किया जा सका। चूँकि फीडर लाईन को बिना उर्जान्वन किये छोड़ दिया गया जिसके फलस्वरूप, 21.10 लाख रुपये मूल्य के समानों की भी चोरी हो गयी जिसके लिए अगस्त 1999 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अत: चोरी के तुरंत बाद 0.10 लाख रुपये मूल्य के चोरी हुये तारों के पुर्नस्थापना की व्यवस्था में, बोर्ड की असफलता के कारण 21.10 लाख रुपये मूल्य के समानों की भारी हानि उठानी पड़ी, जिसके लिए कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई थी ।

मामला बोर्ड सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2001); लेकिन उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2001) ।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

3.1.13 किराया के पुनरीक्षण में बिलंब

बोकारो इस्पात लि. (बी.एस.एल.) के पुनरीक्षित किराये के प्रस्ताव को स्वीकार करने में 28 माह के विलंब के कारण 0.16 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि।

किराये के पुनरीक्षण में देरी के कारण 0.16 करोड़ रुपये की हानि

बोकारो इस्पात लि. के कर्मचारियों को कारखाना से बोकारो आवासीय क्षेत्र के बीच आवागमन की सुविधा मुहैय्या कराने के उद्देश्य से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बोकारो इस्पात लि. प्रबंधन के बीच (सितम्बर 1979) एक एकरारनामा हुआ था । एकरारनामे की शर्त्तों के अनुसार निगम द्वारा प्रतिमाह तय की गई वास्तविक किलो मीटर के आधार पर किराये की मांग की जानी थी । एकरारनामा में यह भी सन्निहित था कि डीजल, टायर, तेल इत्यादि के मूल्य में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप किराये में किसी भी प्रकार के वृद्धि को दोनो पक्षों के मध्य बातचीत से पुनरीक्षण किया जाना था ।

18.8.1996 से डीजल के मूल्य में 14.85 प्रतिशत के वृद्धि के कारण किराये में 9.81 रुपये प्रति किलो मीटर से बढ़ाकर 11.27 रुपये प्रति किलोमीटर करने के लिए निगम ने बोकारो प्रबंधन को अपना दावा प्रस्तुत (मई 1997) किया । तदनुरूप दोनो पक्षों की 14.6.1997 को एक बैठक हुई जिसमें 11.27 रुपये के प्रति कि.मी. के किराये में वृद्धि का निर्णय लिया गया । निगम को दिये गये शर्तों के स्वीकार्य होने पर बढ़े हुए दर के एकरारनामा पर 21.6.1997 को हस्ताक्षर होना था । लेखा परीक्षा में अभिलेखों के छान-बीन (नवम्बर 2000) में पाया गया कि निगम ने शर्तों को स्वीकार करते हुए पुनरीक्षित दर को लागू करने हेतु बी. एस. एल. के पास अपनी सहमति अक्टूबर 1999 में भेजी और वी. एस. एल. द्वारा पुनरीक्षित दर 1.12.1999 से लागू किया गया ।

अत: 14.6.1997 की बैठक में निर्णय किये गये शर्तों को स्वीकार करने की सूचना देने में अत्यधिक विलम्ब के कारण जूलाई 1997 से नवम्बर 1999 के दौरान निगम 15.74 लाख रुपये की कमाई से वंचित रहा । वस्तुस्थिति से सहमति जताते हुए प्रमंडलीय प्रबंधक ने बताया (मई 2001) कि पुनरीक्षित दर, समय पर लागू नहीं होने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

मामले की सूचना निगम/सरकार को दी गई (मई 2001); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2001) ।

पटना
दिनांक

(वीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I
बिहार एवं झारखंड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(कंडिका संख्या 1.2, 1.2.1, 1.2.2. एवं 1.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2001 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत पूँजी, आय-व्यय से वहिर्गमन, आय-व्यय से दिये गये ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी

(कोष्ठ के अंदर दिये गये अंक वर्ष भर में आय-व्ययक वर्हिगमन के द्योतक हैं)

(कॉलम 3 क से 4 च तक की राशि लाख रुपये में है)

		चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्वीटी/ऋण			2000-2001 के अन्त तक बकाया ऋण**			
क्रमांक	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्वीटी	ऋण	वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	सरकारी	अन्य	कुल	2000-2001 के ऋण/इक्वीटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड़)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड़)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	4(च)	5
अ	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**												
	कृषि एवं समवर्गी												
1	बिहार राज्य बीज निगम लि.	217.66	132.15	---	20.01	369.82	----	---	---	2796.97	---	2796.97	7.56:1 (7:56:1)
2	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	174.75	---	---	---	174.75	---	---	---	6.34	407.34	413.68	2.37:1 (2:37:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**392.41**	**132.15**	---	**20.01**	**544.57**				**2803.31**	**407.34**	**3210.65**	**5.90:1 (5.90)**
	औद्योगिक विकास												
3	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	1000.00	--	--	--	1000.00	---	---	---	848.89	202.45	1051.34	1.05:1 (1.05:1))
	प्रक्षेत्रवार योग	**1000.00**	--	--	--	**1000.00**	---	---	---	**848.89**	**202.45**	**1051.34**	**1.05:1 (1.05:1)**
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
4	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि.	566.91	--	--	--	566.91	---	---	---	593.38		593.38	1.05:1 (1.05:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**566.91**	--	--	--	**566.91**	---	---	---	**593.38**		**593.38**	**1.05:1 (1.05:1)**
	वन												
5	बिहार राज्य वन विकास	175.08	54.00	---	---	229.08	---	---	---	--	---	--	
	निगम लि.												
	प्रक्षेत्रवार योग	**175.08**	**54.00**	---	---	**229.08**	---	---	---	--	---	--	

		चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्वीटी/ऋण			1999-2000 के अन्त तक बकाया ऋण***			
क्रमांक	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्वीटी	ऋण	वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	सरकारी	अन्य	कुल	1999-2000 के ऋण/इक्वीटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड़)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड़)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	4(च)	5
	खनन												
6.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	997.35	---	---	---	997.35	---	---	---	--	---	--	
	प्रक्षेत्रवार योग	**997.35**	---	---	---	**997.35**	---	---	---	--	---	--	
	निर्माण												
7	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	10.00	---	---	---	10.00	---	---	---	42.90	---	42.90	4.29:1 (4.29:1)
8	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	500.00	200.00	---	---	700.00	-		---	105.10	---	105.10	0.15:1 (0.15:1)
9	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	350.00	---	---	---	350.00	---	---	---	---	----	----	----- (-)
	प्रक्षेत्रवार योग	**860.00**	**200.00**	---	---	**1060.00**	---		---	**148.00**	-----	**148.00**	**0.14:1 (0.14:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
10	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त आयोग लि.	475.00	---	---	----	475.00	---	---	326.00	---	619.20	619.20	1.30:1 (0.67:1)
11	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	1336.00	---	----	---	1336.00	200.00	---	1282.95	---	1503.91	1503.91	1.13:1 (1.26:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1811.00**	---	---	---	**1811.00**	**200.00**	---	**1608.95**	---	**2123.11**	**2123.11**	**1.17:1 (1.08:1)**
	जन वितरण												
12	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	526.58*	---	---	---	526.58*	---	350.00		941.88	137.38	1079.26	2.05:1 (1.38:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**526.58**	---	---	---	**526.58**	---	350.00		**941.88**	**137.38**	**1079.26**	**2.05:1 (1.38:1)**

		चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्वीटी/ऋण			1999-2000 के अन्त तक बकाया ऋण***			
क्रमांक	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्वीटी	ऋण	वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	सरकारी	अन्य	कुल	1999-2000 के ऋण/इक्वीटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड़)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड़)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	4(च)	5
	पर्यटन												
13	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	299.00	---	---	---	299.00	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	**299.00**	---	---	---	**299.00**	---	---	---	---	---	--	---
	उर्जा												
14	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	9904.00	---	---	---	9904.00			---	10001.00	460.00	10461.00	1.06:1 (1.01:1)
15	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	10000.00	---	---	---	10000.00	---	---	---	60889.00	4145.00	65034.00	6.50:1 (6.78:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**19904.00**	----	----	----	**19904.00**	---		---	**70890.00**	**4605.00**	**75495.00**	**3.79:1 (3.91:1)**
	वित्त प्रबन्ध												
16	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1512.35	--	--	--	1512.35	---	---	506.84	2547.34	7135.38	9682.72	6.40:1 (6.07:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1512.35**	--	--	--	**1512.35**	---	---	**506.84**	**2547.34**	**7135.38**	**9682.72**	**6.40:1** (6.07:1)
	विविध प्रक्षेत्र												
17	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	200.00	--	--	--	200.00	---	---	---	120.00	----	120.00	0.60:1 (0.60:1)
18	बिहार राज्य टेक्स्ट बुक प्रकाशन लि.	47.67	---	---	---	47.67	---	---	---	---	---	---	--
19	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	100.00	--	--	--	100.00	---	---	---	14.50	----	14.50	0.14:1 (0.14:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**347.67**	--	--	--	**347.67**	--	--	--	**134.50**	--	**134.50**	**0.39:1 (0.39:1)**
	योग (अ)	**28392.35**	**386.15**	---	**20.01**	**28798.51**	**200.00**	**350.00**	**2115.79**	**78907.30**	**14610.66**	**93517.96**	**3.25:1 (3.39:1)**
ब	**कार्यशील सांविधिक निगम**												
	उर्जा												
1	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	---	---	---	---	---	---	58846.00	---	552673.84	59267.07	611940.91	---
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	---	---	---	---	**58846.00**	---	**552673.84**	**59267.07**	**611940.91**	---

		चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्वीटी/ऋण			1999-2000 के अन्त तक बकाया ऋण***			
क्रमांक	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्वीटी	ऋण	(अ) वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण@	सरकारी	अन्य	कुल	1999-2000 के ऋण/इक्वीटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड़)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड़)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	4(च)	5
	परिवहन												
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7475.57	2651.78	----	----	10127.35	---	222.00	---	6529.95	323.00	6852.95**	0.68:1 (0.68:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**7475.57**	**2651.78**	**---**	**---**	**10127.35**	**---**	**222.00**	**---**	**6529.95**	**323.00**	**6852.95**	**0.68:1 (0.68:1)**
	वित्त प्रबन्ध												
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	3995.00	---	----	3815.00	7810.00	---	----	----	----	23193.16	23193.16	2:97:1 (3.26:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3995.00**	**---**	**---**	**3815.00**	**7810.00**	**----**	**---**	**----**	**----**	**23193.16**	**23193.16**	**2.97:1 (3.26:1)**
	विविध												
4	बिहार राज्य भंडारण निगम	68.55	---	----	68.55	137.10	----	-----	----	----	----	----	----
	प्रक्षेत्रवार योग	**68.55**	**----**	**----**	**68.55**	**137.10**	**----**	**-----**		**----**	**----**	**----**	**----**
	योग ब	**11539.12**	**2651.78**	**----**	**3883.55**	**18074.45**	**----**	**59068.00**		**559203.79**	**82783.23**	**641987.02**	**35.52:1 (33.40:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**39931.47**	**3037.93**	**----**	**3903.56**	**46872.96**	**200.00**	**59418.00**	**2115.79**	**638111.09**	**97393.89**	**735504.98**	**15.69:1 (15.27:1)**
स	**अकार्यशील कम्पनी**												
	कृषि एवं समवर्गी												
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	1,000.00	---	---	---	1,000.00	---	---	---	2438.63	---	2438.63	2.44:1 (2-44:1)
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	672.36	---	---	---	672.36	---	---	---	175.35	---	175.35	0.26:1 (0.26:1)
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लि.	1000.00	---		---	1000.00	---	---	---	855.42	---	855.42	0.86:1 (0.86:1)
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	518.52	245.00	---	---	763.52	---	---	---	1266.62	---	1266.62	1.66:1 (1.66:1)
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	162.01	49.00	---	---	211.01	---	---	---	111.17	---	111.17	0.53:1 (0.53:1)
6.	बिहार कीट नाशक लि.	---	---	57.03	---	57.03	---	---	---	---	154.10	154.10	2.70:1 (-)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3352.89**	**294.00**	**57.03**	**---**	**3703.92**	**---**	**---**	**---**	**4847.19**	**154.10**	**5001.29**	**1.35:1 (1.31:1)**

क्रमांक	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्वीटी/ऋण			1999-2000 के अन्त तक बकाया ऋण***			
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्वीटी	ऋण	(अ) वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण@	सरकारी	अन्य	कुल	1999-2000 के ऋण/इक्वीटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड़)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड़)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	4(च)	5
	उद्योग (विविध)												
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	718.48	---	---	---	718.48	---	---	---	954.5	182.73	1137.23	1.58:1 (1.58:1)
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1404.00	---	---	---	1404.00	---	---	---	6691.96	217.95	6909.91	4.92:1 (4.92:1)
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	---	---	163.00	---	163.00	---	---	---	609.34	---	609.34	3.74:1 (3.74:1)
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	---	---	776.92	---	776.92	---	---	---	---	1071.61	1071.61	1.38:1 (1.38:1)
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	---	---	88.00	59.00	147.00	---	---	---	918.00	---	918.00	6.24:1 (6.24:1)
12.	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.,	---	---	256.83	---	256.83	---	---	---	---	137.08	137.08	0.53:1 (0.53:1)
13.	विश्वमित्र पेपर उद्योग लि.	---	---	114.57	---	114.57	---	---	---	---	79.50	79.50	0.69:1 (0.23:1)
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	---	---	107.35	---	107.35	---	---	---	---	46.16	46.16	0.43:1 (0.43:1)
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लि.	---	---	107.33	50.00	157.33	---	---	---	---	213.84	213.84	1.36:1 (1.36:1)
16.	बिहार सॉलभेंट एण्ड केमिकल्स लि.,	20.00	---	68.15	20.07	108.22	---	---	---	---	88.69	88.69	0.82:1 (0.82:1)
17.	सिंथेटिक रेसिन्स (ईस्टर्न) लि.	---	---	21.47	9.52	30.99	---	---	---	---	51.04	51.04	1.65:1 (1.65:1)
18.	मगध मिनरल्स लि.	---	---	63.37*	---	63.37*	---	---	---	---	46.58	46.58	0.74:1 (0.74:1)
19.	भवानी ऐक्टिव कार्बन लि.	---	---	9.43	---	9.43	---	---	---	---	---	---	
	प्रक्षेत्रवार योग	**2142.48**	---	**1776.42**	**138.59**	**4057.49**	---	---	---	**9173.80**	**2135.18**	**11308.98**	**2.79:1 (2-77:1)**
	अभियंत्रण												
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजिनियरिंग लि.,	---	---	110.00	107.00	217.00	---	---	---	---	663.44	663.44	3.06:1 (3.06:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**110.00**	**107.00**	**217.00**	---	---	---	---	**663.44**	**663.44**	**3.06:1 (3.06:1)**

		चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्वीटी/ऋण			1999-2000 के अन्त तक बकाया ऋण***			
क्रमांक	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्वीटी	ऋण	(अ) वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण@	सरकारी	अन्य	कुल	1999-2000 के ऋण/इक्वीटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड़)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड़)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	4(च)	5
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
21.	बेल्ट्रॉन विडियो सिस्टम लि.	---	---	504.71	---	504.71	---	---	---	---	450.87	450.87	0.89:1 (0.89:1)
22.	बेल्ट्रॉन माईनिंग सिस्टम लि.	---	---	248.24	---	248.24	---	---	---	---	---	---	
23.	बेल्ट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लि.	---	---	0.28	---	0.28	---	---	---	---	---	---	
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**753.23**	---	**753.23**	---	---	---	---	**450.87**	**450.87**	**0.60:1 (0.60:1)**
	टेक्सटाईल												
24	बिहार राज्य वस्त्र निगम	500.00	---	---	---	500.00	---	---	---	161.35	60.00	221.35	0.44:1 (0.44:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**500.00**	---	---	---	**500.00**	---	---	---	**161.35**	**60.00**	**221.35**	**0.44:1 (0.44:1)**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प												
25	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	999.98	---	---	---	999.98	---	---	---	115.78	---	115.78	0.12:1 (0.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**999.98**	---	---	---	**999.98**	---	---	---	**115.78**	---	**115.78**	**0.12:1 (0.12:1)**
	चीनी												
26.	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	2000.00	---	---	---	2,000.00	---	---	---	28806.70	---	28806.70	14.40:1 (14.70:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**2000.00**	---	---	---	**2,000.00**	---	---	---	**28806.70**	---	**28806.70**	**14.40:1 (14.70:1)**
	सीमेन्ट												
27.	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लि.	---	---	0.07	---	0.07	---	---	---	3.17	---	3.17	45.29:1 (45.29:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**0.07**	---	**0.07**	---	---	---	**3.17**	---	**3.17**	**45.29:1 (45.29:1)**

क्रमांक	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्वीटी/ऋण			1999-2000 के अन्त तक बकाया ऋण***			
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियां	अन्य	कुल	इक्वीटी	ऋण	(अ) वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण@	सरकारी	अन्य	कुल	1999-2000 के ऋण/इक्वीटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड़)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड़)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	4(च)	5
	औषधि एवं रसायन												
28.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि.	1500.00	---	---	---	1500.00	---	---	---	409.60	---	409.60	0.27:1 (0.27:1)
29.	बिहार मेज प्रोडक्टस लि.	7.18	---	66.59	---	73.77	---	---	---	---	---	---	
30.	बिहार औषध एवं रसायन लि.	---	---	400.00	---	400.00	---	---	---	127.99	---	127.99	0.32:1 (0.32:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	1507.18	---	466.59	---	1973.77	---	---	---	537.59	---	537.59	0.27:1 (0.27:1)
	वित्त प्रबन्ध												
31.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	130.83	---	---	13.37	144.20	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	**130.83**	---	---	**13.37**	**144.20**	---	---	---	---	---	---	(-)
	योग (स)	**10633.36**	**294.00**	**3163.34**	**258.96**	**14349.66**	---	---	---	**43645.58**	**3463.59**	**47109.17**	**3.28:1 (3.16:1)**
	कुल योग (अ+ब+स)	**50564.83**	**3331.93**	**3163.34**	**4162.52**	**61222.62**	**200.00**	**59418.00**	**2115.79**	**681756.67**	**100857.48**	**782614.15**	**12.78:1 (12.22:1)**

टिप्पणी : कम्पनियों एवं निगमो द्वारा दिए गए आँकड़े औपबन्धिक हैं ।

* इसमें 73.07 लाख रुपये का साझा आवेदन धन सम्मिलित है (क्रमांक अ-12, 33.07 लाख रु. एवं क्रमांक सं. 18 रु. 40 लाख) ।

** राज्य सरकार द्वारा दिए गए 1528.76 लाख रुपये का अप्रत्यप्रणीय ऋण शामिल है ।

*** 2000-2001 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन का द्योतक है ।

परिशिष्ट-2

(कंडिका संख्या 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.3.4, एवं 1.5 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमें जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण हो गया था, उनका अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 7 क से 12 तक की राशि लाख रुपये में है)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा फानलाईन्ड हुआ	शुद्ध लाभ +/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध आघात	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अ	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**												
	कृषि एवं समवर्गी												
1	बिहार राज्य बीज निगम लि.	कृषि	18.7.1977	1992-93	1996-97	(-)342.22	-	369.82	(-)2403.16	2349.69	(-)44.13	—	8
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	पशु एवं मत्स्य पालन	23.3.1980	1992-93	1996-97	(-)22.16	-	174.75	(-)191.54	174.19	(-)4.77	—	8
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)364.38**	-	**544.57**	**(-)2594.70**	**2523.88**	**(-)48.90**	—	—
	औद्योगिक विकास												
3.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	उद्योग	23.3.1974	1981-82	1996-97	(-)36.25	-	514.00	(-)254.80	215.94	(-)36.25	—	19
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)36.25**	-	**514.00**	**(-)254.80**	**215.94**	**(-)36.25**	—	
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
4.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि.	उद्योग	21.2.1978	1988-89	2001-2002	(-)13.63	ले.प.अ.	565.50	(-)105.86	490.74	(-)13.35	—	12
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)13.63**	—	**565.50**	**(-)105.86**	**490.74**	**(-)13.35**	—	
	वन												
5.	बिहार राज्य वन विकास निगम लि.	वन एवं पर्यावरण	10.2.1975	1997-98	2001-2002	202.97	ले.प.अ.	229.08	(-)317.61	47.69	232.77	488.09	3
	प्रक्षेत्रवार योग					**202.97**	-	**229.08**	**(-)317.61**	**47.69**	**232.77**	**488.09**	

(कॉलम 7 क से 12 तक की राशि लाख रुपये में है)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा फानलाईन्ड हुआ	शुद्ध लाभ +/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध आघात	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	खनन												
6.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	खनन एवं भू-गर्भ	12.6.1972	1997-98	1999-2000	138.39	-	997.35	(-)409.85	947.18	141.77	14.97	3
	प्रक्षेत्रवार योग					**138.39**	-	**997.35**	**(-)409.85**	**947.18**	**141.77**	**14.97**	
	निर्माण						-						
7.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	गृह (पुलिस)	26.6.1974	1985-86	2000-2001	(-)30.92	-	10.00	(-)83.58	11.32	(-)30.92	—	15
8.	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	जल संसाधन	22.8.1974	1984-85	1999-2000	41.19	-	700.00	(-)460.97	264.60	42.69	16.13	16
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि	पथ निर्माण	11.6.1975	1990-91	1998-99	(-)78.46	-	350.00	(-)486.19	68.40	(-)78.46	—	10
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)68.19**	-	**1060.00**	**(-)1030.74**	**344.32**	**(-)66.69**		
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
10.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	अल्पसंख्यक कल्याण	22.3.1984	1985-86	1988-89	0.29	-	100.00	0.29	99.68	0.29	0.29	15
11.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	कल्याण	17.6.1993	-	-	-	—	-	-	-	-	-	8
	प्रक्षेत्रवार योग					**0.29**	-	**100.00**	**0.29**	**99.68**	**0.29**	**0.29**	
	जन वितरण												
12.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	खाद्य एवं आपूर्ति	22.4.1973	1980-81	1994-95	(-)245.58	-	402.00	(-)932.36	956.40	(-)81.79	—	20
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)245.58**	-	**402.00**	**(-)932.36**	**956.40**	**(-)81.79**		

(कॉलम 7 क से 12 तक की राशि लाख रुपये में है)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा फानलाईज्ड हुआ	शुद्ध लाभ +/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध आघात	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	पर्यटन												
13.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	28.11.1980	1988-89	2001-2002	22.29	-	258.00	(-)20.11	266.70	22.29	8.36	12
	प्रक्षेत्रवार योग					**22.29**	-	**258.00**	**(-)20.11**	**266.70**	**22.29**	**8.36**	
	उर्जा												
14.	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	उर्जा	31.3.1982	1993-94	1998-99	(-)1643.00		7180.00	(-)6834.05	11999.93	(-)502.82	—	7
15.	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	उर्जा	26.11.1987	1993-94	2000-2001	(-)7093.85	वि. व्यय को 1151.45 रू. कम बताया गया।	10000.00	(-)22182.84	58852.10	(-)438.50	—	7
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)8736.85**		**17180.00**	**(-)29016.89**	**70852.03**	**(-)941.32**		
	वित्त प्रबन्ध												
16.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	उद्योग	30.1.1975	1996-97	2001-02	(-)2176.02	-	1512.35	(-)6360.99	4286.01	(-)811.84	—	4
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)2176.02**	-	**1512.35**	**(-)6360.99**	**4286.01**	**(-)811.84**	—	
	विविध प्रक्षेत्र												
17.	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	उद्योग	29.12.1974	1991-92	1999-2000	(-)10.50	-	200.00	(-)0.95	375.36	0.93	0.25	9
18.	बिहार राज्य टेक्स्ट बुक प्रकाशन निगम लि.	शिक्षा	2.4.1985	1991-92	2001-02	(-)59.16	ले.प.अ.	47.67	373.55	421.28	(-)59.16	—	9
19.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	उद्योग	6.3.1983	1991-92	2000-01	1.87	-	94.50	(-)11.56	88.33	1.87	2.12	9
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)67.79**	—	**342.17**	**361.04**	**884.97**	**(-)56.36**	—	
	योग (अ)					**(-)11344.75**	—	**23705.02**	**(-)35492.18**	**81915.54**	**(-)1659.38**		

(कॉलम 7 क से 12 तक की राशि लाख रुपये में है)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा फानलाईन्ड हुआ	शुद्ध लाभ +/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध आघात	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ब	सांविधिक निगमें												
	उर्जा												
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	उर्जा	1.4.1958	1999-2000	2001-02	(-)99203.87	ले.प.अ.	—	(-)464629.64	128046.00	(-)29583.60		1
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)99203.87**	—		**(-)464629.64**	**128046.00**	**(-)29583.60**		
	परिवहन												
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1.5.1959	1995-96	1999-2000	(-)4559.00	हानि को 40.80 रू. कम बताया गया।	10127.35	(-)32545.00	(-)19467.00	(-)2883.00	-	5
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)4559.00**		**10127.35**	**(-)32545.00**	**(-)19467.00**	**(-)2883.00**	-	
	वित्त प्रबन्ध												
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग	2.11.1954	1999-2000	ले.प.अ.	(-)7908.00	ले.प.अ.	7810.00	(-)54103.00	59743.00	(-)3686.00	-	1
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)7908.00**		**7810.00**	**(-)54103.00**	**59743.00**	**(-)3686.00**		
	विविध												
4.	बिहार राज्य भंडारण निगम	सहकारिता	29.3.1957	1997-1998	2001-02	147.00	लाभ को 135.46 रू. अधिक बताया गया।	137.10	440.31	1104.00	147.00	13.32	3
	प्रक्षेत्रवार योग					**147.00**		**137.10**	**440.31**	**1104.00**	**147.00**	**13.32**	
	योग ब					**(-)111523.87**		**18074.45**	**(-)550837.33**	**169426.00**	**(-)36005.60**		
	कुल योग (अ+ब)					**(-)122868.62**	—	**41779.47**	**(-)586329.51**	**251341.54**	**(-)37664.98**		
स	**अकार्यशील कम्पनी**												
	कृषि एवं समवर्गी												
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	जल संसाधन	12.4.1973	1978-79	1997-98	216.84	-	500.00	(-)1119.69	2670.29	242.30	9.07	22

(कॉलम 7 क से 12 तक की राशि लाख रुपये में है)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा फानलाईज्ड हुआ	शुद्ध लाभ +/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध आघात	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	पशु पालन एवं मत्स्य	13.3.1972	1990-91	1999-2000	(-)0.48	-	672.36	(-)902.59	571.16	(-)0.48	—	10
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लि.	लघु सिंचाई	3.6.1975	1982-83	1993-94	(-)26.39	-	560.00	(-)85.78	953.41	(-)13.27	—	18
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	कृषि	28.4.1966	1986-87	1995-96	(-)192.79	-	741.52	(-)1416.00	510.80	(-)142.86	—	14
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	कृषि	8.10.1980	1990-91	1996-97	(-)74.12	-	182.00	(-)416.70	(-)14.68	(-)31.45	—	10
6.	बिहार कीट नाशक लि.	उद्योग	27.2.1983	1986-87	1991-92	(-)103.12	-	57.04	(-)103.12	234.98	(-)86.74	—	14
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)180.06**	—	**2712.92**	**(-)2773.88**	**4925.96**	**(-)32.50**	—	—
	उद्योग (विविध)												
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	उद्योग	29.10.1961	1987-88	1995-96	(-)98.96	-	718.48	(-)1337.77	(-)1348.65	(-)19.46	—	13
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	उद्योग	5.11.1960	1986-87	ले.प.अ.	(-)588.92	-	1404.00	(-)2290.78	2724.94	(-)317.13	—	14
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	उद्योग	19.1.1978	——	——	—	-	—	—	—	—	——	24
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	उद्योग	08.07.1977	1985-86	1997-98	(-)6.09	-	156.12	(-)31.06	143.61	(-)6.09	——	15
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	उद्योग	20.4.1982	1983-84	1986-87	(-)149.39	-	146.59	(-)213.06	615.00	(-)76.48	—	17
12.	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स उद्योग लि.	उद्योग	2.4.1984	1985-86	1997-98	(-)8.48	-	15.52	(-)51.08	350.00	(-)17.60	—	15
13.	विश्वमित्र पेपर उद्योग लि.	उद्योग	18.6.1983	1984-85	1988-89	(-)0.91	-	40.37	(-)1.45	69.00	—	—	16
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	उद्योग	27.2.1982	1985-86	1991-92	(-)1.33	-	42.41	(-)2.09	59.32	(-)1.33	—	15
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लि.	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	1988-89	1993-94	(-)31.56	-	101.30	(-)66.59	249.15	(-)15.86	—	12

(कॉलम 7 क से 12 तक की राशि लाख रुपये में है)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा फानलाईज्ड हुआ	शुद्ध लाभ +/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध आघात	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	बिहार सॉलभेंट एण्ड केमिकल्स लि.	वन एवं पर्यावरण	अगस्त 1979	1986-87	1995-96	(-)32.31	-	66.22	(-)32.31	167.23	(-)25.86	—	14
17.	सिंथेटिक रेसिन्स (ईस्टर्न) लि	उद्योग	14.12.1982	1983-84	1987-88	(-)0.69	-	9.00	(-)0.73	17.41	(-)0.69	—	17
18.	मगध मिनरल्स लि.	उद्योग	22.11.1984	——	——	——	-	——	——	—	—	——	17
19.	भवानी ऐक्टिव कार्बन लि.	उद्योग	26.3.1985	1985-86	1989-90	(-)1.38	-	2.39	(-)1.38	1.05	(-)1.38	—	15
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)920.02**	-	**2702.40**	**(-)4028.20**	**3048.06**	**(-)481.88**	—	
	अभियंत्रण												
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजिनियरिंग लि.	उद्योग	25.10.1983	1994-95	1995-96	(-)238.84	-	217.00	(-)815.97	91.13	(-)151.00	—	6
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)238.84**	-	**217.00**	**(-)815.97**	**91.13**	**(-)151.00**	—	
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
21.	बेल्ट्रॉन विडियो सिस्टम लि.	उद्योग	19.9.1984	1987-88	1998-99	(-)14.51	-	121.45	(-)21.77	101.98	(-)9.56	—	13
22.	बेल्ट्रॉन माईनिंग सिस्टम लि.	उद्योग	30.1.1986	1988-89	1996-97	(-)14.74	-	102.42	(-)39.76	61.80	(-)14.74	—	12
23.	बेल्ट्रॉन इनफॉरमेटिक्स सिस्टम लि.		1.3.1988	—	—	—	-	—	—	—	—	—	14
	प्रक्षेत्रवार योग	उद्योग				**(-)29.25**	-	**223.87**	**(-)61.53**	**163.78**	**(-)24.30**	—	
	टेक्सटाईल												
24	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	उद्योग	21.2.1978	1987-88	1995-96	(-)9.18	-	498.05	(-)32.22	372.35	(-)9.18	—	13
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)9.18**	-	**498.05**	**(-)32.22**	**372.35**	**(-)9.18**	—	
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प												
25	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	उद्योग	21.5.1974	1983-84	1996-97	(-)9.52	-	627.98	(-)43.81	707.51	1.46	0.21	17
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)9.52**	-	**627.98**	**(-)43.81**	**707.51**	**1.46**	**0.21**	
	चीनी												
26.	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	ईख	26.12.1974	1984-85	1996-97	(-)919.85	-	997.00	(-)7231.46	(-)1023.69	(-)320.24	—	16
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)919.85**	-	**997.00**	**(-)7231.46**	**(-)1023.69**	**(-)320.24**		

(कॉलम 7 क से 12 तक की राशि लाख रुपये में है)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा फानलाईज्ड हुआ	शुद्ध लाभ +/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध आघात	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	सीमेन्ट												
27.	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लि.	उद्योग	17.10.1981		—	—	-	—	—	—	—	—	20
	प्रक्षेत्रवार योग					-	-	-	-	-	-	-	
	औषधि एवं रसायन												
28.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि.	उद्योग	22.2.1978	1985-86	1992-93	(-)16.83	-	361.62	(-)73.84	687.48	(-)16.83	—	15
29.	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लि.	उद्योग	2.9.1982	1983-84	1987-88	(-)2.70	-	66.59	(-)6.14	80.11	—	—	17
30.	बिहार औषध एवं रसायन लि.	उद्योग	12.8.1983	1985-86	1991-92	(-)3.02	-	93.67	(-)16.09	115.65	(-)3.02	—	15
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)22.55**	-	**521.88**	**(-)96.07**	**883.24**	**(-)19.85**		
	वित्त प्रबन्ध												
31.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	पंचायती राज	20.4.1974	1984-85	1991-92	(-)1.19	-	144.20	(-)2.69	585.60	22.52	3.85	16
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)1.19**	-	**144.20**	**(-)2.69**	**585.60**	**22.52**	—	
	योग (स)					**(-)2330.46**	—	**8645.30**	**(-)15085.93**	**9753.94**	**(-)1014.97**		
	कुल योग (अ+ब+स)					**(-)125199.08**		**50424.77**	**(-)606605.84**	**261095.48**	**(-)38679.95**		

टिप्पणी : ले.प.अ. – लेखा परीक्षा के अन्तर्गत को इंगित करता है ।

वि. व्यय – विकाश व्यय को इंगित करता है ।

(अ) – नियोजित पूंजी, निवल स्थिर परिसम्पत्तियों (प्रगति में पूंजीगत कार्य को लेकर), वैसे वित्तीय कम्पनियों/निगमों जिनके नियोजित पूंजी, प्रदत पूंजी, फ्री रिजर्व, बॉण्ड, जमा एवं उधारों (पुनर्वित) के आदि शेष एवं अंत शेष के समेकित योग के मध्य के रूप में नियोजित पूंजी की गणना की गयी है को छोड़कर, कार्य चालन पूंजी के योग को दर्शाता है ।

नियोजित पूंजी की कुल वापसी निवल बचत/घाटा एवं लाभ एवं हानि लेखों (पूंजीगत ब्याज को घटाकर) में भारित ब्याज के योग को दर्शाता है ।

क्रम सं. – स- 27 की कम्पनी बंदी में है, क्रम सं.-स-1 एवं स-2 की कम्पनियां परिसमापन में है ।

परिशिष्ट-3

(कंडिका 1.2.2 व 1.3.2 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त साहाय्य, प्राप्त गारंटियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2001 के अन्त तक प्राप्य साहाय्य तथा बकाये गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी

(कालम 3 क से 7 तक की राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	@ वर्ष के अन्दर प्राप्त सबसीडी				वर्ष के अन्दर प्राप्त गारंटी एवं वर्ष के अन्त तक लम्बित बकाये **					वर्ष के अन्दर बकायों का परित्याग					
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल योग	बैंकों से नगद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	आयात के मामलो में बैकों द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	विदेशी कन्सलटेन्ट या कन्ट्रैक्टों के साथ एकरारनामा के अन्तर्गत भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाली गई	छोड़े गए ब्याज	दण्डात्मक ब्याज जिसे छोड़ा गया	कुल योग	ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के अन्दर इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
अ	**अकार्यशील सांविधिक निगम**															
1.	बिहार राज्य बीज निगम लि.	—	—	—	—	-	—	—		(219.98)	—	—	—	—	—	—
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	(102.75)	—	—	—	—	—	—
3.*	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	(202.45)	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार राज्य वन विकास निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	(1200.00)	—	—	—	—	—	—
5.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	-	—	—	—	-	326.00	- —	- —	326.00 (697.51)	—	—	—	—	—	—
6.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	(2500.00)	—	—	—	—	—	—
7.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	- (155.08)	—	—	—	—	—	—
8.	बिहार राज्य टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग निगम लि.	-	(6500)	-	(6500)	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—
9.	बिहार राज्य हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर निगम लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	(460.00)	—	—	—	—	—	—
	कुल-अ	-	(6500)	-	(6500)	—	326.00	—	—	326.00 (5537.77)	—	—	—	—	—	—

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	@ वर्ष के अन्दर प्राप्त सबसीडी				वर्ष के अन्दर प्राप्त गारंटी एवं वर्ष के अन्त तक लम्बित बकाये **					वर्ष के अन्दर बकायों का परित्याग					
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल योग	बैंक से नगद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	आयात के मामलो में बैकों द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	विदेशी कन्सलटेन्ट या कन्ट्रैक्टों के साथ एकरारनामा के अन्तर्गत भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाली गई	छोड़े गए ब्याज	दण्डात्मक ब्याज जिसे छोड़ा गया	कुल योग	ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के अन्दर इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
ब	कार्यशील सांविधिक निगमें										—	—	—	—	—	—
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	अनुपलब्ध	-	अनुपलब्ध	-	-	-	-	(39226.02)	—	—	—	—	—	—
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि.	—	-	—	-	—	—	—	—	(345)	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार राज्य वित्त निगम लि.	-	15.26	-	15.26	-	-	-	-	(11750.00)	—	—	—	—	—	—
	कुल (ब)	-	**15.26**	—	**15.26**	-	-	-	-	**(51321.02)**	—	—	—	—	—	—
	सकल योग- अ+ब		**15.26 {6500}**	-	**15.26 {6500}**	-	**326.00**	-	-	**326.00 (56858.79)**						
स	अकार्यशील सरकारी कंपनियां															
1.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	(536.93)	—	—	—	—	—	—
2.*	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	—	—	—	—	-	-	-	-	(57)	—	—	—	—	—	—
3.*	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	—	—	—	—	—	-	—	—	(182.73)	—	—	—	—	—	—
4.*	बिहार पेपर मिल्स लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	(740.00)	—	—	—	—	—	—
5.*	विश्वमित्र पेपर इंडस्ट्रीज लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	(79.50)	—	—	—	—	—	—
6.*	झंझारपुर पेपर इंडस्ट्रीज लि.	—	—	—	—	—	-	—	—	(46.16)	—	—	—	—	—	—
7.*	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	—	—	—	—	-		—	—	(89.36)	—	—	—	—	—	—
8.*	बिहार राज्य ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	(224.00)	—	—	—	—	—	—
	योग स	-	-	—	-	-	-	-	-	**(1955.68)**	-	-	-	-	-	-
	सकल योग (अ+ब+स)	-	**15.26 {6500}**	-	**15.26 {6500}**	- -	**326.00** -	- -	- -	**326.00 (58814.47)**	—	—	—	—	—	—

टिप्पणी : @ : वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले सहाय्य { } कोष्ठक में दर्शाया गया है ।

* गारंटी दी हुई ऋणों के अदायगी न करने वाली दोषी कम्पनियों को सूचित करती है ।

** कोस्टक में दिए गये आँकड़े चालू वर्ष के अन्त तक गारंटी को सूचित करता है ।

परिशिष्ट-4

(कंडिका 1.2.4 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(करोड़ रुपये में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
अ दायित्व			
इक्विटी पूंजी	–	–	–
सरकार से ऋण	2179.49	3957.45	4938.34
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बांड सहित)	1185.49	1186.35	1016.73
रिजर्व एवं सरप्लस (मूल्य-ह्रास रिजर्व छोड़कर)	89.65	233.07	241.67
चालू दायित्व एवं प्रावधान	2899.95	4487.66	5738.73
कुल-अ	**6354.58**	**9864.53**	**11935.47**
ब परिसम्पत्तियां			
सकल अचल सम्पतियां	2744.73	2811.33	3016.33
मूल्य ह्रास को घटाकर	1329.42	1502.70	1688.82
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	1415.31	1308.63	1327.51
पूंजीगत कार्य में प्रगति	287.21	313.94	228.92
चालू परिसम्पत्तियां	3520.28	4553.71	5462.76
निवेश	–	33.99	269.98
विविध व्यय	–	–	–
घाटा हानियां	1131.78	3654.26	4646.30
कुल - ब	**6354.58**	**9864.53**	**11935.47**
(स) नियोजित पूंजी [1]	2322.85	1688.62	1280.46
2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम			
विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
अ दायित्व			
पूंजी (पूंजी ऋण एवं इक्विटी पूंजी सहित)	101.27	101.27	101.27
उधार (सरकार)	14.65	14.65	19.74
(अन्य)	9.47	9.47	9.47
निधि [2]	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाए एवं अन्य चालू दायित्व (प्रावधान सहित)	202.34	239.40	270.69
कुल अ	**328.03**	**365.09**	**401.47**
ब परिसम्पत्तियां			
कुल ब्लाक	54.96	57.00	54.54
मूल्य ह्रास को घटाकर	42.49	46.01	48.58

1. नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पतियां (पूंजीगत कार्य सहित) एवं कार्य चालन पूंजी के योग को निरूपित करती है । परिवर्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों में से घटाकर कार्य चालन पूंजी की गणना की गई है ।
2. मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर ।

शुद्ध अचल परिसंपत्तियां	12.47	10.99	5.96
पूंजीगत कार्य (चेसिस का लागत सहित) प्रगति में	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	67.06	74.24	70.06
संचित हानियां	248.50	279.86	325.45
कुल - ब	**328.03**	**365.09**	**401.47**
स नियोजित पूंजी [1]	(-)122.81	(-)154.17	(-)194.67
3. बिहार राज्य वित्तीय निगम			
विवरण	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**
अ दायित्व			
प्रदत्त पूंजी[2]	78.10	78.10	78.10
अंश आवेदन धन	-	-	-
सुरक्षित कोष, अन्य रिजर्व एवं सरप्लस	233.41	244.72	284.41
उधार			
बाण्डस एवं ऋण पत्र	142.27	140.34	140.34
आवधिक जमा	-	-	-
आई.डी.बी.आई. एवं एस.आई. डी.बी.आई.	-	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
अंश पूंजी के बदले ऋण (क) राज्य सरकार (ख) आई.डी.बी.आई.	-	-	-
पुनर्वित्त ऋण	114.44	114.44	114.41
राज्य सरकार के साथ अन्य	-	-	-
अन्य दायित्व एवं प्रावधान	141.61	223.75	265.93
कुल-अ	**709.83**	**801.35**	**883.19**
ख परिसम्पत्तियां			
रोकड़ एवं बैंक शेष	13.92	23.29	31.66
निवेश	0.09	0.09	0.06
ऋण एवं अग्रिम	315.51	309.79	304.56
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	1.08	0.98	0.90
अन्य सम्पत्तियां	3.55	4.24	3.97
लाभांश घाटे का लेखा	1.01	1.01	1.01
संचित हांनियाँ	374.67	461.95	541.03
कुल - ब	**709.83**	**801.35**	**883.19**
स नियोजित पूंजी[3]	**567.62**	**572.90**	**597.43**
4. बिहार राज्य भंडार निगम			
विवरण	**1995-96**	**1996-97**	**1997-98**
अ दायित्व			
प्रदत पूंजी	1.37	1.37	1.37

1. नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पतियाँ (पूंजीगत कार्य प्रगति में सहित) जोड़ कार्यचालन पूँजी का द्योतक है ।
2. प्रदत्त पूंजी में अंशधन सम्मिलित है ।
3. नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, बाण्डों, ऋण पत्रों, सुरक्षित, उधार एवं जमा के आदि एवं अन्त शेषों के घोतक है ।

रिजर्व एवं सरप्लस	7.85	9.03	10.29
सरकार से सबसीडी	0.59	0.59	0.59
उधार-सरकारी अन्य	-	-	-
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्व (प्रावधान के साथ)	3.71	4.30	4.99
कुल - अ	**13.52**	**15.29**	**17.24**
ब परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लाक	4.42	4.46	4.47
मूल्य ह्रास घटाकर	1.57	1.70	1.84
निवल अचल परिसम्पत्तियां	2.85	2.76	2.63
पूंजीगत कार्य प्रगति में	0.44	0.42	0.42
चालू परिसम्पतियां ऋण एवं अग्रिम	9.20	10.97	12.98
लाभ एवं हानि लेखा	1.03	1.14	1.21
कुल - ब	**13.52**	**15.29**	**17.24**
स नियोजित पूंजी	**8.78**	**9.85**	**11.04**

परिशिष्ट-5

(कंडिका 1.2.4 एवं 1.5.2.1 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्य चालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी

(करोड़ रुपये में)

1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
क्रमांक	विवरण	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**
1	(क) राजस्व प्राप्तियां	1825.85	1843.14	2286.17
	(ख) सरकार से साहाय्य	707.16	483.07	629.00
	(स) कुल	2533.01	2326.21	2915.17
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूँजीगत व्यय), अमूर्त परिसम्पति को को अपलिखित सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज छोड़कर	2331.23	2304.67	2799.99
3	**वर्ष का कुल बचत घाटा (1-2)**	**201.78**	**21.54**	**115.18**
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	7.54	(-)1771.68	(-)226.29
5	वर्ष का अंतिम बचत/(-)घाटा लिए (3+4)	194.24	(-)1750.14	(-)111.11
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य ह्रास (पूँजीकृत घटाकर)	177.28	178.10	184.73
(ख)	पूँजी ऋण पर ब्याज	शून्य	430.73	522.24
(ग)	अन्य ऋण, अर्थ भारों बाण्ड एवं अग्रिम पर ब्याज	419.90	188.51	196.96
(घ)	ऋण पर कुल ब्याज (ख+ग)	419.90	619.24	719.20
(ड़)	पूंजीकृत ब्याज घटाकर	76.06	25.00	23.00
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ-ड़)	343.84	594.24	696.20
(छ)	कुल विनियोजन (क+च)	521.12	772.34	880.93
7	सरकार से प्राप्त सहायता के लेखाकरण के पूर्व बचत (+)घाटा राज्य 5-6 (छ) - 1 ख	(-)1034.04	(-)3005.55	(-)1621.04
8	शुद्ध बचत/(-) घाटा 5-6 (छ)	(-)326.88	(-)2522.48	(-) 992.04
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ *	16.96	(-)1928.24	(-) 295.84
10	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिफल *	0.73	-	-
2.	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम**			
	विवरण	**1993-94**	**1994-95**	**1995-96**
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	19.21	15.33	12.04
(ख)	व्यय	50.86	44.06	46.34
(ग)	बचत (+) / घाटा (-)	(-)31.65	(-)28.73	(-)34.30
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	14.26	14.55	7.55
(ख)	व्यय	16.28	17.18	18.84
(ग)	बचत (+) / घाटा (-)	(-)2.02	(-)2.63	(-)11.29
	योग			

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल निवल बचत/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूँजीकृत ब्याज छोड़कर) के योग का द्योतक है।

	राजस्व	33.47	29.88	19.59
	व्यय	67.14	61.24	65.18
	शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	(-) 33.67	(-) 31.36	(-) 45.59
	पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	14.21	15.65	16.76
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	(-)19.46	(-)15.71	(-)28.83
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम**			
	विवरण	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**
1	**आय**			
i)	ऋण पर ब्याज	12.94	11.86	11.18
ii)	अन्य आय	0.60	0.51	0.55
	योग -1	**13.54**	**12.37**	**11.73**
2.	**व्यय ***			
i)	(अ) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	27.20	81.58	42.22
	(ब) अक्रियाशील परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	5.06	11.31	39.69
	(स) अन्य व्यय	6.17	6.76	8.90
	योग-2	**38.43**	**99.65**	**90.81**
3.	कर के पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (1-2)	(-)24.89	(-)87.28	(-)79.08
4.	कर का प्रावधान	---	---	---
5.	अन्य विनियोजन	---	---	---
6.	लाभांश# हेतु उपलब्ध राशि	---	---	---
7.	लाभांश	---	---	---
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	2.31	(-)5.70	(-)36.86
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	0.5	---	----
4.	**बिहार राज्य भंडार निगम**			
	विवरण	**1995-96**	**1996-97**	**1997-98**
1.	**आय**			
(अ)	भंडारण प्रभार	2.98	3.62	3.75
(ब)	अन्य आय	4.31	5.20	5.99
	योग-1	**7.29**	**8.82**	**9.74**
2.	**व्यय**			
(अ)	स्थापना प्रभार	1.74	1.80	2.13
(ब)	अन्य व्यय	4.03	5.48	6.14
	योग-2	**5.77**	**7.28**	**8.27**
3	कर से पहले लाभ (+) / हानि (-)	1.52	1.54	1.47
4.	पूर्वविधि समायोजन	(-)0.26	(-)0.25	(-)0.21
5.	अन्य विनियोजन	1.00	1.00	1.00
6.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	0.26	0.29	0.26
7.	वर्ष के लिए लाभांश	----	0.11	--
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	1.52	1.54	1.47
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	17.31	15.63	13.32

* वर्ष के अक्रियशील सम्पत्तिों के प्रावधान को व्यय शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया गया है ।

\# विशेष-सुरक्षित के दृष्टिगत प्रतिलाभ के लिए चालू वर्ष का लाभ शामिल है ।

परिशिष्ट-6

(कंडिका 1.2.4.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
प्रतिष्ठापित क्षमता		(एम.डब्लू.)	
(क) थर्मल	1393.50	1393.50	1393.50
(ख) हाईडल	149.20	149.20	149.20
(ग) गैस	-	-	-
(घ) अन्य	5.93	5.93	5.93
योग	**1548.63**	**1548.63**	**1548.63**
सामान्य अधिकतम माँग	1335.00	1500.00	1400.00
		(एम.के.डब्लू.एच)	
उत्पादित ऊर्जा :			
(क) थर्मल	1715.80	2567.47	2245.59
(ख) हाईडल	323.63	140.37	177.54
(ग) गैस	-	-	-
(घ) अन्य	-	-	-
योग	**2039.43**	**2707.84**	**2423.13**
घटाव : सहायक खपत			
(क) थर्मल	256.17	365.95	334.08
(प्रतिशतता)	(14.93)	(14.25)	(14.88)
(ख) हाईडल	1.62	1.39	1.17
(प्रतिशतता)	(0.50)	(0.99)	(0.66)
(ग) गैस	-	-	-
(प्रतिशतता)			
(घ) अन्य	-	-	-
(प्रतिशतता)			
योग	257.79	367.34	335.25
(प्रतिशतता)	(12.64)	(13.57)	(13.84)
शुद्ध उत्पादित ऊर्जा	1781.64	2340.50	2087.88
क्रय की गई ऊर्जा	8055.68	7516.20	8538.96
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा	9837.32	9856.70	10626.84
बिक्री की गयी ऊर्जा	7337.29	7067.33	7662.21
संचरण एवं वितरण हानि	2500.03	2789.37	2964.63
पलान्ट् लोड फैक्टर (प्रतिशतता)	15.08	27.37	23.89
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा पर संचरण एवं वितरण क्षति की प्रतिशतता	25.41	28.30	27.90
विद्युन्मय गाँवों/शहरों की संख्या	47473	47481	अनुपलब्ध
ऊर्जान्वित पम्प सेट / कुँआ की संख्या	272319	273132	अनुपलब्ध
विद्युत उपकेन्द्रों की संख्या	564	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
संचरण/वितरण लाइन (कि.मी. में)			
(क) उच्च/मध्यम वोल्टेज	89385	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(ख) निम्न वोल्टेज	90401	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
सम्बद्ध-भार (मेगावाट में)	5841	6102	अनुपलब्ध
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	19.73	22.02	अनुपलब्ध
कर्मचारियों की संख्या	34854	33170	अनुपलब्ध
उपभोक्ता/कर्मचारी अनुपात	56.61:1	66.39:1	अनुपलब्ध
वर्ष के अन्दर कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	380.03	421.14	अनुपलब्ध
कुल राजस्व व्यय में कर्मचारी पर व्यय की प्रतिशतता	13.32	13.69	अनुपलब्ध

बिक्री की गई यूनिट	(एम.के.डब्लू.एच)		
(क) कृषि	1482.95	1384.02	1525.94
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(20.17)	(19.59)	(19.92)
(ख) उद्योगिक	3756.92	3481.49	3622.80
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	51.18)	(49.27)	(47.28)
(ग) वाणिज्यिक	429.93	409.08	415.15
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(5.85)	(5.78)	(5.42)
(घ) घरेलू	880.84	959.33	1036.15
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(12)	(13.58)	(13.52)
(ङ) अन्य	786.65	832.41	1062.71
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(10.80)	11.78	(13.86)
योग	**7337.29**	**7066.33**	**7662.21**
विवरण	(पैसे प्रति के डब्लू एच)		
(क) राजस्व (सरकार से प्राप्त सब्सीडी घटाकर)	185.60	260.83	298.37
(ख) व्यय*254.99	351.35	389.54	
(ग) लाभ (+)/ हानि (-)	(-)69.39	(-)90.52	(-)91.17
(घ) सरकार से औसत सब्सीडी का दावा (रुपये में)	0.72	0.68	0.82
(ङ) औसत ब्याज प्रभार (रुपये में)	0.47	0.84	0.91

* राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास सम्मिलित है लेकिन दीर्घकालीन ऋण को छोड़कर

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

विवरण	**1998-99**	**1999-2000**	**2000-2001**
धारित वाहनों की औसत संख्या	1408	1410	1484
चालू वाहनों की औसत संख्या	122	106	143
उपयोग में लाई गई वाहनो की प्रतिशतता	8.7	7.5	9.64
कर्मचारियों की संख्या	7667	6717	6356
कर्मचारी-वाहन अनुपात	62.84	63.36	44.45
वर्ष के अंत तक प्रचालित मार्गों की संख्या	327	77	80
मार्ग किलोमीटर	27755	15844	16480
प्रचालित कि.मी. (लाख में)			
(क) सकल	86.97	73.61	126.94
(ख) प्रभावी	85.22	72.04	124.05
(ग) डेड	1.75	1.57	2.89
सकल कि.मी. से डेड कि.मी. की प्रतिशतता	2.01	2.13	2.28
प्रति बस प्रतिदिन तय की गई औसत कि.मी.	197	190	243
प्रति किलोमीटर संचालित राजस्व (पैसे)	12.20	13.98	11.34
पिछले वर्ष की संचालन राजस्व में वृद्धि (+) / कमी (-) (%)	8.93	14.59	(-)18.88
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	69.64	58.75	36.99
पिछले वर्ष के व्यय पर संचालन व्यय में वृद्धि (+)/कमी (-)(%)	62-71	(-)15.64	(-)37.04
प्रति किलोमीटर लाभ (+) हानी (-) (पैसे)	(-)57.44	(-)44.77	(-)25.65
संचालित डिपो की संख्या	38	38	32
प्रति लाख कि.मी. पर ब्रेकडाउन की संख्या का औसत	0.04	0.04	0.04

प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की संख्या का औसत	0.11	0.04	0.07
प्रचालित यात्री कि.मी. (करोड़ में)	32.44	28.88	45.66
दखलकारिता अनुपात	72	76	60
प्रति लिटर प्राप्त की गई कि.मी.			
(क) डीजल आयल	3.79	3.79	3.93
(ख) इंजिन आयल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

3. बिहार राज्य भंडारण निगम (औपबंधिक)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
शामिल केन्द्रों की संख्या	46 औपबंधिक	45 औपबंधिक	47 औपबंधिक
वर्ष के अंत तक सृजित किया गया भंडारण क्षमता (लाख टन में)			
निजी गोदाम 1.02	1.05	1.02	
किराया के गोदाम	1.52	1.66	1.46
योग	**2.54**	**2.71**	**2.48**
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए क्षमता का औसत (लाख टन में)	2.40	2.47	2.20
उपयोगिता का प्रतिशत	94	91	84
(क) प्रतिवर्ष प्रति मेट्रिक टन औसत राजस्व (रुपये)	36.48	44.93	52.18
(ख) प्रतिवर्ष प्रति मेट्रिक टन औसत व्यय (रुपये)	30.69	38.52	36.16

4. बिहार राज्य वित्तीय निगम* (करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में लंबित आवेदन पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्त आवेदन पत्र	60	11.61	22	2.63	13	2.23
कुल	60	11.61	22	2.63	13	2.23
स्वीकृत आवेदन पत्र	26	3.17	6	0.87	4	0.23
रद्द/वापस ले लिए गए/अस्वीकृत आवेदन पत्र	34	8.44	-	-		0.39
वर्ष के अंत तक लंबित आवेदन पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	42	3.17	-	1.88	20	1.06
वर्ष के अंत तक बकाया ऋण	-	1317.56	-	1443.68	-	1626.73
वर्ष में अंत में अतिदेय राशि						
(क) मूलधन		270.03	-	300.66	-	300.95
(ख) ब्याज		1018.01	-	1129.12	-	1325.78
योग		**1288.04**	**-**	**1429.78**	**-**	**1626.73**
सर्टिफिकेट केसों में अदायगी की निहित राशि		अनुपलब्ध	–	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय राशि की प्रतिशतता		98.42	-	99.04	-	100.00

*कम्पनी ने अस्वीकृत आवेदनों को 1995-96 से अग्रेणीत नहीं किया था ।

परिशिष्ट-7

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

विभागवार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की संख्या	लम्बित नि.प्र. की संख्या	लम्बित कंडिकाओं की संख्या	जिस वर्ष से कंडिकायें लम्बित हैं
1	उद्योग	25	64	292	1990-91 से 2000-01
2	वन एवं पर्यावरण	3	62	262	1990-91 से 2000-01
3	कृषि	3	30	117	1990-91 से 2000-01
4	ऊर्जा	2	20	90	1990-91 से 2000-01
5	पशु-पालन	1	26	86	1990-91 से 2000-01
6	जल-संसाधन	1	14	60	1990-91 से 2000-01
7	ईख	1	27	176	1990-91 से 2000-01
8	खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य	1	20	118	1990-91 से 2000-01
9	पर्यटन	1	36	154	1990-91 से 2000-01
10	मानव संसाधन विकास	1	14	60	1990-91 से 2000-01
11	पथ निर्माण	1	32	211	1990-91 से 2000-01
12	गृह	1	34	213	1990-91 से 2000-01
13	कल्याण	2	7	42	1990-91 से 2000-01
14	पंचायती राज	1	4	15	1990-91 से 2000-01
15	खन एवं भू-गर्भ	1	28	145	1990-91 से 2000-01
16	लघु सिंचाई	1	23	76	1990-91 से 2000-01
17	वित्त	1	71	218	1990-91 से 2000-01
18	परिवहन	1	72	476	1990-91 से 2000-01
19	सहकारिता	1	13	33	1990-91 से 2000-01
20	विद्युत परिषद्	1	1426	7513	1990-91 से 2000-01
	कुल	50	2023	10357	

परिशिष्ट-8

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

विभागवार प्रारूप कंडिकाओं / समीक्षाओं के लम्बित उत्तरों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी किये जाने की अवधि
1	परिवहन	1	-	4/01
2	उद्योग	1	-	4/01
3	ऊर्जा	12	1	4/01 से 6/01
	कुल	14	1	

परिशिष्ट-9

(कंडिका संख्या 1.9 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमकरण किये हुए लेखों के अनुसार 619 (बी) कम्पनियों के प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 5 से 19 की राशि लाख रुपये में है)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति कार्यशील/ अकार्य शील	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी, ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निदेश			लाभ(+) / हानि(-)	संचित लाभ (+) / हानि (-)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बिहार एअर प्रोडक्ट्स लि.	कार्यशील	1992-93	79.99	-	79.99	-	-	-	22.55	-	-	-	-	79.99	22.55	6.67	(-) 102.68
															72.54		(-)16.06	(-)16.06
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. लि.	कार्यशील	1993-94	0.05	-	0.05*			72.49*									
3	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. लि. खगोल	-वही-**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	स्काडा एग्रो बिजनेस	-वही-**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	
5	स्काडा एग्रो बिजनेस लि.,आरा	-वही-**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	स्काडा एग्रो बिजनेस लि., औरंगाबाद	-वही-**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति कार्यशील/ अकार्य शील	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी, ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निदेश			लाभ(+) / हानि(-)	संचित लाभ (+) / हानि (-)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनी		
7	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. मोहनियां	-वही-**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-														
8	स्काडा एग्रो फ्रॉरेस्ट्री कं. खगॉल	-वही-**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-														

* बिहार सरकार के सोन कमाण्ड क्षेत्रीय विकास एजेन्सी द्वारा

** सोन कमाण्ड क्षेत्रीय विकास एजेन्सी द्वारा 13.9.2001 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में बंदी हेतु प्रार्थना की गयी ।

परिशिष्ट-10

(कंडिका 2क.6 में संदर्भित)

2000-01 तक के विगत पांच वर्षों के दौरान संस्थापित क्षमता एवं प्लान्ट लोड फैक्टर का प्रति कि.वा. वास्तविक उत्पादन, सम्भावित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन की विवरणी

क्र. सं.	विवरणी		1996-97	1997-98	1998-991	999-2000	2000-01
1.	डिजाईन के अनुसार उत्पादन क्षमता (मि.कि.वा.घं.)	इकाई-I	1380.96	1839.60	1839.60	1844.64	1839.60
		इकाई-II	297.36	1839.60	1839.60	1844.64	1839.60
2.	वर्ष में प्रचालन हेतु उपलब्ध घंटे	इकाई-I	6576.00	8760.00	8760.00	8784.00	8760.00
		इकाई-II	1416.00	8760.00	8760.00	8784.00	8760.00
3.	कुल वास्तविक प्रचालित घंटे	इकाई-I	4382.04	6688.04	3977.35	2318.16	4213.56
		इकाई-II	527.48	3816.11	5514.16	5011.57	3369.48
4.	स्थापित क्षमता के संदर्भ में सम्भावित उत्पादन (2X210 मे. वा.)	इकाई-I	920.22	1404.49	835.24	486.81	884.94
	(वास्तविक प्रचालित घंटों के आधार पर)	इकाई-II	110.77	801.38	1157.97	1052.43	707.65
5.	वास्तविक उत्पादन (मि.कि.वा.घं.)	इकाई-I	626.65	936.57	497.68	324.09	741.30
		इकाई-II	70.70	634.78	969.03	844.28	589.44
6.	सम्भावित उत्पादन की तुलना में उत्पादन में कमी (4-5) (मि.कि.वा.घं.)	इकाई-I	293.57	467.92	337.56	162.72	143.64
		इकाई-II	40.07	166.60	188.94	208.15	118.21
7.	उत्पादन में कमी की प्रतिशतता	इकाई-I	31.90	33.32	40.41	33.43	16.23
		इकाई-II	36.17	20.79	16.32	19.78	16.70
8.	स्थापित क्षमता (कि.वा.घं.) का प्रति कि.वा. वास्तविक उत्पादन	इकाई-I	3979.00	4460.00	2370.00	1543.00	3530.00
		इकाई-II	2020.00	3023.00	4614.00	4020.00	2807.00
9.	स्थापित उपयोग की प्रतिशतता	इकाई-I	45.38	50.91	27.05	17.57	40.30
		इकाई-II	23.78	34.51	52.68	45.77	32.04
10.	कुल बंदी घंटे	इकाई-I	2193.56	2071.56	4782.25	6465.44	4546.04
		इकाई-II	888.12	4943.49	3245.44	3772.03	5390.12
11.	कुल उपलब्ध घंटों में बंदी की प्रतिशतता	इकाई-I	33.36	23.65	54.60	73.61	51.90
		इकाई-II	62.75	56.44	37.05	42.95	61.53
12.	प्लांट उपलब्धता की प्रतिशतता	इकाई-I	66.64	76.35	45.40	26.39	48.10
		इकाई-II	37.25	43.56	62.95	57.05	38.46
13	विहित प्लांट उपलब्धता (कुल उपलब्ध घंटों का 80%)	इकाई-I	5261	7008	7008	7027	7008
		इकाई-II	1133	7008	7008	7027	7008
14	प्रतिमानक से निम्न-प्रचालन के घंटे	इकाई-I	878.56	319.56	3030.25	4708.44	2794.04
		इकाई-II	605.12	3191.49	1493.44	2015.03	3638.12
15	प्लान्ट् लोड फैक्टर (प्रतिशत)	इकाई-I	45.37	50.91	27.04	17.56	40.30
		इकाई-II	23.78	34.51	52.68	45.77	32.04

परिशिष्ट-11

(कंडिका 2क.6.6 में संदर्भित)

2000-01 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शक्ति प्रतिष्ठान में जबरन बंदी एवं आतंरिक कारकों से बंदी का विवरण

संक्षिप्त विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	योग
			(बंदी घाटे)			
कुल बंदी घंटे	3082	7016	8027	10238	9936	38299
क. नियोजित बंदी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. आंतरिक कारको के कारण बंदी						
(i) टरबाईन एवं जनरेटर कारण	840 (27)	2794 (40)	1106 (12)	2333 (23)	5132 (62)	12205
(ii) बॉयलर एवं उनके सहायक उपकरण के कारण	1188 (39)	1659 (24)	2983 (33)	5791 (57)	4039 (41)	15660
(iii) कोयले निर्वाधता में बाधा	28 (1)	433 (6)	1090 (12)	1235 (12)	16 (0.16)	2802
(iv) अन्य आंतरिक कारण	865 (28)	1823 (26)	1598 (20)	763 (7)	711 (7)	5760
ग. जबरन बंदी						
(i) ग्रीड में गड़बड़ी के कारण	161 (5)	307 (4)	1250 (14)	116 (5)	38 (0.38)	1872

(कोष्ठ में दिये गये अंक कुल बंदी घंटों की तुलना में प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।)

परिशिष्ट-12

(कंडिका 2क.6.7 में संदर्भित)

1997-2000 के दौरान उत्पादन-लागत की विवरणी

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	उत्पादित यूनिट (मि.यू.)	1571.100	1466.710	1168.570
2.	अनुषंगी खपत (मि.यू.)	235.659	236.900	178.820
3.	बिक्री हेतु उपलब्ध यूनिट (मि.यू.)	1335.441	1229.810	989.750
4.	कुल उत्पादन लागत			
(i)	इंधन व तेलों के साथ प्रचालन एवं सरंक्षण	85.46 (0.54)	90.54 (0.62)	82.82 (0.71)
(ii)	स्थापना व्यय	5.12 (0.03)	6.33 (0.04)	6.54 (0.05)
(iii)	प्रशासनिक व्यय	2.38 (0.02)	2.22 (0.01)	2.94 (0.03)
(iv)	डी.पी.आर. में किये गये प्रावधान के अनुरूप मूल्य ह्रास @ 3.5 प्रतिशत	28.48 (0.18)	28.74 (0.20)	29.25 (0.25)
(v)	ऋण पर ब्याज			
	सरकार	87.62 (0.56)	88.18 (0.60)	92.31 (0.79)
	पी.एफ.सी.	37.23 (0.24)	47.07 (0.32)	43.71 (0.37)
	कुल लागत	**246.29**	**263.08**	**257.57**
	प्रति कि.वा.घं. उत्पादित लागत	1.57	1.79	2.20

टिप्पणी :- कोष्ठ में दिये गये अंक प्रति यूनिट लागत को दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट-13

(कंडिका 2क.7. में में संदर्भित)

1996-97 से 2000-01 के दौरान ताप-दक्षता एवं ईंधन की खपत को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	वास्तविक खपत					
(क)	कोयला (मे.ट.में)	489845	1122179	1067905	800773	938606
(ख)	तेल (कि.ली.में)	20750	16376	18079	19507	12861
2.	ताप मूल्य					
(क)	कोयला (कि.कैलोरी/कि.ग्रा.)	4056	4473	4376	4643	4579
(ख)	तेल (कि.कैलोरी/ली.)	10000	10000	10000	10000	10000
3.	ताप ग्राह्यता (मि.कि.कैलोरी)					
(क)	कोयला	1986811	5019507	4673152	3717989	4297877
(ख)	तेल	207500	163760	180790	195070	128610
(ग)	कुल ताप ग्राह्यता (क+ख)	2194311	5183267	4853942	3913059	4426487
4.	सकल उत्पादन (मि.यू.) (यूनिट I+II)	697.35	1571.35	1466.71	1168.37	1330.74
5.	वास्तविक ताप ग्राह्यता (कि.कै./कि.वा.घं.) (3ग +4)	3146.64	3298.61	3309.41	3349.16	3326.33
6.	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार ताप ग्राह्यता	2325	2325	2325	2325	2325
7.	अत्यधिक ताप ग्राह्यता (कि.कै./कि.वा.घं.) (5-6)	821.64	973.61	984.41	1024.16	1001.33
8.	ताप दक्षता (प्रतिशत)					
(क)	लक्ष्य	36.99	36.99	36.99	36.99	36.99
(ख)	वास्तविक	27.33	26.07	25.99	25.68	25.85
9.	कुल अत्यधिक ग्राह्य-ताप (मि.कि.कै.) (4X7)	572971	1529882	1443844	1996598	1332510
10.	कोयले के रूप में कुल अत्यधिक ग्राह्य ताप	141265	342026	329946	257721	291005
11.	प्रति मेट्रिक टन कोयले की अधिप्राप्ति की औसत लागत	432.12	529.88	560.04	582.92	582.92
12.	कोयले के रूप में अत्यधिक ताप ग्राह्यता का मूलय (करोड़ रूपये में)	6.10	18.12	18.48	15.02	16.96

परिशिष्ट-14

(कंडिका 2ख.6 में संदर्भित)

वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	देयताएं	1996-97	1997-98	1998-1999
1.	प्रदत्त पूंजी	997.35	997.35	997.35
2.	रिजर्व एवं अधिक्य	358.52	358.52	363.09
3.	उधार	26.79	26.79	—
4.	चालू दायित्व	670.44	799.43	1069.31
	कुल	2053.10	2182.09	2429.75
	परिसम्पत्तियां			
5.	सकल ब्लॉक	304.72	366.27	375.25
6.	ह्रास को घटाकर	212.91	226.78	244.32
7.	निवल परिसम्पत्तियां	91.81	139.49	130.93
8.	पूंजीगत कार्यों में प्रगति	28.72	—	—
9.	निवेश	12.78	12.78	0.01
10.	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	1326.33	1571.06	1929.60
11.	विविध व्यय एवं हानि	593.46	458.76	369.21
	कुल	2053.10	2182.09	2429.75
	नेट वर्थ	403.89	538.59	628.14

टिप्पणी :- नेट वर्थ प्रदत्त पूंजी तथा अमूर्त परिसम्पतियों को घटाकर फ्री रिजर्व के योग को प्रतिनिधित्व करता है ।

परिशिष्ट-15

(कंडिका 2ख.6 में संदर्भित)

कार्य चालन परिणाम

निम्न तालिका 1998-99 तक के तीन वर्षों के लिए कम्पनी के कार्य-चालन परिणाम को दर्शाती है ।

(लाख रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-1999 (औपबन्धिक)
क आय			
i) खनिजों की बिक्री	1109.49	1641.45	2012.53
ii) अन्य प्राप्तियां	650.18	242.68	260.50
कुल	1759.67	1884.13	2273.03
ख व्यय			
1) उत्पादन व्यय	496.05	386.92	498.61
11) रॉयलिटी एवं डेड रेन्ट	527.78	717.49	917.99
111) स्थापना व्यय	285.93	348,72	451.00
1V) अन्य व्यय	360.56	118.78.	100.13
कुल	1670.32	1571.91	1967.73
ग लाभ	89.35	312.22	305.30
घ विनियोजन			
1) बालू रिजर्व में स्थानान्तरित	4.23	-	-
11) पूर्वावधि समायोजन	(-)26.11	9.70.	3.89
111) आयकर हेतु प्रावधान	36.60	109.28	106.86
1V) लाभांश हेतु प्रावधान	-	49.87	59.84
V) लाभांश कर	-	4.99	5.98
V1) पूर्व वर्ष के लाभ एवं हानि (हानि)	74.63	138.38	128.73

परिशिष्ट-16

(कंडिका 2ख.7.1 में संदर्भित)

आय-व्ययक नियंत्रण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	बजटीय उत्पादन	पुनरीक्षित बजटीय उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	परियोजना स्तर तक उत्पादन लागत (लाख रूपये में)			पुनरीक्षित बजटीय उत्पादन से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता	पुनरीक्षित बजटीय लागत से वास्तविक लागत की प्रतिशतता
						बजटीय लागत	पुररीक्षित बजटीय लागत	वास्तविक लागत		
1	2	3	4 मे.ट	5 मे.ट	6 मे.ट	7	8	9	10	11
1.	सेमरा चूना पत्थर	1997-98 1998-99 1999-2000	78,000 75,000 50,000	20,000 16,000 22,000	5,317.270 15,396.970 19,573.173	104.45 40.82 80.97	34.54 23.44 26.40	20.21 34.61 38.23	26.59 96.23 88.97	58.51 147.65 144.81
2.	विश्रामपुर ग्रेफाइट	1997-98 1998-99 1999-2000	24,000 18,000 12,000	2,000 1413 2200	552.474 1405.115 1603.471	52.28 15.12 38.18	23.72 10.72 12.37	11.99 13.26 18.68	27.62 99.44 72.88	50.55 123.69 151.00
3.	सुदना गाईन्डिंग	1997-98 1998-99 1999-2000	4800 5000 4800	2500 2100 3200	1654.300 1606.935 2787.960	27.72 14.90 20.41	17.88 10.32 15.53	16.31 12.45 14.71	66.17 76.52 87.12	91.22 120.64 94.72
4.	बेनती बगदा चूना पत्थर	1997-98 1998-99 1999-2000	96,000 75,000 46,000	30,000 30,000 21,000	23,000.380 23,698.760 20,580.460	142.88 48.80 62.80	43.19 37.71 39.30	39.28 40.82 42.86	76.67 79.00 98.00	90.95 108.25 109.06
5.	ज्योति पहाड़ी कायनाइट्	1997-98 1998-99 1999-2000	4800 5000 7200	5,000 5,000 6,000	4,831.183 4,930.120 5631.355	33.02 34.13 43.84	24.30 27.56 36.20	25.36 28.42 35.87	96.62 98.60 93.85	104.37 103.12 99.09
6.	गोला चूना पत्थर	1997-98 1998-99 1999-2000	4800 12,000 16,800	4200 700 1000	183.610 32.208 565.910	15.95 10.39 30.63	16.27 10.14 7.35	11.00 7.44 15.71	4.37 4.60 56.59	67.60 73.37 213.74

परिशिष्ट-17

(कंडिका 2ख.7.2 में संदर्भित)

लागत प्रवृति

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
	चूना पत्थर				
1	उत्पादन (मे.ट.)	65855.683	28501.26	39127.938	40719.543
2	सूक्ष्म लागत मे.ट (रू.)	129.94	225.58	180.05	210.22
3	फिक्सड ओवर हेड मे.ट (रू.)	138.03	142.36	321.90	133.04
4	बिक्री लागत मे.ट (रू.)	267.97	367.94	501.95	343.26
5	औसत विक्रय मूल्य मे.ट (रू.)	137.53	148.23	142.62	141.16
6	लाभ/हानि (5-4) X 1 (रू.)	(-) 8590215	(-) 6262011	(-)14059842	(-) 8229419
	ग्रेफाईट				
1	उत्पादन (मे.ट.)	5145.997	552.474	1405.115	1603.471
2	सूक्ष्म लागत मे.ट (रू.)	267.93	1502.33	569.81	764.37
3	फिक्सड ओवर हेड मे.ट (रू.)	372.76	1624.35	1453.69	854.18
4	बिक्री लागत मे.ट (रू.)	640.69	3126.68	2023.50	1618.55
5	औसत विक्रय मूल्य मे.ट (रू.)	317.04	381.65	381.65	358.95
6	लाभ/हानि (5-4) X 1 (रू.)	(-) 1665502	(-) 1516558	(-) 2306988	(-) 2019732
	कायनाईट				
1	उत्पादन (मे.ट.)	3309.275	4831.183	4930.120	5631.355
2	सूक्ष्म लागत मे.ट (रू.)	563.03	603.28	558.60	621.24
3	फिक्सड ओवर हेड मे.ट (रू.)	761.53	213.23	938.92	331.52
4	बिक्री लागत मे.ट (रू.)	1324.56	816.51	1497.52	952.76
5	औसत विक्रय मूल्य मे.ट (रू.)	689.59	697.01	658.01	713.44
6	लाभ/हानि (5-4) X 1 (रू.)	(-) 2101290	(-) 577326	(-) 4138885	(-) 1347696
	कोयला				
1	उत्पादन (मे.ट.)	257500	196300	194060	285791
2	सूक्ष्म लागत मे.ट (रू.)	140.57	152.27	182.66	182.53
3	फिक्सड ओवर हेड मे.ट (रू.)	15.60	15.82	45.44	10.48
4	बिक्री लागत मे.ट (रू.)	156.17	168.09	228.10	193.01
5	औसत विक्रय मूल्य मे.ट (रू.)	260.03	332.00	347.74	369.05
6	लाभ/हानि (5-4) X 1 (रू.)	26743950	32175533	23217338	50310647
	अभ्रक				
1	उत्पादन (मे.ट.)	50.647	149.171	34.894	17.210
2	सूक्ष्म लागत मे.ट (रू.)	50976.01	21407.88	73380.29	149788.96
3	फिक्सड ओवर हेड मे.ट (रू.)	82736.94	13610.23	161024.04	151600.87
4	बिक्री लागत मे.ट (रू.)	133712.95	35018.11	234404.33	301389.83
5	औसत विक्रय मूल्य मे.ट (रू.)	8595.45	7780.42	24346.68	10771.27
6	लाभ/हानि (5-4) X 1 (रू.)	(-) 6336826	(-) 4063073	(-) 7333241	(-) 5001545

शुद्धि-पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) बिहार सरकार वर्ष 2000-2001

पृष्ठ सं.	पैराग्राफ/टेबुल	सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
(vii)	विहंगावलोकन	तीसरा पैरा, चौथी लाइन	594.59 करोड़	594.18 करोड़
(viii)	विहंगावलोकन	दूसरी लाईन	1694.26 करोड़ (-) 360.06 करोड़	1694.26 करोड़ व (-) 360.06 करोड़
2	1.2.1.1	चौथी लाइन	दीर्घ कालीन ऋण 935.83 करोड़	दीर्घ कालीन ऋण 935.18 करोड़
6	1.2.4.1.1	प्रथम पैरा, प्रथम लाइन	सितम्बर 2000	सितम्बर 2001
13	1.5.2.1	टेबुल, क्रम सं. 6 कॉलम 4	(-) 210.43	(-) 2102.43
16	2क	चौथा मुख्य अंश, दूसरी लाइन	5030.32 मिलियन यूनिट	5030.82 मिलियन यूनिट
21	2क.6.2	दूसरा पैरा, अंतिम लाइन	5030.32 मिलियन यूनिट	5030.82 मिलियन यूनिट
23	2क.6.6.2	(iii) दूसरी लाइन	29.56 करोड़	29.65 करोड़
34	2ख	तीसरा मुख्य अंश,तीसरी लाइन	3.5 करोड़	3.52 करोड़
38	2ख.8.1	दूसरी लाइन	55.72 मेट्रिक टन	55.72 लाख मेट्रिक टन
38	2ख.8.1	तीसरी लाइन	6.84 मेट्रिक टन	6.84 लाख मेट्रिक टन
42	2ख.14	पहला पैरा, तीसरी लाइन	राँची के द्वारा	राँची (1987) के द्वारा
43	2ख.14.1	दूसरा पैरा, तीसरी लाइन	15 वर्षों से थी,	15 वर्षों (1987) से थी,
45	2ख.17	टेबुल, पांचवा कॉलम, छठी लाइन	12.04	14.04
48	3.1.2	दूसरा पैरा, तीसरी लाइन	फरवरी 1998 एवं	फरवरी 1988 एवं